सत्यमेव जयते

नीति आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2017-18

सत्यमेव जयते

नीति आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2017–18

विषय सूची

I. नीति आयोग-एक सिंहावलोकन

(i) संगठनात्मक ढांचा 2
(ii) नीति आयोग के उद्देश्य और कार्य 4
(iii) प्रशासन और सहायता एकक 5
(iv) नीति आयोग से सम्बद्ध कार्यालय 6
(v) प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् 7

II. नीति निर्माण और कार्यक्रम

(i) अटल नवप्रवर्तन मिशन (एआईएम) 9
(ii) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम तथा भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में सुधार 11
(iii) मुम्बई – अहमदाबाद उच्च–गति रेल (एमएएचएसआर) गलियारा परियोजना 11
(iv) द्वीपों का समग्र विकास 11

III प्रतिस्पर्धी सहयोगपूर्ण संघवाद

(i) नीति आयोग की शासी परिषद की तीसरी बैठक 14
(ii) "भारत में बदलाव लाने के वाहकों पर राज्य" विषय पर 10 जुलाई, 2017 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 15
(iii) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु विकास सहायता सेवाएं (डीएसएसएस) 17
(iv) कृषि सुधार
क. कृषि भूमि पट्टाकरण पर आदर्श अधिनियम 18
ख. कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में सुधार 19
ग. कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम का सुधार 20
(v). स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जल क्षेत्र में मुख्य निष्पादन सूचक (केपीआई) 21
(vi) परिवर्तन के वाहक 21
(vii) सरकारी सेवा उपलब्धता की जीआईएस आधारित आयोजना, प्रबंधन और अनुवीक्षण 22
(viii) संघ राज्य क्षेत्रों में विकास स्कीमों की प्रगति का पता लगाने के लिए डैशबोर्ड 22
(ix) शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण 22

IV थिंक टैंक के कार्य

(i) भारत का विजन दस्तावेज 25
(ii) 12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन दस्तावेज 26
(iii) नीति आयोग द्वारा आयोजित भारत परिवर्तन व्याख्यान माला 26
(iv) किसानों की आय को दुगुना करना 26
(v) आउटकम बजट और उत्पादन–परिणाम फ्रेमवर्क 27
(vi) वैश्विक उद्यमिता शिखर–सम्मेलन 2017 29
(vii) चिह्नित आकांक्षी जिलों के रूपांतरण के कार्यक्रम को शुरू करना 31
(viii) ''आर्थिक नीति और भावी राह'' पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा 33

V	**क्षेत्रकीय उद्देश्य और उपलब्धियां**	
1	कृषि	35
2	स्वास्थ्य	43
3	महिला और बाल विकास	47
4	शासन और अनुसंधान	49
5	मानव संसाधन विकास	55
6	कौशल विकास और रोजगार इकाई	61
7	शहरीकरण प्रबंधन	63
8	ग्रामीण विकास	65
9	ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	67
10	उद्योग	72
11	अवसंरचना	77
12	वित्तीय संसाधन	82
13	प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण	84
14	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	87
15	राज्यों का समन्वय और विकेन्द्रीकृत योजना	89
16	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	91
17	स्वैच्छिक कार्य सैल	96
18	विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)	98
19	कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन	105
20	जल संसाधन	109
21	डेटा प्रबंधन और विश्लेषण	113
22	सूचना और प्रसारण एवं पर्यटन	116
23	राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी)	117
24	शासी परिषद सचिवालय	122
25	राजभाषा प्रभाग (हिंदी अनुभाग)	123
26	चार्ट, मैप एवं उपकरण एकक	125
27	पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र	126
28	संसद अनुभाग	127
29	आरटीआई प्रकोष्ठ	128
30	कैरियर प्रबंधन गतिविधियां	129
31	सतर्कता कार्यकलाप	130
32	संगठन पद्धति एवं समन्वय (ओएमएण्डसी) की क्षेत्रकीय उपलब्धियाँ	131

नीति आयोग–एक सिंहावलोकन

संगठनात्मक ढांचा

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
अध्यक्ष

डॉ. राजीव कुमार
उपाध्यक्ष

राव इंद्रजीत सिंह
योजना राज्य-मंत्री

डॉ. बिबेक देबरॉय
सदस्य

डॉ. वी.के. सारस्वत
सदस्य

प्रो. रमेश चंद
सदस्य

डॉ. विनोद के. पॉल
सदस्य

अमिताभ कांत
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

सलाहकार	वर्टिकल	राज्य
श्री रतन पी.वातल, प्रधान सलाहकार	सामाजिक क्षेत्राक	
श्री यदुवेंद्र माथुर, अपर सचिव (केआईएच)	(ज्ञान और नवप्रवर्तन केन्द्र) प्रशासन और सामान्य प्रशासन, लेखा	
श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव	(टीम इंडिया हब) और अवसंरचना – ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	
श्री रवीन्द्र गोयल, सलाहकार	अवसंरचना – क्नेक्टिविटी	जम्मी और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
श्री अनिल श्रीवास्तव, सलाहकार और डीएमईओ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार	साझेदारीयुक्त, सुसम्बद्ध और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा उन्नत परिवहन के सभी पहलुओं से संबंधित कार्य	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
श्री आलोक कुमार, सलाहकार	प्रशासन और वित्तीय संसाधन सामाजिक क्षेत्राक–II, (स्वास्थ्य, पोषण, महिला और बाल विकास)	उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु
श्री आलोक कुमार, सलाहकार (लिंक अधिकारी के रूप में	मानव संसधन विकास	झारखंड और बिहार
सुश्री संयुक्ता समदार, विशेष कार्याधिकारी	शासी परिषद् सचिवालय और समन्वय	
डॉ जे.पी. मिश्रा, सलाहकार	कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रक	गुजरात और उत्तराखंड
सुश्री एन रॉय, सलाहकार	डेटा प्रबंधन और विश्लेषण तथा उद्योग	
डो. योगेश सूरी, सलाहकार	शासन और अनुसंधान तथा जल संसाधन	कर्नाटक, केरल
श्री जितेन्द्र कुमार, सलाहकार	प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण	पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, गोवा
श्री प्रवीण महतो, सलाहकार	परियोजना मूल्यांकन, पीपीपी और पीआईबी	
श्री अशोक कुमार जैन, सलाहकार	ग्रामीण विकास, एसडीजी	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
श्री विक्रम सिंह गौड़, सलाहकार	राज्य समन्वय प्रभाग और डी.पी. प्रभाग	महाराष्ट्र और राजस्थान तथा संघ राज्य–क्षेत्र
श्री यू.के. शर्मा, सलाहकार	विज्ञान और प्रोद्योगिकी	
श्रीमती सुनीता संघी, सलाहाकर	सामाजिक क्षेत्रक–I (एलईएम, कौशल विकास और शहरी विकास)	पंजाब और हरियाणा
श्री श्रीकर नाएक, सलाहकार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	पश्चिम बंगाल और ओडिशा
श्री एस.एस. गणपित, सलाहकार	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	
श्री सी. अंगरूप बौध, संयुक्त सचिव	डीएमईओ (प्रशासन और वित्त)	

नीति आयोग के उद्देश्य और कार्य

01 जनवरी, 2015 को स्थापित, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था या नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के विचार मंच (थिंक–टैंक) के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। भारत के प्रधानमंत्री इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

यह संस्था केंद्र सरकार के नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाती है, राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करती है, एक ज्ञान केन्द्र के रूप में कार्य करती है और भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रगति का अनुवीक्षण करती है (संलग्न चार्ट देखें)। यह संस्था केन्द्रीय और राज्य सरकारों को नीति के प्रमुख घटकों के संबंध में सुसंगत कार्यनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करती है। इसके तहत आर्थिक क्षेत्र के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मामले, देश के भीतर और अन्य राष्ट्रों में उपलब्ध सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेशन तथा विशिष्ट मुद्दों पर सहायता प्रदान करना शामिल है।

भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत 'थिंक–टैंक' के रूप में नीति आयोग का लक्ष्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा द्रष्टिकोण विकसित करना है। इसका प्रयास परामर्शी और अन्य पद्धतियों के माध्यम से, सभी राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए, राज्यों को एक या अधिक राज्यों या विश्व के अन्य हिस्सों में विकसित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में सूचित करना है। यह राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है।

यह संस्था रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों तथा पहलों की रूपरेखा तैयार करती है तथा उनकी प्रगति और क्षमता की नियमित रूप से निगरानी करती है। यह निगरानी और फीडबैक के माध्यम से मिली जानकारी का आवश्यक मध्यावधि संशोधनों सहित नवोन्मेषी सुधारों में उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय अनुवीक्षण और मूल्यांकन करता है ताकि कार्यक्रमों और पहलों की सफलता की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके।

आयोग समकालीन मुद्दों पर नीतिगत अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन करता है, सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है, राज्यों को उनकी नीतियों में सुधार करने में सहायता करने के लिए आदर्श कानून तैयार करता है और कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन करता है। निदेशात्मक और नीतिगत सुझाव प्रदान करने के लिए यह सुशासन संबंधी अनुसंधान के भंडार के रूप में कार्य करता है और पणधारकों के बीच इस अनुसंधान का प्रचार करने में सहायता करता है।

नीति आयोग के समस्त कार्यकलापों को दो मुख्य केन्द्रों—टीम इंडिया केन्द्र तथा ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्र के बीच विभाजित किया गया है। ये दोनों केन्द्र नीति आयोग के कुशल कार्यकरण का मुख्य आधार हैं। टीम इंडिया केन्द्र 'सहयोगपूर्ण संघवाद' को बढ़ावा देने तथा 'नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने' के अधिदेश को कार्यान्वित करता है। यह नीति आयोग को राज्यों के साथ इसके कार्यों के संबंध में अपेक्षित समन्वय और सहयोग प्रदान करता है। ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्र अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र का अनुरक्षण करने, सुशासन और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों पर अनुसंधान का भण्डार बनने तथा उन्हें पणधारियों तक पहुंचाने के साथ–साथ कालेजों, विश्वविद्यालयों, थिंक–टैंक और स्वदेशी तथा वैश्विक गैर–सरकारी संगठनों सहित प्रमुख पणधारियों को सलाह देने और उनके बीच साझेदारियों को प्रोत्साहित करने के अधिदेश की पूर्ति सुनिश्चित करता है।

टीम इंडिया केन्द्र में 6 वर्टिकल तथा ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्र में 10 वर्टिकल शामिल हैं। इन वर्टिकलों की सूची निम्नानुसार हैः

1. प्रशासन
2. मानव संसाधन विकास
3. शासी परिषद् सचिवालय और समन्वय
4. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रक
5. डेटा प्रबंधन और विश्लेषण
6. शासन और अनुसंधान
7. उद्योग
8. अवसंरचना–ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
9. अवसंरचना–कनेक्टिविटी
10. प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण
11. परियोजना मूल्यांकन, सार्वजनिक–निजी भागीदारी और सार्वजनिक निवेश बोर्ड
12. ग्रामीण विकास
13. राज्य समन्वय एवं विकेन्द्रीकृत आयोजना
14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
15. सामाजिक क्षेत्रक–I (कौशल विकास, श्रम और रोजगार, शहरी विकास)
16. सामाजिक क्षेत्रक–II (स्वास्थ्य और पोषण, महिला और बाल विकास)
17. सामाजिक न्याय और अधिकारिता

प्रशासन और सहायता एकक

नीति आयोग में प्रशासन, नीति आयोग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर नोडल विभाग अर्थात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी किए गए भारत सरकार के वर्तमान अनुदेशों और सेवा नियमों के अनुसार कार्य करता है। प्रशासन, अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सभी पहलुओं यानी भर्ती, पदोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा मामलों से संबंधित अदालती मामलों के साथ–साथ इन मामलों के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने का कार्य करता है।

नीति आयोग ने इसे सौंपे गए विशिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए, परामर्शदाताओं के नियोजन हेतु निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, विधिक पृष्ठभूमि वाले दो परामर्शदाताओं सहित ग्यारह परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं को नियोजित किया। नीतिगत पहलों के पोर्टफोलियो की अभिकल्पना और कार्यान्वयन के लिए एक परामर्शदाता को

परामर्शदाता शासन और अनुसंधान के रूप में नियोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने बारह अनुसंधान सहायकों को भी नियोजित किया। इसके अलावा, नीति आयोग ने पूर्व में नियोजित उन चार परामर्शदाताओं की कार्यावधि भी बढ़ाई जिनके कार्यों में विजन दस्तावेज तैयार करना, कार्यनीति लेख और कार्य–योजना तैयार करना शामिल है परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है। इन विशेषज्ञों को काम पर रखने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किए गए। प्रशासन ने उचित अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आवेदनों की छानबीन की, उन्हें लघुसूचीबद्ध किया और साक्षात्कारों का आयोजन किया।

नीति आयोग अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ अर्थशास्त्र वित्त, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, शहरी आयोजना और अवसंरचना के क्षेत्रों में उच्च स्तरीय व्यावसायिक सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से यंग प्रोफेशनल्स को सार्वजनिक नीति, आयोजना, विकास तथा विकास के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। नीति आयोग ने 25 यंग प्रोफेशनल्स को नियोजित करने हेतु विज्ञापन जारी किया। प्रशासन ने आवेदनों की छंटनी/लघुसूचीयन का कार्य किया और अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। अंततः नीति आयोग के लिए 25 अभ्यर्थियों, प्रधानमंत्री की ईएसी के लिए 5 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और उन्हें संविदा आधार पर यंग प्रोफेशनल्स के रूप में नियोजित करने के लिए प्रस्ताव–पत्र जारी किए गए। 8 (आठ) अभ्यर्थियों को अटल नवप्रवर्तन मिशन के लिए और 8 अभ्यर्थियों को डीएमईओ के लिए भी चयनित किया गया और उनके नाम आगे की कार्रवाई के लिए क्रमशः एआईएम और डीएमईओ को भेज दिए गए। डीएमईओ ने भी चयनित अभ्यर्थियों को प्रस्ताव–पत्र जारी कर दिए हैं।

नीति आयोग द्वारा वर्ष 2016 में आरंभ की गई प्रशिक्षुता स्कीम को 2017-18 में जारी रखा गया। प्रशिक्षुता स्कीम के तहत विद्यार्थियों को नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकलों/प्रभागों में तैनात करके उन्हें भारत सरकार के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के तहत भारत में अथवा विदेश में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में नामांकित तथा स्नातक–पूर्व/स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्रियों के लिए अध्ययनरत विद्यार्थियों अथवा अनुसंधान विद्वानों को ''प्रशिक्षुओं'' के रूप में नियोजित करने का प्रयास किया जाता है। इन ''प्रशिक्षुओं'' को नीति आयोग में विभिन्न वर्टिकलों/प्रभागों/एककों के कार्य का अनुभव कराया जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि नीति आयोग में आंतरिक तौर पर उपलब्ध सूचना और अन्य सूचना के अनुभवजन्य संग्रहण और मिलान के माध्यम से नीति आयोग में विश्लेषण की प्रक्रिया में इनका सहयोग मिले। ''प्रशिक्षुओं'' के लिए भारत सरकार के कार्यकरण का अनुभव उनकी भावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त योग्यता साबित हो सकता है।

प्रशासन वर्टिकल द्वारा दिसम्बर 2016 में तैयार किए गए 'नीति अनिवासी अध्येतावृत्ति कार्यक्रम' के तहत सरकारी नीति तैयार करने में परम्परागत आयोजना से आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न क्षेत्रकों में वैश्विक सुविज्ञता हासिल करने का प्रयास किया जाता है। यह कार्यक्रम योग्यता–सम्पन्न वरिष्ठ और मिड–करिअर व्यावसायिकों को मूल अनुसंधान करने, भारतीय नीति के क्षेत्र में विचार–विमर्श करने तथा नीतिगत पहलों पर व्यावहारिक रूप से कार्य करने में समर्थ बनाएगा। इस कार्यक्रम के तहत, नीति आयोग ने प्रारंभ में तीन माह की अवधि, जिसे और तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, के लिए अवैतनिक आधार पर एक प्रतिष्ठित अधि–सदस्य (फेलो) को नियोजित किया और उसकी कार्यावधि बढ़ाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। कार्यदल की रिपोर्ट की सिफारिशों और नीति आयोग की पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप जीसीएस पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

नीति आयोग से सम्बद्ध कार्यालय

पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) का विलय करके 18 सितम्बर, 2015 को विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) का गठन किया गया है और नीति आयोग को सौंपे गए मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण संबंधी अधिदेश को पूरा करने हेतु इसे नीति आयोग के तत्वावधान में एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया।

भारत सरकार ने 1962 में जनसाधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी जिसे बाद में राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) के रूप में पुनर्नामित कर दिया गया था। यह नीति आयोग, योजना मंत्रालय से सम्बद्ध एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डॉ. राजीव कुमार इसकी सामान्य परिषद् के अध्यक्ष हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अमिताभ कांत इसकी कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष हैं और डॉ. अरूप मित्र एनआईएलईआरडी के महानिदेशक हैं इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य मानव पूंजी आयोजना और मानव संसाधन विकास के सभी पहलुओं में अनुसंधान डेटा संग्रहण और शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करना है।

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्

मंत्रिमंडल सचिवालय ने दिनांक 26-9-2017 की अधिसूचना सं. 1/31/1/2017–कैब और दिनांक 1-11-2017 की उत्तरवर्ती अधिसूचना के तहत प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् का गठन अधिसूचित किया है जिसका संघटन निम्नानुसार है:

डॉ. बिबेक देबरॉय, सदस्य, नीति आयोग	– अध्यक्ष
डॉ. सुरजीत भल्ला	– अंशकालिक सदस्य
डॉ. राथिन रॉय	– अंशकालिक सदस्य
डॉ. आशिमा गोयल	– अंशकालिक सदस्य
सुश्री शामिका रवि	– अंशकालिक सदस्य
श्री रतन पी. वातल, प्रधान सलाहकार, नीति आयोग	– सदस्य सचिव

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ईएसी) के विचारार्थ-विषय

- प्रधान मंत्री द्वारा इसे सौंपे गए किसी भी आर्थिक या अन्य मुद्दे का विश्लेषण करना और प्रधान मंत्री को उस मुद्दे के संबंध में सलाह देना।
- वृहद–आर्थिक महत्व के मुद्दों का समाधान करना तथा प्रधान मंत्री को उनके संबंध में अपनी राय देना। यह कार्य इसके द्वारा स्वप्रेरणा से अथवा प्रधान मंत्री या किसी अन्य के हवाले पर किया जा सकता है।
- प्रधान मंत्री के निदेशानुसार समय–समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को पूरा करना।

नीति निर्माण और कार्यक्रम

I. अटल नवप्रवर्तन मिशन (एआईएम)

भारत के प्रधान मंत्री की एक अग्रणी पहल अटल नवप्रवर्तन मिशन (एआईएम) को नीति आयोग द्वारा देश–भर में नवप्रवर्तन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।

एआईएम को एक सर्वोच्च नवप्रवर्तन संगठन के रूप में भी परिकल्पित किया गया है जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, विज्ञान,इंजीनियरिंग और उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के विभिन्न स्तरों तथा एसएमई उद्योग/कारपोरेट स्तरों पर नवप्रवर्तन और उद्यमिता के पारितंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए केन्द्र, राज्य और क्षेत्रकीय नवप्रवर्तन स्कीमों के बीच नवप्रवर्तन नीतियों के समन्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एआईएम ने अपने उद्देश्यों को हासिल करने के संबंध में सर्वसमावेशी फ्रेमवर्क को अपनाया है।

I. अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं - विद्यालयों में सृजनात्मक, नवप्रवर्तनकारी मनोवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए

विद्यालय स्तर पर एआईएम देश–भर में सभी 700 जिलों के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं (एटीएल) की स्थापना कर रहा है। ये एटीएल 1000-1500 वर्ग फीट के समर्पित नवप्रवर्तन कार्य – स्थल हैं। जहां सरकार से प्राप्त 20 लाख रु. के अनुदान का उपयोग करते हुए 3डी प्रिंटरों, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), लघुकृत इलेक्ट्रॉनिक्स स्वयं करके देखिए किट्स जैसी अद्यतन प्रौद्योगिकियां संस्थापित हैं ताकि कक्षा VI से कक्षा XII तक के विद्यार्थी इन प्रौद्योगिकियों के साथ प्रयोग कर सकें और इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए नवप्रवर्तनकारी समाधानों का सृजन करना सीख सकें जिसके फलस्वरूप देश–भर के हजारों विद्यार्थियों में समस्याओं का समाधान करने वाली, नवप्रवर्तनकारी मनोवृत्ति का सृजन होगा। अब तक, एटीएल अनुदानों के लिए 941 विद्यालयों का चयन किया जा चुका है और इनमें से लगभग 400 एटीएल प्रचालनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, एटीएल प्रयोगशालाओं के लिए 1500 अन्य विद्यालयों का चयन करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अनुमान है कि इस वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व 2000 से अधिक विद्यालयों को एटीएल अनुदान प्राप्त हो जाएगी।

प्रत्येक विद्यालय में, विद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए एक एटीएल प्रभारी के साथ–साथ एटीएल से जुड़े विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु संबंधित परामर्शदाता भी होंगे। एआईएम तथा इसके भागीदारों के माध्यम से 800 से अधिक एटीएल प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एआईसीटीई एआईएम के साथ भागीदारी के माध्यम से यह यह सुनिश्चित कर रहा है कि सिद्यालय के निकटतम विश्वविद्यालयों द्वारा भी एटीएल विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।

अपने समुदाय की और देश की समस्याओं का समाधान करने हेतु नवप्रवर्तनकारी समाधान खोजने में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों में नियमित रूप से और एआईएम द्वारा प्रति माह अटल नवप्रवर्तन टिंकरिंग चुनौतियों का आयोजन किया जा रहा है।

हाल ही में, अटल टिंकरिंग मैराथन का आयोजन किया गया था जिसमें अनुमानतः 24000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया और और 650 से अधिक सर्वश्रेष्ठ नवप्रवर्तनकारी प्रविष्टियों को प्रस्तुत किया गया जिनमें से शीर्ष 100 नवप्रवर्तनकारी प्रविष्टियों को 16 दिसम्बर, 2017 को नई दिल्ली में हुए अटल टिंकरिंग शिखर–सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया और इनमें से शीर्ष 30 नवप्रवर्तनों को विशेष मान्यता प्रदान की जाएगी।

देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक विद्यालय की कम–से–कम एक या अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा देश–भर में राज्य शिक्षा मंत्रालयों की सहायता से इनके पैमाने को बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, एटीएल चयनों पर विचार करते समय सरकारी/सरकारी सहायता–प्राप्त विद्यालयों और बालिका विद्यालयों, पूर्वोत्तर और पर्वतीय जिलों के विद्यालयों को विशेष तरजीह दी जाती है।

अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं ने विद्यालयों और विद्यार्थियों में अत्यधिक उत्साह और ऊर्जा का संचार किया है और इसके परिणामों की निगरानी करने और उन्हें मापने के लिए संतुलित अंक कार्ड आधारित दृष्टिकोण तैयार किया गया है।

II. अटल इन्क्यूबेटर्स - विश्वविद्यालयों और उद्योग में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए

विश्वविद्यालय, एनजीओ, एसएमई और कारपोरेट उद्योग के स्तरों पर एआईएम विश्व-स्तरीय अटल इन्क्यूबेटर्स (एआईसी) की स्थापना कर रहा है जो देश के प्रत्येक क्षेत्रक/राज्य में संधारणीय स्टार्टअप्स के सफल विकास को प्रेरित करेंगे और संभव बनाएंगे जिससे देश में उद्यमियों और रोजगार प्रदाताओं को बढ़ावा मिलेगा जिसके फलस्वरूप भारत में वाणिज्यिक और सामाजिक उद्यमिता के अवसरों का सृजन होगा और ये वैश्विक स्तर पर लागू होंगे। एआईएम मौजूदा इन्क्यूबेटर्स को उनके प्रचालनों के पैमाने को बढ़ाने के लिए पैमाना बढ़ाने संबंधी सहायता भी प्रदान कर रहा है।

एआईएम ग्रीनफील्ड इन्क्यूबेटर्स की स्थापना करने अथवा मौजूदा इन्क्यूबेटर्स के पैमाने को बढ़ाने के लिए सफल आवेदकों को 10 करोड़ रु. तक की अनुदान प्रदान कर रहा है। उद्देश्य यह है कि 110 स्मार्ट शहरों में से प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक राज्य की शीर्ष 5-10 शैक्षिक/औद्योगिक संस्थाओं में से प्रत्येक को विश्व–स्तरीय इन्क्यूबेटर स्थापित करने की आकांक्षा रखनी चाहिए जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों/उद्योगों में युवाओं/स्टार्टअप समुदायों को नए स्टार्टअप्स का सृजन करने का अवसर मिलेगा।

अब तक 19 अटल इन्क्यूबेटर्स का चयन किया गया है। 2017-2018 के समाप्त होने से पहले हम 50 से अधिक अटल इन्क्यूबेटर्स का चयन कर लेंगे। 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त हुए एआईसी चयन के नवीनतम दौर के लिए हमें 2500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे।

एआईएम द्वारा महिलाओं द्वारा संचालित इन्क्यूबेटर्स और और उद्यमिता संबंधी स्टार्टअप्स को दृढ़तापूर्वक प्रोत्साहित किया जाता है।

इस मामले में भी, भारत में हजारों रोजगार प्रदाताओं का सृजन करने हेतु अन्य मंत्रालयों/राज्यों/क्षेत्रकों/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की सहायता से पैमाने को बढ़ाने की जरूरत होगी।

III. अटल विकास चुनौतियां और अटल महा चुनौतियां-सामाजिक और वाणिज्यिक प्रभाव के लिए प्वाइंट टेक नवप्रवर्तनों और उत्पाद सृजन को बढ़ावा देने के लिए

सामाजिक/आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले विशिष्ट उत्पाद नवप्रवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए एआईएम राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट क्षेत्रों/क्षेत्रकों जैसे कि किफायती आवास, ग्रामीण सूक्ष्मवित्त फिनटेक नवप्रवर्तन, सर्वव्यापक पेयजल, रोबोटिक्स/आईओटी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए स्वच्छ भारत/स्वस्थ भारत, नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा, संवंर्धित और वर्च्युअल रिएलिटी आधारित दूरस्थ शिक्षा, बैटरी प्रौद्योगिकियां आदि में **अटल विकास चुनौतियां/अटल महा चुनौतियां शुरू करेगा।**

सफल आवेदकों को अटल विकास चुनौतियों के लिए 1 करोड़ रु. तक का अनुदान तथा अटल महा चुनौतियों के लिए 30 करोड़ रु. तक का अनुदान मिलेगा।

एआईएम विभिन्न क्षेत्रकों में नए उत्पाद/सेवा विकास को प्रेरित करने हेतु इसी प्रकार की चुनौतियां आरंभ करने के लिए कॉरपोरेट्स और अन्य संस्थाओं के साथ भागीदारी भी कर रहा है। उदाहरण के लिए हाल ही में आयोजित एआईएम–येस बैंक परिवर्तन श्रृंखला 2017 स्मार्ट कृषि राष्ट्र चुनौती में भारत के बी स्कूलों से 27000 विद्यार्थियों की भागीदारी देखी गई और इसमें उच्च कोटि की प्रस्तुतियां देखी गई।

IV. मेंटर इंडिया नेटवर्क - परिवर्तन के परामर्शदाताओं का सृजन

नवप्रवर्तन के पारितंत्र की स्थापना को संभव बनाने के लिए, एआईएम मेंटर इंडिया के नाम से भारत में एक सबसे बड़े परामर्शदात्री नेटवर्क की स्थापना कर रहा है जिसमें व्यावसायिक और उद्योग समुदाय को शामिल किया जाएगा जो अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं तथा एआईसी इन्क्यूबेटर्स/स्टार्टअप्स में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।

5000 से अधिक परामर्शदाताओं को पंजीकृत किया जा चुका है और उन्हें विभिन्न एटीएल/एआईसी आबंटित किए जाएंगे। **इसके अतिरिक्त,** इन पहलों के लिए गहन परामर्श देने और इनकी सफलता सुनिश्चित करने हेतु अनेक कॉरपोरेट संगठन अपने नजदीकी एटीएल/एआईसी के अंगीकरण के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गए है।

II. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम तथा भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में सुधार

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्, भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् का सुधार करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें प्रधान मंत्री के अपर प्रधान सचिव, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आयुष के सचिव शामिल हैं, इस समिति को होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम तथा भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम के विधिक उपबंधों और इनके कार्यकारण की कार्य–रीतियों की जांच करने और आवश्यक सुधारों का सुझाव देने का अधिदेश दिया गया है। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद समिति ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) विधेयक, 2017 तथा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक, 2017 के मसौदे को अंतिम रूप दिया और इन विधेयकों को संसद में रखे जाने के लिए आयुष मंत्रालय को भेज दिया गया है।

III. मुम्बई - अहमदाबाद उच्च-गति रेल (एमएएचएसआर) गलियारा परियोजना

नीति आयोग ने 22 नवम्बर, 2017 को दिल्ली में एमएएचएसआर गलियारा परियोजना की उच्च गति रेलवे संबंधी संयुक्त समिति की छठी बैठक (जेसीएम) आयोजित की। भारतीय पक्ष का नेतृत्व डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग द्वारा किया गया था और जापानी पक्ष का नेतृत्व जापान के प्रधान मंत्री के विशेष सलाहकार डॉ. हीरोतो इजूमी द्वारा किया गया था। इस बैठक में, मेक इन इंडिया, प्रौद्योगिकी अंतरण, ऋण समझौतों, संविदात्मक मुद्दों, भूमि अधिग्रहण और तकनीकी मुद्दों जैसे मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। इस परियोजना के तीव्र कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने के लिए दो कार्यदलों का गठन किया गया है।

IV. द्वीपों का समग्र विकास

i. द्वीपों का विकास

- नीति आयोग को संधारणीय विकास के विशिष्ट मॉडलों के रूप में चिह्नित द्वीपों के समग्र विकास की प्रक्रिया का संचालन करने का अधिदेश दिया गया है। तदनुसार, प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श से, नीति आयोग ने प्रथम चरण में समग्र विकास के लिए 10 द्वीपों का चयन किया है नामतः अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पैकेज I) के स्मिथ, रॉस, लॉग और एविस, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पैकेज II) का लिटिल अंडमान तथा लक्षद्वीप (पैकेज III) के मिनीकॉय, बांगरम, तिनाकरना, चेरियम और सुहेली द्वीप।

- पैकेज I और पैकेज III वाले द्वीपों के लिए संकल्पना विकास योजनाएं और विस्तृत महाआयोजनाएं (मास्टर प्लान) तैयार करने हेतु नीति आयोग द्वारा नियोजित परामर्शदाताओं ने इन दो पैकेजों के संबंध में अक्तूबर 2017 में स्थल विकास संभावना रिपोर्टो का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है। पैकेज II (लिटिल अंडमान) के संबंध में बोलियों के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन का कार्य पूरा किया जा चुका है। संकल्पना विकास योजनाएं और विस्तृत महाआयोजनाएं (मास्टर प्लान) तैयार करने के लिए कार्य सौंपने का कार्य प्रगति पर है।

- द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए)

माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आईडीए की स्थापना 1 जून,2017 को की गई थी। नीति आयोग के सीईओ इस एजेंसी के संयोजक हैं। इसने अब तक दो बैठकें की हैं अर्थात् 24.7.2017 को तथा 8.11.2017 को। आईडीए द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार नीति आयोग अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में द्वीपों का विकास करने के लिए 10-15 अन्य द्वीपों को चिह्नित करने की प्रक्रिया में है।

ii. पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के विकास हेतु कार्य-योजना

पूर्वोत्तर राज्यों और इसी प्रकार की स्थिति वाले पूर्वी राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नीति आयोग में आंतरिक रूप से एक कार्य–योजना का मसौदा तैयार किया गया है। कार्य–योजना का मसौदा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है। कार्य–योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए विश्व बैंक की सहायता ली जाएगी तथा विचारार्थ–विषयों (टीओआर) को अंतिम रूप देने से पूर्व, सभी पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को अपनी सहमति देने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिस्पर्धी सहयोगपूर्ण संघवाद

नीति आयोग का गठन भारत में सहयोगपूर्ण संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने, सुशासन को संभव बनाने और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने वाले सशक्त राज्यों का निर्माण करने के लिए किया गया है। वास्तविक संघीय ढांचे में हासिल किए जाने योग्य अनेक उद्देश्यों का पूरे देश में राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के बिना किसी भी संघीय सरकार के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को हासिल करना असंभव है। अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें बराबर के भागीदारों के रूप में एक साथ मिलकर कार्य करें। सहयोगपूर्ण संघवाद के दो महत्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार हैः

(i) केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विकास एजेंडा तैयार करना

(ii) केंद्रीय मंत्रालयों में राज्य परिप्रेक्ष्यों का समर्थन करना

इसके अनुरुप, नीति आयोग को राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने का अधिदेश दिया गया है। इन प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय उद्देश्यों को परिलक्षित करना चाहिए और राज्यों को सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए। नीति आयोग को, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करने और इन्हें उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तरों तक पहुंचाने में भी राज्यों की मदद करनी चाहिए। इसका उद्देश्य उस चरण, जब विकास नीतियों का निर्णय केंद्र द्वारा लिया जाता था, से वास्तव में संघीय सरकार की दिशा में प्रगति करना है जिसमें राज्य आयोजना प्रक्रिया में बराबर के पणधारक होते हैं।

सरकार की राज्य सरकारों को शामिल करने की नीति, नीति आयोग की विचार–विनिमय की प्रक्रियाओं में अंतर से परिलक्षित होती है। नीति आयोग ने अपने अधिदेश के अनुरुप, 2017-18 में यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं कि राज्य, नीति निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में बराबर के भागीदार हों। इस खंड में ऐसी प्रत्येक पहल पर विस्तृत चर्चा की गई हैः

I. नीति आयोग की शासी परिषद की तीसरी बैठक

नीति आयोग की शासी परिषद की तीसरी बैठक 23 अप्रैल, 2017 को आरबीसीसी, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गृह मंत्री, रेल मंत्री और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री पदेन सदस्यों के रूप में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा वस्त्र मंत्री विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल हुए। इनके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्री, योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के स्थायी सदस्यगण, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल थे। बैठक में, शासी परिषद की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा उसमें लिए गए निर्णयों पर आधारित कृत कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने 15 वर्षीय दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर एक प्रस्तुति दी जिसमें 7 वर्षीय कार्यनीति और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा शामिल था। उन्होंने बैठक में परिचालित कार्य एजेंडे के मसौदे की रूपरेखा बताई जिसे राज्यों के इनपुट के आधार पर तैयार किया गया था। तदुपरान्त, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कृत कार्रवाई रिपोर्ट तथा नीति आयोग की पहलों पर एक प्रस्तुति दी। राजस्व सचिव ने जीएसटी पर एक प्रस्तुति देते हुए इस व्यवस्था के लाभों की व्याख्या की तथा भावी राह की चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से राज्य जीएसटी अधिनियमों के अधिनियमन की गति तेज करने का अनुरोध किया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में एक प्रस्तुति दी। उन्होंने सिंचाई, प्रौद्योगिकी सृजन और प्रसार, नीति और बाजार सुधारों, ई–नैम, पशुधन उत्पादकता आदि जैसे क्षेत्रों को छुआ।

माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्षेत्रीय असंतुलन, भ्रष्टाचार खत्म करने और शासकीय खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा जीईएम प्लेटफॉर्म के उपयोग, विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्यों के जिला खनिज कोष तथा कैम्पा कोष की तरह सुनियोजित तथा संधारणीय कोष उपयोग के लिए मार्गदर्शिका तैयार करने आदि मुद्दों की चर्चा की।

II. "भारत में बदलाव लाने के वाहकों पर राज्य" विषय पर 10 जुलाई, 2017 को राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन

मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में 10 जुलाई, 2017 को आयोजित किया गया। सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री, योजना राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार के सचिवगण, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवगण, प्रशासक और सचिवगण, योजना,वित्त, उद्योग,स्वास्थ्य और कृषि विभागों के प्रभारियों के अतिरिक्त नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यगण और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल थे।

प्रारम्भिक सत्र को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंत्रिमंडल सचिव और नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने संबोधित किया। वक्ताओं ने देश के समक्ष मौजूद विकास चुनौतियों तथा समग्र विकास कार्यनीति और पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यान्वयन करने की आवश्यकता पर बल दिया। तदुपरान्त, विभिन्न विषयों/क्षेत्रकों पर प्रस्तुतियां दी गईं और चर्चाएं की गईं। सम्मेलन के दौरान प्रत्येक मुख्य सचिव ने अपने राज्य की ऐसी सर्वोत्तम कार्यशैली पर 3 मिनट की प्रस्तुति दी जिन्हें अन्य भी आजमा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने इन प्रस्तुतियों के बाद सम्मेलन को संबोधित किया और सर्वोत्तम कार्यशैलियों को अपनाने के काम को बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देश दिए।

III. अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों हेतु विकास सहायता सेवाएं (डीएसएसएस)

नीति आयोग ने राज्यों के लिए विकास सहायता सेवाओं हेतु एक व्यवस्थित पहल को कार्यान्वित किया है जिसका उद्देश्य शासन के सभी स्तरों पर विस्तारित अत्याधुनिक क्षमता वाली अवसंरचना परियोजनाओं की परिवर्तनशील, सतत उपलब्धता हासिल की जा सके।

अवसंरचना क्षेत्रक में पीपीपी में कई सफल उदाहरण हैं किंतु बाजार विफलताओं के कारण कई परियोजनाओं को नुकसान भी हुआ है क्योंकि पीपीपी के मौजूदा दृष्टिकोण की कई सीमाएं रही हैं। अतः अवसंरचना परियोजना उपलब्धता प्ररुपों के पुनरुज्जीवन की नितान्त आवश्यकता है ताकि संधारणीय अवसंरचना सृजन चक्र स्थापित हो सके। सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के स्तर पर पीपीपी में सफलताएं अर्जित करने की दिशा में कार्रवाई हो रही है।

इस परिप्रेक्ष्य में, नीति आयोग की डीएसएसएस पहलों के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं:

- सहयोग के लिए केंद्र–राज्य भागीदारी प्ररुप स्थापित करना
- अवसंरचना परियोजनाओं की डिलीवरी में नएपन और परिवर्तन के लिए मार्की परियोजना शेल्फ का सृजन करना जो उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन को दर्शाता है।
- शासन के एक साधन के रूप में पीपीपी की स्थापना करना जिससे वृहत्तर विकास एजेंडे को बढ़ावा मिले।
- अवसंरचना परियोजनाओं की अवधारणा बनाने, उनका ढांचा तैयार करने और कार्यान्वयन के संबंध में राज्य के समक्ष मौजूद मुख्य ढांचागत चुनौतियों का समाधान करना।
- राज्यों तथा राज्य स्तरीय संस्थानों की सांस्थानिक और संगठनात्मक क्षमताओं का निर्माण करना ताकि अवसंरचना परियोजनाओं की रुपरेखा तैयार हो सके, उनकी अवधारणा बनाई जा सके तथा कार्यान्वयन किया जा सके।

डीएसएसएस अवसंरचना पहल में 10-12 चुनिंदा परियोजनाओं वाली प्रदर्शनीय परियोजना शेल्फ के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को अवधारणा योजना से वित्तीय समापन तक के लिए परियोजना स्तरीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

नीति आयोग ने अवसंरचना के लिए डी3एस–अवसंरचना पहल को औपचारिक रूप प्रदान करने में नीति आयोग के साथ सहभागिता, चुनिंदा परियोजनाओं की सूची बनाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करने और अंतरण प्रबंधन प्रदान करने के लिए मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी (ईवाईएलएलपी) को परामर्शदाता नियुक्त किया है ताकि जमीनी स्तर पर चुनिंदा अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो सके।

नीति आयोग ने राज्यों के साथ एक सुव्यवस्थित आउटरीच कार्यक्रम के तहत दिल्ली में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला (7 मार्च, 2017) चलाई और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन 18 मार्च, 2017 को किया। इस पहल का राज्यों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया और इस आउटरीच के आधार पर ऐसे 18 राज्यों से 400 से ज्यादा परियोजनाएं प्राप्त हुई जिन्होंने इस पहल में हिस्सा लिया था। परियोजना प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया गया और बहुस्तरीय परियोजना चयन फ्रेमवर्क के आधार पर परियोजनाओं का चयन किया गया जिसके लिए प्रस्तुतियों के प्रति प्रत्युत्तरदेयता, तैयारी, भूमि उपलब्धता, प्रभाव, अपनाए जाने की संभाव्यता, जोखिम, व्यवहार्यता आकलन और राज्य प्रतिबद्धता जैसे मानदंड अपनाए गए।

राज्य सरकारों के साथ समझौता–ज्ञापन आधारित भागीदारी के माध्यम से 8 राज्यों की निम्नांकित 11 परियोजनाओं का पीपीपी मोड में विकास के लिए चयन किया गया:

क्रं.सं.	चयनित परियोजनाएं	राज्य
1.	गुवाहाटी में पीपीपी मोड में जैव–प्रौद्योगिकी उद्यान में एक व्यापारिक उद्यम जोन की स्थापना	असम
2.	तमिलनाडु के चिह्नित जिलों में एकीकृत कटाइ–पश्च आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अवसंरचना	तमिलनाडु
3.	हरियाणा में चुनिंदा कमान कवरेज क्षेत्र (सीसीए) क्लस्टरों में एकीकृत समुदाय आधारित सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना	हरियाणा
4.	महाराष्ट्र में चुनिंदा स्थानों पर रो–रो जेट्टी तथा टर्मिनलों का विकास	महाराष्ट्र
5.	मुम्बई में पीपीपी मोड में शिम्पोली के संभागीय खेल परिसर की स्थापना	महाराष्ट्र
6.	पीपीपी मोड में रुड़की का एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	उत्तराखंड
7.	नगालैंड ई–शासन अकादमी तथा दीमापुर(नगालैंड) के पास एक बीपीओ हब का पीपीपी मोड में विकास	नगालैंड
8.	इन्द्र–बाइपास के नजदीक सस्ती आवासीय इकाइयों का विकास	सिक्किम
9.	भुवनेश्वर में बीटीसीडी के लिए स्मार्ट मल्टी–यूटिलिटी	ओडिशा
10.	सम्पूर्ण नगालैंड राज्य में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अवसंरचना का विस्तार	नगालैंड
11.	ऋषिकेश (उत्तराखंड) में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र और हॉस्पिटैलिटी हब	उत्तराखंड

IV. कृषि सुधार

क. कृषि भूमि पट्टाकरण पर आदर्श अधिनियम

नीति आयोग ने आदर्श कृषि भूमि पट्टाकरण अधिनियम का सुझाव देने के लिए 7 सितम्बर, 2015 को एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। विशेषज्ञ समूह ने आदर्श कृषि भूमि पट्टाकरण अधिनियम तैयार किया जिसे 12 अप्रैल, 2016 को www.niti.nic.in पर डाला गया। तदुपरान्त, आदर्श अधिनियम की मुद्रित प्रतियां मुख्य मंत्रियों और राज्यों के मुख्य सचिवों को फरवरी, 2017 माह में उपलब्ध कराई गई ताकि वे अपने भूमि पट्टाकरण कानूनों को अधिनियमित कर सकें। राज्यों का प्रत्युत्तर उत्साहवर्द्धक था क्योंकि 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग के आदर्श अधिनियम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कृषि वर्टिकल ने केंद्र की पहल के कार्यान्वयन हेतु कृषि भूमि पट्टाकरण और कार्ययोजना संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 18 अप्रैल, 2017 को कृषि भूमि पट्टाकरण सुधारः वर्तमान स्थिति और भावी राह विषयक एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में अधिकतर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अलावा केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। यह पाया गया कि उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने भी काश्तकारी कानूनों को आशोधित किया है ताकि भूमि पट्टाकरण को बढ़ावा मिले। मध्यप्रदेश विधानसभा ने कृषि भूमि पट्टाकरण के लिए 29 जुलाई, 2016 को एक विधेयक (भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, 2016) पारित किया है जिसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों ने भी नीति आयोग के आदर्श कृषि

भूमि पट्टाकरण अधिनियम के आधार पर अपने भूमि पट्टाकरण अधिनियमों को आशोधित/अधिनियमित करने की प्रक्रिया शुरु की है।

राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशें

- राज्यों को भूमि पट्टाकरण को विधिक रूप देने की आवश्यकता है ताकि कृषि दक्षता, साम्यता और गरीबी उपशमन को बढ़ावा मिले। इससे कृषि में अत्यन्त आवश्यक उत्पादकता संवर्द्धन और लोगों की व्यावसायिक गतिशीलता तथा त्वरित ग्रामीण परिवर्तन में मदद मिलेगी।
- सभी राज्यों को अपनी आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तन करते हुए सभी क्षेत्रों में भूमि पट्टाकरण को विधिक रूप देना चाहिए ताकि भू–स्वामियों के लिए भू–स्वामित्व अधिकार की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- विभिन्न राज्यों के भूमि कानूनों से, जबरन भूमि को अपने कब्जे में रखने के खंड को हटाया जाए क्योंकि यह भूमि पट्टाकरण बाजार के मुक्त कार्यकरण में अंतःक्षेप करता है।
- कई राज्यों के कानूनों की अपेक्षा के अनुसार, पट्टे की सहमति वाली अवधि के बाद भी, किसी न्यूनतम भू–क्षेत्र को आवश्यक बनाए बगैर,काश्तकारी समाप्त हो जाने के बाद भी काश्तकार को भूमि की स्वतः बहाली की अनुमति दी जाए।
- पट्टे के नियमों और शर्तों को भू–स्वामी और काश्तकार के बीच आपसी रजामंदी से तय होने दिया जाए और न तो भूस्वामी को जमीन खोने का भय रहे और न ही काश्तकार को यह अवांछित अपेक्षा रहे कि वह किसी नियत अवधि तक पट्टेवाली भूमि को निरन्तर अपने पास रखने के कारण स्वामित्व अधिकार हासिल कर सकता है। इससे फसल बोने वालों समेत सभी काश्तकारों को, अनुमानित उत्पादन के वायदे के आधार पर बीमा बैंक से ऋण और बैंक ऋण मिल सकेगा।
- भूमि संवर्द्धन में निवेश करने के लिए काश्तकारों को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें काश्तकारी समाप्त होने के समय निवेश के अप्रयुक्त मूल्य को हासिल करने की पात्रता दी जाए।

ख. कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में सुधारः

नीति आयोग ने तीन प्रमुख सुधारों पर 21 अक्तूबर, 2016 को राज्यों से परामर्श कियाः

(i) कृषि विपणन सुधार

(ii) निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई और वृक्षोत्पाद के लिए ढुलाई कानून

(iii) कृषि भूमि पट्टाकरण

तदुपरान्त, राज्यों और अन्य पक्षों के साथ नीति आयोग और कृषि मंत्रालय के कई परामर्शों के उपरान्त फरवरी, 2017 में आदर्श कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन समिति (एपीएलएमसी) अधिनियम, 2017 को लागू किया गया। एपीएलएमसी अधिनियम, 2017 को लागू करने के लिए राज्यों से भी परामर्श किया जा रहा है।

आदर्श एपीएलएमसी अधिनियम, 2017 की मुख्य विशेषताएं

i. विनियामक एजेंसी के रुप में एपीएमसी के साथ अधिसूचित बाजार क्षेत्र के स्थान पर एकल राज्य–स्तरीय बाजार। अतः अलग–अलग एपीएमसी में व्यापार के लिए अलग से कोई व्यापार लाइसेंस अपेक्षित नहीं होगा।

ii. कृषि विपणन के निदेशक और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक के बीच की शक्तियों और प्रकार्यों का स्पष्ट निरुपण। पूर्ववर्ती को विनियामक प्रकार्य करने होंगे जबकि उत्तरवर्ती को विकासात्मक उत्तरदायित्वों के लिए अधिदेशित किया जाएगा।

iii. निजी थोक बाजारों और किसान उपभोक्ता बाजारों की स्थापना और प्रचालन के लिए अनुकूल माहौल बनाना। इससे सशक्त निजी बाजार बनाने में मदद मिलती है जिसे आदर्श अधिनियम में निर्धारित सीमा के अनुरुप अपने बाजार शुल्क निर्धारित करने का प्राधिकार होता है।

iv. आदर्श अधिनियम में वेयरहाउस/साइलो/शीत भंडारगृहों को बाजार सब–यार्ड के तौर पर अन्य ढांचों/स्थान के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है ताकि किसानों को बेहतर सुविधा/लिंकेज प्रदान किया जा सके।

v. सभी स्थानों पर व्यापार प्रचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने और बाजारों के एकीकरण के लिए ई–व्यापार को बढ़ावा।

vi. राज्य भर में बाजार शुल्क के तौर पर इकाई बिंदु वाली लेवी तथा बाजार शुल्क और कमीशन प्रभारों का युक्तिकरण।

vii. अंतर–राज्यिक व्यापार लाइसेंस, श्रेणीकरण तथा मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के प्रावधान के माध्यम से कृषि उत्पाद के लिए राष्ट्रीय बाजार।

ग. कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम का सुधार

नीति आयोग ने प्रथम "कृषि विपणन और कृषकोन्मुख सुधार सूचकांक" विकसित किया है ताकि राज्यों को तीन मुख्य क्षेत्रों– कृषि बाजार सुधार, भूमि पट्टा सुधार और निजी भूमि पर वानिकी (पेड़ों की कटाई और ढुलाई) में सुधारों की आवश्यकता के प्रति संजीदा बनाया जा सके। इस सूचकांक में न्यूनतम मूल्य "0" है जो कोई भी सुधार न करने को दर्शाने के लिए है और अधिकतम मूल्य "100" है जो चुनिंदा क्षेत्रों में पूर्ण सुधारों को दर्शाता है। विभिन्न कृषि सुधारों के कार्यान्वयन में महाराष्ट्र का स्थान सबसे ऊपर है। इस राज्य ने अधिकतर विपणन सुधारों को कार्यान्वित कर दिया है सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में कृषि–व्यापार के लिए सर्वोत्तम माहौल यहीं है। 100 में से 71.50 अंक के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर रहा जिसके ठीक बाद राजस्थान और मध्यप्रदेश का स्थान है। एएमएफएफआरआई के शुरु होने के बाद कई राज्यों ने विपणन कानूनों को संशोधित किया है। पंजाब ने एपीएलएमसी अधिनियम, 2017 को अंगीकृत कर लिया है और 23 राज्यों ने छोटे वनोत्पाद तथा खेत में ईमारती लकड़ी उत्पाद के लिए कटाई तथा ढुलाई दिशानिर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन अधिनियम,1926 की अनुसूची को आशोधित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करवाया ताकि निजी भूमि पर उत्पादित बांस को वृक्षोत्पाद की सूची से हटाया जा सके। अतः, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरु करने और किसानोन्मुख सुधारों को कार्यान्वित करने में सर्वोत्तम कार्यशैली को प्रश्रय देने के इस सूचकांक के उद्देश्य का प्रभाव दिखना शुरु हो गया है।

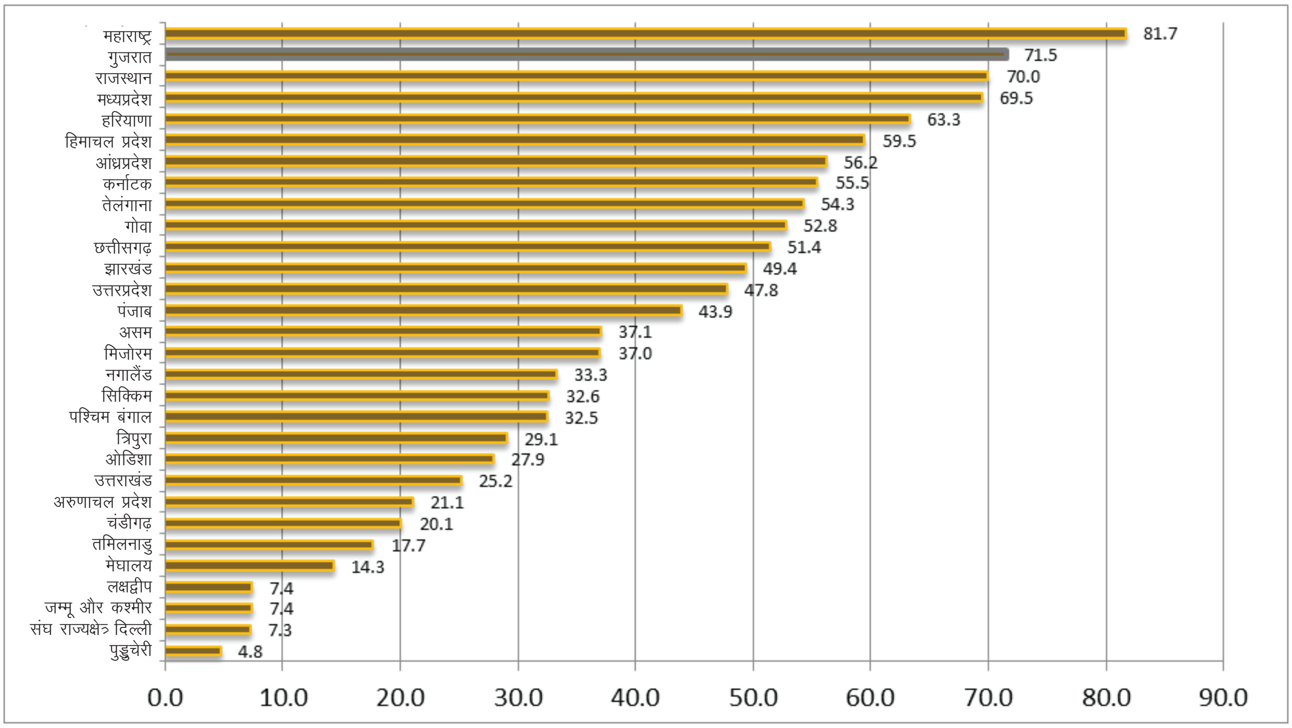

बाद के चरणों में चुनिंदा परियोजनाओं के लिए पूर्व–व्यवहार्यता, परियोजना तैयारी और आयोजना क्रियाकलापों पर जोर रहेगा जिसके बाद वित्तीय बंदी होने तक अंतरण प्रबंधन चक्र के माध्यम से राज्यों की हैंडहोल्डिंग की जाएगी।

V. स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जल क्षेत्र में मुख्य निष्पादन सूचक (केपीआई)

नीति आयोग ने महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास क्षेत्रकों में परिणाम अनुवीक्षण फ्रेमवर्क स्थापित कर सामाजिक पोर्टल के लिए वेबसाइट शुरु किया है जिनमें शामिल है– स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जल क्षेत्र। इस फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के निष्पादन के निर्धारण के लिए इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में केपीआई की दृष्टि से हुए निष्पादन की समीक्षा करना है। प्रत्येक राज्य से कहा गया है कि वे अपने–अपने केपीआई डेटासेट प्रस्तुत करें और नीति आयोग किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से इन यथाप्रस्तुत इनपुट्स की समीक्षा करेगा। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जल क्षेत्र में मैसर्स आईपीई ग्लोबल को मुख्य सत्यापनकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करने को कहा गया है।

VI. परिवर्तन के वाहक

चौंपियंस ऑफ चेंज–ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विषयक दो कार्यशालाएं– स्टार्टअप एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ 16 और 17 अगस्त, 2017 को तथा यंग सीईओ एंड एंटरप्रेन्योर्स के साथ 21 और 22 अगस्त, 2017 को जी२बी की भागीदारी के माध्यम से आयोजित की गई। कार्यशालाओं में 450 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों ने हिस्सा लिया।

पहली कार्यशाला में उद्यमियों के छह समूहों ने अ न्यू इंडिया बाई 2022, डिजिटल इंडिया रीचिंग लास्ट माइल, एजुकेशन एंड स्किल्स, एनर्जाइजिंग अ सस्टेनेबल टुमौरो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और सॉफ्ट पावर इनक्रेडिबल इंडिया जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी।

दूसरी कार्यशाला में युवा सीईओ के छह समूहों ने प्रधानमंत्री के समक्ष सिटीज ऑफ टुमॉरो, डबलिंग फार्मर्स इनकम, मेक इन इंडिया, वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिफॉर्मिंग द फाइनेंशियल सेक्टर और अ न्यू इंडिया बाई 2022 जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां दीं।

VII. सरकारी सेवा उपलब्धता की जीआईएस आधारित आयोजना, प्रबंधन और अनुवीक्षण

इस क्षेत्र में गुजरात का जीआईएस आधारित आयोजना मॉडल सर्वोत्तम कार्यशैली के रूप में उभरा है। इसे गहराई से अनुभव करने के लिए अहमदाबाद में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। नीति आयोग की पहल पर एमईआईटीवाई ने सभी राज्यों में बीआईएसएजी के सहयोग से जीआई आधारित आयोजना को समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की। बीआईएसजी प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अलग–अलग सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। नीति आयोग ने बीआईएसएजी द्वारा तैयार राज्य–विशिष्ट सॉफ्टवेयर के लिए नवम्बर, 2017 में भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन जियो–इनफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) का गहन क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया।

VIII. संघ राज्यक्षेत्रों में विकास स्कीमों की प्रगति का पता लगाने के लिए डेशबोर्ड

नीति आयोग ने सरकार की विभिन्न विकास स्कीमों/परियोजनाओं/पहलों की मासिक प्रगति के अनुवीक्षण और उन पर नजर रखने के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया है जो भारत के संघ राज्यक्षेत्रों की प्रगति की जानकारी देता है। यह डेटा संघ राज्यक्षेत्र भरते हैं, मंत्रालय इसकी विधीक्षा करते हैं और नीति आयोग/गृह मंत्रालय मासिक तथा त्रैमासिक अनुवीक्षण करता है। फिलहाल, यह ट्रैकर 42 विकास स्कीमों/परियोजनाओं/पहलों की प्रगति का अनुवीक्षण करता है। इस अनुवीक्षण के कारण संघ राज्यक्षेत्रों में सेवाओं की उपलब्धता पर असर पड़ा है। इसका यूआरएल है: http://progresstracker.in/

IX. शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण

सलाहकार (एमयू) की अध्यक्षता में, सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज और टीमासेक फाउंडेशन इंटरनेशनल, सिंगापुर की टीम के साथ 04-10-2017 को बैठक हुई ताकि शहरी नेताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए संभावित क्षेत्रों और उसके रोडमैप पर चर्चा की जा सके। तदुपरान्त सिंगापुर गणतंत्र की सरकार के महामहिम उच्चायुक्त ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से 12-10-2017 को मुलाकात की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि शहरी नेताओं

के क्षमता विकास कार्यक्रम के दूसरे चरण को जारी रखा जाए। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नवम्बर 2015 में हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत सात राज्यों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का पहला चरण जनवरी, 2017 में पूरा कर लिया गया। क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रथम चरण के सहभागियों द्वारा विकसित तीन फ्रेमवर्कों को अंतिम रूप दिया जा रहा है:(i) एकीकृत डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क (ii) जल पुनर्चक्रण हेतु कार्यनीतिक फ्रेमवर्क और (iii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा पीपीपी के लिए कार्यनीतिक फ्रेमवर्क। क्षमता निर्माण के दूसरे चरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जा रहा है।

थिंक टैंक के कार्य

I. भारत का विजन दस्तावेज

तीन वर्षीय कार्य एजेण्डा

तीन वर्षीय कार्य एजेण्डा में 2017-18 से 2019-20 की अवधि आती है, अर्थात चौदहवें वित्त आयोग के अंतिम वर्ष। उत्तरोत्तर मुक्त और उदार अर्थव्यवस्था के साथ और वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई वास्तविकताओं को देखते हुए विकास प्रक्रिया की परिकल्पना करने में साधनों और दृष्टिकोणों के बारे में दोबारा सोचने की आवश्यकता है। कार्य एजेण्डा फ्रेमवर्क हमें भारत की बदली हुई वस्तुस्थिति के अनुरूप बेहतर तरीके से विकास कार्यनीति बनाने में मदद करता है। एजेण्डा तैयार करने में नीति आयोग ने राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों से इनपुट्स मांगे और प्राप्त किए। वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों पत्रकारों के समूहों स्वैच्छिक संगठनों, उद्योग संघों और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, रक्षा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ गहन परामर्शी बैठकें की। कई विशेषज्ञों ने लाभकारी लिखित सुझाव भी दिए।

मसौदा एजेण्डा नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्यों को 23 अप्रैल, 2017 को परिचालित किया गया। तत्पश्चात अनेक राज्यों और उनके मुख्य मंत्रियों ने मसौदा दस्तावेज पर टिप्पणियां दी। इसमें ऐसे महत्त्वाकांक्षी किन्तु प्राप्त प्रस्ताव शामिल हैं जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था में दूरगामी बदलाव के लिए हासिल किया जा सकता है। जहां जरूरी है वहां हमने केन्द्र के प्रयासों में सहायक राज्यों द्वारा लिए जाने वाले संभावित कार्यकलापों को शामिल किया है। इस दस्तावेज के 7 भाग और 24 अध्याय हैं जिसमें कृषि, उद्योग और सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल–संसाधन प्रबंधन, तीन वर्षीय राजस्व और व्यय फ्रेमवर्क संबंधी व्यापक क्षेत्र शमिल हैं।

तीन वर्षीय कार्य एजेण्डा– 2017-18 से 2019-20 के अन्तिम संस्करण को अन्तिम रूप दे दिया गया है और माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और तत्कालीन नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अरविन्द पानगड़िया के साथ 24 अगस्त, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अनावरण किया। उपर्युक्त दस्तावेज पब्लिक डोमेन में है और नीति आयोग की वेबसाइट www.niti.gov.in पर उपलब्ध है।

II. 12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन दस्तावेज

12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है और 23 अप्रैल, 2017 को माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में परिचालित किया गया जो पब्लिक डोमेन में है और नीति आयोग की वेबसाइट (www.niti@gov.in) पर उपलब्ध है।

III. नीति आयोग द्वारा आयोजित भारत परिवर्तन व्याख्यान माला

नीति आयोग की भारत परिवर्तन व्याख्यान माला के तहत तीसरा व्याख्यान माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में 25 मई, 2017 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। डॉ. माइकल ई. पोर्टर, विख्यात अमरीकी व्यापार रणनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और लेखक ने ''राष्ट्रों और राज्यों की प्रतिस्पर्धात्मकताः नई दृष्टि'' विषय पर मुख्य भाषण दिया। इसके बाद पैनल चर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र हुआ जिसमें श्री माइकल ग्रीन, सीईओ, सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव, श्री आदिल जेनुलभाई, चेयरमेन, क्वालिटी काउन्सिल आफ इंडिया और श्री प्रामथ राज सिंहा, आईएसबी एण्ड अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर शामिल थे। स्वागत भाषण और धन्यवाद ज्ञापन श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग द्वारा दिया गया।

IV. किसानों की आय को दुगुना करना:

किसानों की आय को दुगुना करना–मूलाधार, कार्यनीति, संभावनाएं और कार्य योजना पर ऐसा पहला नीति दस्तावेज प्रो. रमेशचन्द्र, सदस्य, नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया। इसमें त्रिआयामी कार्यनीति पर फोकस किया गया है (i) विकास पहलें, प्रौद्योगिकी और (iii) किसानों की आय को दुगुना करने के लिए नीति पत्र में कृषि में नीति सुधार सुझाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रक में बेहतर अवसरों के साथ किसानों की आय को बढ़ाने हेतु उत्पादकता बढ़ाने, फसल तीव्रीकरण, उच्च मूल्य की वस्तुओं के लिए लक्षित विविधीकरण, व्यापार की शर्तों में परिवर्तन मुख्य आधार सुझाए गए हैं। दस्तावेज में उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय को काफी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली और पारम्परिक

कृषि में सुधार भी सुझाए गए हैं। अनुसंधान और विकास संस्थानों को अपने पैकेजों में आधारिक नवप्रवर्तनों और पारम्परिक पद्धतियों को भी शामिल करना चाहिए जो लचीली, संधारणीय और आय संवर्धनकारी हैं। किसानों की आय में एक तिहाई वृद्धि बेहतर कीमत वसूली, कुशल फसल उपरांत प्रबंधन, प्रतिस्पर्धी मूल्य श्रृंखला और संबद्ध कार्यकलापों के अंगीकरण के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए बाजार, भूमि पट्टा, और निजी भूमि पर पेड़ लगाने में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। आधुनिक पूंजी और आधुनिक जानकारी की कमी के कारण कृषि को नुकसान हुआ है। इसी प्रकार छोटे कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने में एफपीओ और एफपीसी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रतिस्पर्धी बाजार या सरकार अंतःक्षेप के माध्यम से कृषि उपज के लिए केवल एमएसपी सुनिश्चित करने से कई राज्यों में किसानों की आय में काफी बढ़ोत्तरी होगी।

v. आउटकम बजट और उत्पादन-परिणाम फ्रेमवर्क

वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के आउटकम बजट के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डीएमईओ को कहा है। डीएमईओ ने इस प्रयोजन के लिए वेब आधारित इंटरएक्टिव डैशबोर्ड विकसित किया है और लगभग 69 मंत्रालयों/विभागों की सूचना वाले समग्र आउटकम बजट दस्तावेज को डैश बोर्ड पर अपलोड कर दिया गया है। मंत्रालय/विभागों को डैशबोर्ड पर पहुंच दी गई है ताकि वे ऑनलाइन आधार पर डैशबोर्ड पर डेटा अपलोड कर सकें।

इस डैशबोर्ड का उन्नयन का कार्य प्रगति पर है जिसके बाद यह मंत्रालयों की एमआईएस से स्वतः डेटा हासिल करने और सूक्ष्म जानकारी अर्थात राज्य और जिला स्तरीय डेटा उपलब्ध कराने में समर्थ हो जाएगा।

आउटकम बजट डैशबोर्ड के स्क्रीन शॉट नीचे दिए गए हैं:

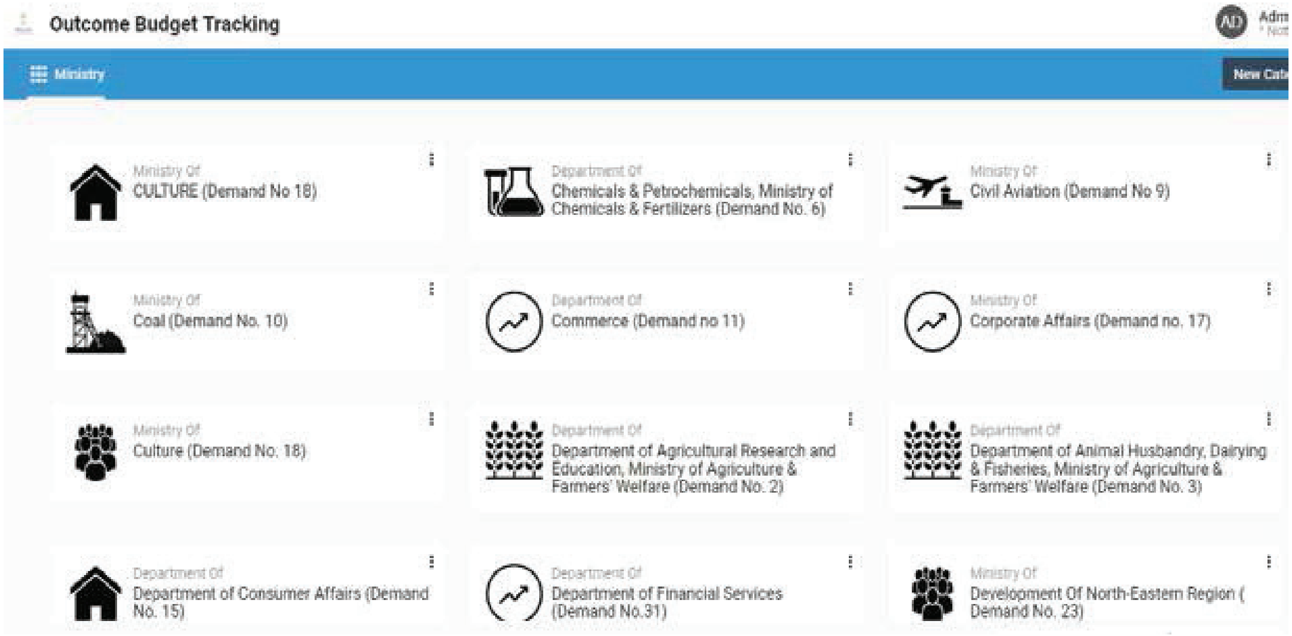

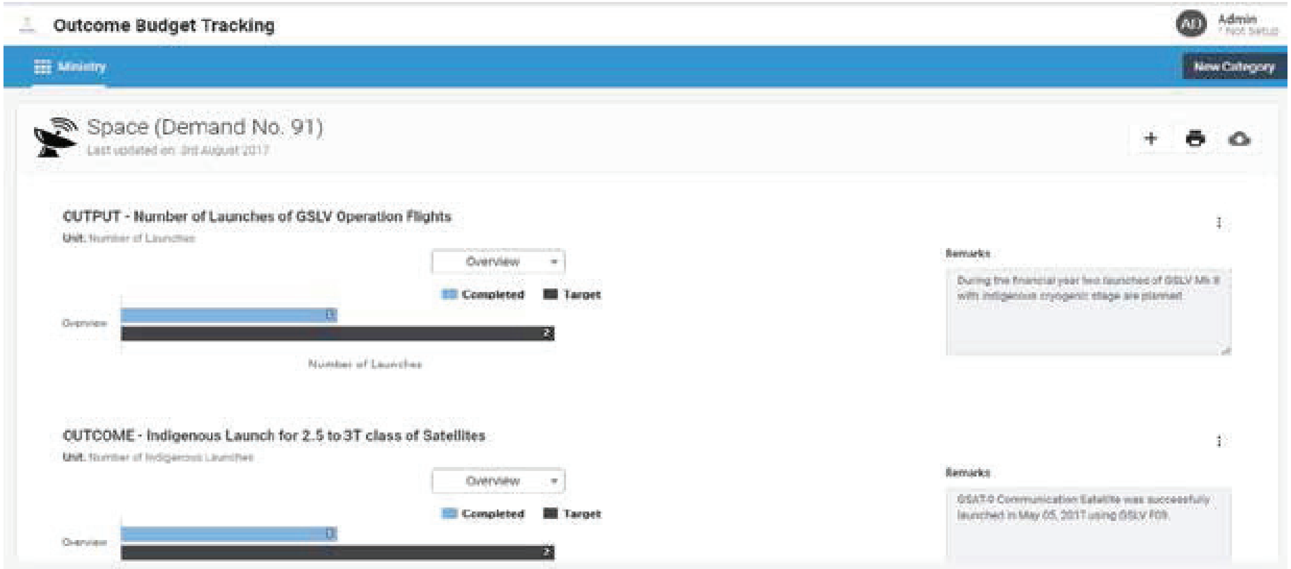

डीएमईओ ने संगत उत्पादन (आउटपुट) और परिणामों (आउटकम) तथा इनकी निगरानी करने हेतु मात्रात्मक और परिमेय संकेतकों को चिह्नित करके और इनकी समीक्षा के द्वारा आउटपुट–आउटकम फ्रेमवर्क में गुणात्मक सुधार लाने के लिए एक कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएमईओ बाह्य एजेंसी की सहायता से और कार्य–निष्पादन की निगरानी के संबंध में सर्वश्रेष्ठ अंतराष्ट्रीय पद्धतियों का अनुपालन करते हुए एक विश्लेषणात्मक साधन नामतः कार्यनीतिक परिणाम सत्यापन प्रक्रिया (एसओवीपी) का उपयोग करते हुए एक मानकीकृत कार्यनीति अपनाई है। एसओवीपी पारम्परिक परिणाम श्रृंखला अर्थात इनपुट्स–एक्टिविटीज–आउटपुट्स–आउटकम्स–इम्पेक्ट्स पर आधारित है। इस कार्रवाई के माध्यम से पहचान किए गए संकेतकों को वित्त मंत्रालय आउटकम बजटः 2018-19 में शामिल करेगा। निम्नलिखित दृष्टिकोण और प्राथमिकता का डीएमईओ द्वारा 72 मंत्रालयों और विभागों की 750 स्कीमों को शामिल करते हुए किया गयाः

- 2017-18 में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बजट परिव्यय वाली स्कीमों के लिए डीएमईओ ने संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके संकेतकों को अंतिम रूप दिया। 500 करोड़ रुपये से अधिक की स्कीमों को प्राथमिकता दी गई।
- 100 करोड़ रु. से कम बजट परिव्यय वाली स्कीमों के लिए मंत्रालयों से उत्पादन, परिणाम और संकेतकों को तैयार करने और डीएमईओ से साझा करने के लिए कहा गया।

इस कार्यवाही का बजट कवरेज निम्नानुसार हैः

स्कीम परिव्यय (करोड़ रू.)	स्कीमों की संख्या	मूल्य (लाख करोड़ रू.)	परिणाम में प्रतिशत	मूल्य में प्रतिशत
> 500	150	9.38	~20%	95%
100-500	181	0.45	~24%	4.50%
<100	438	0.1	~56%	0.50%

विषयक विभागीय कार्य योजना

8 विषयक क्षेत्रों पर सचिवों के 8 समूहों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए

गए विषयक विभागीय कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी डीएमईओ कर रहा है। तथापि मंत्रिमंडल सचिव के निदेश पर यह कार्य मार्च, 2017 में सचिवों के क्षेत्रकीय समूह को अन्तरित कर दिया गया।

VI. वैश्विक उद्यमिता शिखर-सम्मेलन 2017

भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने 28-30 नवम्बर के दौरान हैदराबाद, भारत में वैश्विक उद्यमिता शिखर–सम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने किया और अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमरीका के राष्ट्रपति की सलाहकार सुश्री इवांका ट्रंप द्वारा किया गया। शिखर–सम्मेलन 2017 का विषय था 'सबसे पहले महिलाएं, सभी के लिए समृद्धि और इसका उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना था जो नवप्रवर्तकों विशेषकर महिलाओं को अपने विचार अगले स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाए। इस शिखर–सम्मेलन ने चार प्रमुख उद्योग क्षेत्रकों: ऊर्जा और अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान, वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल इकॉनमी, और मीडिया तथा मनोरंजन पर ध्यान केन्द्रित किया।

भारत सरकार की ओर से नीति आयोग ने भारत में जीईएस–2017 का आयोजन करने में अग्रणी भूमिका निभाई। जीईएस के आयोजन से पूर्व, उद्यमिता की संस्कृति को प्रेरित करने के लिए सितम्बर से नवम्बर, 2017 के दौरान सारे देश में विभिन्न भागीदारों के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिखर–सम्मेलन में उद्यमियों और निवेशकों, प्रमुख ज्ञान–आधारित उद्योग जगत के सीईओ सहित 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागी वास्तव में विश्व भर के ये जो लगभग 150 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इनमें विश्व के प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनधित्व था।

नीति आयोग ने हैदराबाद में जीईएस 2017 के आयोजन संबंधी सभी गतिविधियों का समन्वय किया। नीति आयोग ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद इन्टरनेशनल कन्वेन्शन सैन्टर, हैदराबाद में 28-30 नवम्बर, 2017 के दौरान 8वें वैश्विक उद्यमिता शिखर–सम्मेलन (जीईएस) 2017 का आयोजन किया। जीईएस–2017 का विषय था 'सबसे पहले महिलाएं: सभी के लिए समृद्धि' शिखर–सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 28 नवम्बर, 2017 को किया

गया। शिखर–सम्मेलन में अतिथियों और भारत सरकार, तेलंगाना सरकार के अधिकारियों और व्हाइट हाउस, संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधियों सहित 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक उद्यमियों, निवेशकों और वक्ताओं ने भाग लिया 400 से अधिक उद्यमियों, निवेशकों और वक्ताओं वाले अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमरीका के राष्ट्रपति की सलाहकार सुश्री इवांका ट्रंप ने किया।

शिखर–सम्मेलन में लगभग 50 तकनीकी सत्र और अनेक पिचिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विभिन्न देशों के 175 से अधिक वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए। शिखर–सम्मेलन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अत्यधिक तरजीही मिली।

VII. चिह्नित आकांक्षी जिलों के रूपांतरण के कार्यक्रम को शुरू करना

भारत में 115 चिह्नित जिलों, जिन्होंने विभिन्न विकास संकेतकों पर अपेक्षाकृत कम प्रगति दर्शाई है, के तीव्रता से रूपांतरण के लिए एक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई जिसे समीक्षाधीन वर्ष में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास पथ पर है परन्तु यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2016 में 188 राष्ट्रों में भारत 131वें स्थान पर है। प्रमुख सामाजिक परिणामों को प्राप्त करने में इसकी कार्य निष्पादन इसकी विकास गाथा के अनुरूप नहीं है। चूंकि सामाजिक परिणामों को प्राप्त करने में प्रमुख अंतर–राज्य और अंतर जिला विभिन्नताएं हैं, यह आवश्यक है कि अल्प–विकसित जिलों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सघन प्रयास किए जाएं। इन जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रगति से एचडीआई के पैमाने पर देश की रैंकिंग में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होगी और इससे एसडीजी प्राप्त करने में देश को मदद भी मिलेगी तथा यह 2022 तक नया भारत के सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

दृष्टिकोण को केन्द्रित रखने के लिए कार्यक्रम में निम्नलिखित क्षेत्रकों पर बल दिया गया है:

क) स्वास्थ्य और पोषण

ख) शिक्षा

ग) कृषि और जल संसाधन

घ) वित्तीय समावेशन और कौशल विकास

ङ) बुनियादी अवसंरचना जिसमें सड़क, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण और अलग–अलग घर में शौचालयों तक पहुंच शामिल है।

इस कार्यक्रम के लिए 28 राज्यों में 115 जिलों की पहचान की गई है। इनका चयन संयोजित सूचकांक का उपयोग करते हुए पारदर्शी और डेटा आधारित प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। इस सूचकांक में सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना के तहत परिगणित स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वंचन और सड़क पहुंच, अलग–अलग घर में शौचालय, पेयजल तक पहुंच और घर में बिजली सहित बुनियादी अवसंरचना संबंधी प्रकाशित डेटा शामिल है।

राज्य इस कार्यक्रम के मुख्य वाहक हैं। जिला प्रशासन की सहायता के लिए, केन्द्र और राज्य सरकारों ने इन जिलों के लिए प्रभारी अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को नामित किया गया है। ये प्रभारी अधिकारी अपने अनुभव के कारण जिलों का मार्गदर्शन करने की स्थिति में हैं और वे केन्द्र और राज्य के बीच पुल के रूप में कार्य करेंगे।

इस कार्यक्रम की मुख्य कार्यनीति को निम्नानुसार संक्षेप में बताया जा सकता है:

– राज्य मुख्य वाहक के रूप में

– प्रत्येक जिले के सबल पक्षों पर कार्य करना

– विकास को इन जिलों में जन आंदोलन बनाना

– जिलों के सबल पक्षों की पहचान करके अपेक्षाकृत सुलभ कार्यों को चिह्नित किया जाए ताकि विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सके।

जिला मजिस्ट्रेट की सहायता और सतत आधार पर जिले को दर्जा देने के लिए नीति आयोग मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक की तत्क्षण निगरानी प्रक्रिया विकसित कर रहा है। इससे काफी प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है।

कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन 5 जून, 2018 को अम्बेडकर इन्टरनेशनल सैन्टर, नई दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में हुआ जहां माननीय प्रधान मंत्री ने इन जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को संबोधित किया।

इस बैठक में, जिसमें केन्द्रीय मंत्रियों, सचिवों और केन्द्रीय तथा राज्य प्रभारियों ने भाग लिया, प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना के चिह्नित विषयों पर इन जिलों के रूपांतरण की अपनी कार्यनीतियां प्रस्तुत की। माननीय प्रधान मंत्री ने प्रतिभागियों को निदेश दिया कि वे स्थानीय नेताओं के साथ–साथ नागरिकों को शामिल करके विकास को एक जन आंदोलन बनाएं। उन्होंने इन आकांक्षी जिलों के रूपांतरण में योगदान देने वाले सभी हितधारकों के लिए इसे एक महान अवसर बताया और उम्मीद जाहिर की कि प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित ऊर्जा इन जिलों के नागरिकों के लिए एक शुभ संकेत है।

(viii) ''आर्थिक नीति और भावी राह'' पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा

नीति आयोग ने 10 जनवरी, 2018 को 'आर्थिक नीति और भावी राह' विषय पर 40 से अधिक विख्यात अर्थशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों के साथ एक चर्चा सत्र का आयोजन किया जिसमें भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने भाग लिया। सत्र के दौरान, प्रतिभागियों ने विभिन्न विषयों जैसे मेक्रोइकानामिक संकेतकों, कृषि, ग्रामीण विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, विनिर्माण और निर्यात, शहरी विकास, अवसंरचना और संपर्कता पर अपने विचार साझा किए। सत्र में अनेक केन्द्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री ने भाग लिया।

क्षेत्रकीय उद्देश्य और उपलब्धियां

1. कृषि

(i) फसल, बागवानी और पशुधन संबंधी मांग और आपूर्ति का अनुमानः कृषि वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के परिदृश्य का पता लगाने के लिए और अगले 15 वर्षों के लिए अनुमान लगाने के लिए 29 जुलाई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू–110018/02/2016–कृषि. के तहत एक कार्यदल का गठन किया गया। कार्यदल द्वारा विभिन्न परामर्श बैठकों का आयोजन किया गया और नवंबर, 2017 के अंत में रिपोर्ट का अंतिम मसौदा सौंप दिया गया। अंतिम मसौदा रिपोर्ट को नवंबर 2017 के अंत में सौंपा गया। मसौदा रिपोर्ट अन्य बातों के साथ–साथ भारतीय कृषि के निष्पादन और विकास प्रवृत्तियों के संबंध में जानकारी, कृषि और किसानों के कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों, उर्वरकों, बीज, चारे और अन्य (सामग्री) इनपुटों के लिए भविष्यवाणियां, 2032-33 तक कृषि वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के अनुमान और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने और कार्यक्रम संबंधी अंतःक्षेपों के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अपेक्षित नीतिगत अंतः क्षेप के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाती है।

कार्यदल के विचारार्थ विषय

(क) कृषि क्षेत्र, कृषि उत्पादकता, कृषि क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र के लिए हुए निवेश तथा कृषक आय की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना और विश्लेषण करना तथा उनकी बेहतरी के लिए नीतिगत पहलों और अन्य अंतःक्षेपों के सुझाव देना ।

(ख) खाद्य और अन्य संबद्ध वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकता और उपभोग आदत की पड़ताल करना ।

(ग) 2019-20, 2023-24 और 2032-33 के लिए उर्वरकों, बीजों, ऋण, भोजन तथा चारे और अन्य इनपुट की मांग और आपूर्ति का आकलन करना और मांग पूरा करने तथा बेहतर उपयोग दक्षता प्राप्त करने के लिए इनपुट के उचित प्रबंधन के सुझाव देना ।

(घ) कृषि मशीनीकरण की सीमा का आकलन करना और इसे बढ़ाने के सुझाव देना जिसमें सभी कृषि इम्प्लीमेंट और मशीनें/उपकरण शामिल हैं।

(ङ) 12वीं योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों के निष्पादन की समीक्षा करना कि उत्पादन के लक्ष्य की दृष्टि से उन्हें जारी रखा जाना है या नहीं और स्कीम की बेहतरी के लिए आशोधनों के सुझाव देना तथा राज्यों तथा केंद्र सरकार द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में व्यय की प्राथमिकता का विश्लेषण करना ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके।

(च) चावल, गेहूं, मक्का और अन्य मोटे अनाजों, दालों, तिलहन, गन्ना, कपास, पटसन, फलों, सब्जियों, फूलों और पशु उत्पादों, यथा–दूध, मांस, अंडे, मछली तथा ऊन आदि की आवश्यकता का आकलन करना जिसमें वर्ष और अंतिम वर्ष 2019-20, 2023-24 और 2032-33 के लिए उनकी मांग और निर्यात, घरेलू अनुमान लगाना शामिल हैं।

(ii) पशुधन और डेयरी उद्योग का संधारणीय विकासः फसल क्षेत्रक की तुलना में पशुधन क्षेत्रक में तीव्रतम विकास की संभावना है और इस प्रकार 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने में यह महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकता है। संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने पशुधन और डेयरी उद्योग के संधारणीय और त्वरित विकास के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु 16 अगस्त, 2017 को विचार–विमर्श सत्र का आयोजन किया। राज्यों का प्रतिनिधित्व कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया और राज्य पशुचिकित्सा विश्वविद्यालयों के उप–कुलपति, उद्योगों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और केन्द्रीय मंत्रालयों ने बैठक में भाग लिया।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस क्षेत्रक को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना और नई पहलें सुझायी गईं। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मुर्गीपालन और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का पालन और अहाता कृषि के लिए भावी संभावनाओं को सुप्रवाही बनाने संबंधी विचारों और 'फसल–पशुधन' एकीकरण में आजीविका समर्थन पर बल दिया गया। तय किए गए प्रमुख बिन्दुओं में शामिल हैं:

(क) हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए चुनिंदा हरे चारे को उगाने के लिए संभावित अजोत–भूमि और अवक्रमित भूमि का चित्रण,

(ख) चारा, छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का विकास, पक्षियों की छंटाई, मवेशियों का नस्ल सुधार और कौशल विकास के लिए नीतियां,

(ग) सामुदायिक डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कलस्टर आधारित ग्रामीण डेयरी उद्योग और राष्ट्रीय कृषि बाजार से दुग्ध विपणन का एकीकरण,

किसानों की आय को दुगुना करने के लिए प्रेरक

'किसानों की आय को दुगुना करने' संबंधी नीति आयोग का नीति पत्र किसानों की आय को दुगुना करने के लिए कई विकास प्रेरक बताए गए हैं। पशुपालन और डेयरी क्षेत्रक का विकास 4.5% से 6% अभिकल्पित किया गया है। यह दुग्ध, अंडा और मांस आदि का उत्पादन और प्रसंस्करण बढ़ाने के लिए पशुपालन, डेयरी उद्योग, मुर्गीपालन, सूअर पालन और मत्स्यपालन की संभावनाओं का सदुपयोग करने से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सभी प्रमुख पणधारकों के सम्मिलित प्रयासों से हासिल किया जा सकता है।

(घ) क्षेत्रक के लिए बेहतर शासन कार्यान्वित करने के लिए पशुपालन, डेयरी विकास और मुर्गीपालन का एकीकृत डेटा बेस,

(ङ) कृषि के समान गैर–वाणिज्यिक डेयरी और पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए निम्न लागत रियायती उधार नीति,

(iii) **किसानों के लिए मूल्य समर्थनः** एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप कृषि की लागत से 50ः अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की पृष्ठ भूमि में, उत्पादन लागत अर्थात् ए2 लागतों (परिवर्तनीय लागतों सहित अवसर लागतों) के विशेष संदर्भ सहित चयनित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की समीक्षा संबंधी बढ़े हुए मूल्य समर्थन की संभावनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए नीति आयोग में 01 जुलाई, 2017 को एक बैठक आयोजित की गई। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने चर्चा में भाग लिया और कृषि संबंधी संकट के प्रमुख कारणों को विस्तार से समझाया। उन्होंने भूमि सुधार, जल नीति और मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से उत्पादकता, प्रौद्योगिकी सुधार और पहुँच, संस्थागत उधार की प्रचुरता और समयबद्धता, और सुनिश्चित और लाभकारी विपणन के लिए अवसरों की आवश्यकता को दुहराया। उन्होंने लघु कृषि भूमि वाले किसानों की कृषिगत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए दृढ़तापूर्वक सिफारिश की। धान और गेहूँ, विशेष रूप से जौ और अन्य न्यूट्री–अनाज फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कार्यान्वयन में पर्याप्त सुधार होना चाहिए। कृषि उत्पादों के विपणन, भंडारण और प्रंसस्करण संबंधी राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियमों में परिवर्तन करके इन्हें स्थानीय उत्पादों के लिए ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विकास को बढ़ावा देने वाले और एकल भारतीय बाजार की ओर अग्रसर करने वाले बनाए जाने की आवश्यकता है। डॉ. स्वामीनाथन ने सदस्य कृषि) और आदर्श कृषि भूमि पट्टाकरण अधिनियम,

2016, कृषि विपणन सुधार सूचकांक और "किसानों की आय को दुगुना करना–मूलाधार, कार्यनीति, संभावनाएं और कार्ययोजना" संबंधी नीति पत्र के लिए नीति आयोग की प्रशंसा की।

(iv) **इंडिया@75 के लिए विकास एजेंडाः** इंडिया@2022 के लिए कृषि और संबद्ध कार्यकलापों संबंधी विकास एजेंडा पर विचार–विमर्श करने और सुझाव देने के लिए सदस्य प्रोफेसर रमेश चन्द की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह की एक बैठक 21 सिंतबर, 2017 की आयोजित हुई। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, मूल्य श्रृंखला सृजन, विविधीकरण बेहतर प्रौद्योगिकी, नीति सुधार और शासन के लिए कृषि का आधुनिकीकरण और ग्रामीण अवसंरचना के लिए अंतःक्षेपों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए विषय–क्षेत्र–संबंधी खाका तैयार कर लिया गया है। नये भारत में कृषि के लिए विकास एजेंडा कृषि में निम्न सात लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रण करता हैः विकास, स्थायित्व, कार्य क्षमता, खाद्य और पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, संधारणीयता और किसानों की आय।

(v) **कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के लिए विजनः** कृषि वर्टिकल को विजन दस्तावेज, 2030 तैयार करने का कार्य सौंपा गया जो कृषि संबद्ध क्षेत्रकों से संबंधित है । इसमें उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, लाभों को अधिकतम करना और 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए नीति पहलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रकों संबंधी 15 वर्षीय विजन दस्तावेज मसौदा संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत निर्धारित लक्ष्यों के साथ सामंजस्य रखता है। "राष्ट्रीय विकास एजेंडा" के एक भाग के रूप में बड़े विजन को कार्यान्वित करने योग्य नीति में बदलने के लिए 3 वर्षों के उपरांत मध्यावधि समीक्षा और 2017-20 के लिए 3–वर्षीय कार्ययोजना सहित 7–वर्षीय कार्यनीति 2017–18 से 2023–24 तक भी तैयार कर ली गई है।

(vi) **पूर्वोत्तर में बांस विकास के लिए कार्य योजनाः** बांस विकास विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रक में इसके उपयोग के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, नामतः कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भूसंसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और सामाजिक कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श से कार्य योजना तैयार की गई।

(vii) **भावंतर भुगतान संबंधी प्रायोगिक योजनाः** न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकार द्वारा वास्तविक खरीद के विकल्प के रूप में भावंतर भुगतान संबंधी संकल्पना नोट तैयार किया गया तथा महाराष्ट्र राज्य में कपास के लिए और मध्य प्रदेश राज्य में दालों के लिए प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों नामतः कृषि, वाणिज्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की गईं। मध्य प्रदेश सरकार 8 फसलों नामतः सोयाबीन, मूंगफली, तिल, नाइजर, मक्का, उड़द, मूंग और तूर के मामले में भावंतर भुगतान योजना पर एक प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। अक्तूबर 2017 में आवक अक्तूबर, 2016 की तुलना में 23% अधिक रही है। 5 फसलों (सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूंग, मूंगफली) के 262678 टन उत्पादन के व्यापार के लिए 16 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2017 तक की अवधि के लिए भावंतर भुगतान योजना (बीबीवाई) के तहत 1,25,416 किसानों को 160.84 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किए जाने की संभावना है।

(viii) **कृषि-बीमा के लिए प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगः** प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है। यह स्कीम किसानों की आय को स्थायित्व प्रदान करने और उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, प्राकृतिक आपदाओं, नाशी जीवों और बीमारियों के फलस्वरूप किसी अधिसूचित फसल

के खराब हो जाने, बुआई–रहित क्षेत्र तथा फसल उत्पादन की क्षति के मामलों में किसानों को बीमा सुरक्षा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इस स्कीम में अगले 3 वर्षो के अंदर 50 प्रतिशत कृषि परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है। पिछले एक मौसम में इसके कार्यान्वयन के दौरान किसानों, बीमा कंपनियों तथा राज्य सरकारों द्वारा नामांकन, पैदावार अनुमान, हानि आकलन और दावा निपटान से संबंधित अनेक चुनौतियों की सूचना दी गई। यह भी महसूस किया गया ऐसे अनेक प्रौद्योगिकीय अवसर विद्यमान हैं जिनका लाभ उठाकर फसल बीमा कार्यक्रम की कुशलता और कारगरता को बढ़ाया जा सकता है। माननीय प्रधान मंत्री ने एक बैठक में नीति आयोग को इस विषय पर विचार–विमर्श करने और ऐसे संभावित अवसरों का पता लगाने हेतु एक कार्यदल गठित करने का निदेश दिया। नीति आयोग में 30 जून, 2016 को कार्यदल गठित किया गया था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट 18 जनवरी, 2017 को सौंप दी थी।

विचारार्थ विषय

(क) फसल, पशुधन और जलीय कृषि संबंधी बीमा के लिए भारत और पूरे विश्व भर में तकनीक के उपयोग और उपलब्धता का आकलन और विश्लेषण करना,

(ख) फसलों, पशुधन और जलीय कृषि में हुए नुकसान के आकलन की प्रौद्योगिकीय क्षमता का आकलन करना,

(ग) प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य संकटों के कारण फसल, जलीय कृषि और पशुधन के नुकसान वाले इलाके में प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकियों) की क्षमता का आकलन करना,

(घ) फसल, पशुधन और जलीय कृषि को क्षेत्रफल और गंभीरता–दोनों की दृष्टि से हुए नुकसान का त्वरित आकलन करने के लिए उपयुक्त और सस्ती प्रौद्योगिकियों का सुझाव देना।

सिफारिशें

- पंजीकरण, बीमा–किस्त के भुगतान और ई–रसीदें जारी करने की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसे व्यापक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का विकास करना जिसका भुगतान के माध्यमों के साथ 24X7 संपर्क हो।
- राज्यों को जागरुकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक फसल मौसम में नामांकन के समय बड़े पैमाने पर अभियान चलाना चाहिए और इसी के साथ–साथ तत्क्षण नामांकन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
- यदि बीमा–किस्त के भुगतान के बाद घोषित फसल परिवर्तित कर दी जाती है तो बुआई के प्रमाण–पत्र के रूप में किसानों द्वारा प्रस्तुत की गई जियोटैग्ड और टाइम स्टाम्प्ड फोटो को स्वीकार करने के लिए पीएमबीएफवाई दिशानिर्देशों में ढील दी जानी चाहिए।
- सीसीई को इसके वर्तमान स्वरूप में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाए और इसे हानि आकलन के लिए प्रौद्योगिकीय समाधानों से प्रतिस्थापित किया जाए। ऐसे होने तक, एसएयू/केवीके के स्टाफ, किसानों, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों को शामिल करते हुए मोबाइल एप्स के उपयोग से समस्त सीसीई की पुष्टि, निगरानी और रिपोर्ट की जाए।
- सीसीई को निष्पक्ष और तीव्र फसल हानि आकलन पद्धतियों से प्रतिस्थापित करने हेतु सभी राज्य सरकारों को राज्य में कृषि–पारिस्थितिकीय विविधता के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन और प्रौद्योगिकीय विकल्पों की उपयुक्तता के लिए तत्काल 6-12 माह की परियोजना शुरू करनी चाहिए।
- बीमा कंपनियों को निम्नलिखित का उपयोग करते हुए दोहरे ट्रिगर उत्पाद का विकास और मूल्यांकन करना चाहिए क) मध्यावधिक मौसम दावा गणना और बीमित व्यक्ति को भुगतान के लिए उपग्रह मौसम डेटा और ख) अंतिम हानि आकलन और दावा निपटान के लिए उपज सूचकांक

(ix) **इमारती लकड़ी के उत्पादन में आत्मनिर्भरताः** वनेतर भूमि से इमारती लकड़ी के स्रोतों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने से किसानों की आय को दुगुना करने, रोजगार सृजन, आयात पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु अतिरिक्त वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन–डाई–ऑक्साइड में 2.5–3 बिलियन टन की कमी लाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, कृषि और किसान कल्याण तथा वाणिज्य एवं उद्योग सहित मंत्रालय के परामर्श से वनेतर भूमि पर वृक्षारोपण की सुगमता को बढ़ाने हेतु उचित विनियामक और गैर–विनियामक कार्यनीतियों की सिफारिश की गई।

(x) **किसानों की आय को दुगुना करना-परिवर्तन के समर्थकः** प्रधान मंत्री ने 2022 तक अर्थात् हमारी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक कृषि आय को दुगुना करने की घोषणा की। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि इसके लिए किसानों की आय में 10.41 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करना अपेक्षित हो सकता है। कृषि से सम्बद्ध महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए परिवर्तन के समर्थकों के मंच ने किसानों की आय को दुगुना करने हेतु उद्योग के लिए कार्रवाई–योग्य कार्ययोजना के रूप में उत्पादकता, सिंचाई, मूल्य श्रृंखला, फसल गहनता, विविधीकरण तथा कृषि में निवेश बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले विषयों को उठाया। अंततोगत्वा, भावी कार्रवाई के लिए निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं संपन्न की गईः

उत्पादकता	कृषि यंत्रीकरण के लिए विशिष्ट सेवाओं हेतु उद्योगों की भूमिका, अत्याधुनिक कृषि विस्तारय स्तरीय रोपण सामग्री, उन्नत अनुसंधान एवं विकास निवेश।
सिंचाई	भूमि विकास हेतु पीपीपी, वित्त पोषण के लिए विकल्पी मॉडल और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का कार्यकरण।
विविधीकरण	अवसंरचना में क्षेत्रीय असंतुलनों का समाधान, छोटे किसानों को बड़े पैमाने की किफायत उपलब्ध कराने हेतु समूहों का गठन, कृषि के लिए क्षेत्रीय ब्रैंडिंग को प्रोत्साहन, पशुपालन और मात्स्यिकी में गुणवत्ता और मानकीकरण।
फसल गहनता	कृषि भूमि के कुशल उपयोग हेतु क्षमता निर्माण के लिए किसानों को ज्ञान, बीजों, निवेश–सामग्री और बाजार संयोजनों के लिए मार्गदर्शन।
मूल्य श्रृंखला	लाभकारी वाणिज्यीकरण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक, मूल्य श्रृंखलाओं के सृजन और क्षमता निर्माण में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी तथा वित्त और बाजार उपलब्धता।
निवेश	गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री/प्रमाणित बीजों की आपूर्ति को बढ़ाने हेतु पूंजी निवेश तथा मूल्य श्रृंखला में कृषि–व्यवसाय उद्योग का सृजन।

(xi) **अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः** फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल का दौराः प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कार्य–प्रणाली के ब्यौरों की जानकारी लेने हेतु डॉ. नास्सेर जगोब, प्रमुख (महानिदेशक), फिलिस्तीनी कृषि आंपदा जोखिम न्यूनीकरण और बीमा निधि (पीएडीआरआरआईएफ), कृषि मंत्रालय, फिलिस्तीन स्टेट के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ–साथ अफ्रीकी–एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ) के प्राधिकारियों ने 15 नवम्बर, 2017 को नीति आयोग का दौरा किया। अध्ययन दल ने फिलिस्तीन में अपनाए जा रहे कृषि और सिंचाई कार्यकलापों का ब्यौरा साझा किया। कृषि और सिंचाई कार्यकलापों का ब्यौरा साझा किया। कृषि जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय ने 2013 में फिलिस्तीनी कृषि आपदा जोखिम न्यूनीकरण और बीमा निधि की स्थापना की। पीएडीआरआरआईएफ, जो 2014 में प्रचालन में आया, दो मुख्य कार्यो को एक ही अम्ब्रैला के अंतर्गत लाता हैः (i) कृषि क्षेत्रक के लिए बीमा और जोखिम प्रबंधन, और (ii) कृषि कार्यकलापों में हुए नुकसान के लिए प्रत्यक्ष मुआवजा। पीएडीआरआरआईएफ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप (डब्ल्यूबीजीएस) प्राकृतिक और पर्यावरणीय आपदाओं की वजह से कृषि क्षेत्रक के जोखिमों को मान्यता प्रदान करता है। भारत सरकार ने मई 2017 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर फिलिस्तीन के साथ समझौता–ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया।

(xii) **सूखा आकलन और किसानों को राहतः** कृषि वर्टिकल सूखा, ओलावृष्टि, शीत लहर आदि की वजह से फसल और पशुधन आदि की हुए नुकसान का आकलने करने हेतु मंत्रालय द्वारा गठित किए गए अंतर–मंत्रालयी केन्द्रीय दलों (आईएमसीटी) में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान, आईएमसीटी ने खरीफ, 2016 में गंभीर सूखे की वजह से हुए नुकसान का आकलन करने हेतु केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों का दौरा किया। केरल को खरीफ, 2016 और रबी, 2016–17 में एकसाथ नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों, छत्तीसगढ़ के 19 जिलों और केरल के 14

जिलों में सूखे की घोषणा की गई। इन राज्यों में सूखे की वजह से सूचित किया गया कुल क्षतिग्रस्त क्षेत्र 33% से अधिक था और यह केरल में 0.542 लाख हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ में 6.05 लाख हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 18.64 लाख हेक्टेयर था। आईएमसीटी ने एनडीआरएफ से केरल के लिए 112.05 करोड़ रु. तथा छत्तीसगढ़ के लिए 395.91 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता की सिफारिश की। मध्य प्रदेश के लिए आईएमसीटी की सिफारिशों को अभी निश्चित रूप नहीं दिया गया है।

दुर्ग, बेमेतरा, महासमुंद में केंद्रीय दल ने देखा 'सूखा'

(xiii) कृषि संबंधी नीतिगत लेख/चर्चा लेख

(क) भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बदलता ढांचाः रोजगार और विकास पर प्रभावः

इस लेख में विकास के विश्लेषण तथा उत्पादन और रोजगार के संघटन के आधार पर विगत चार दशकों के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की जांच की गई है। आय और रोजगार में ग्रामीण–शहरी असमानताओं को समझने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों की शहरी अर्थव्यवस्था के साथ तुलना की गई है। इस परिवर्तन ने ग्रामीण आय में कृषि की हिस्सेदारी को घटा दिया है और 2004–05 से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर–कृषि आय का प्रभुत्व रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण उत्पादन अब शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। तथापि, ग्रामीण भारत में कृषि अभी भी रोजगार का एक मुख्य साधन है। गैर–कृषि क्षेत्रक के अंतर्गत, समय के साथ, विनिर्माण क्षेत्रक के उत्पादन में वृद्धि में तेजी आई है जबकि इस क्षेत्रक में सृजित अतिरिक्त रोजगार में समय के साथ कमी आई है। 2004–05 के बाद विनिर्माण क्षेत्रक में रोजगारों की वृद्धि लगभग न के बराबर रही है। निर्माण क्षेत्रक में रोजगार में काफी वृद्धि हुई है परंतु यह इतनी अधिक नहीं है कि कृषि त्यागने वाले सभी कामगारों को नियोजित कर सके। इसका निवल परिणाम यह रहा है कि 2004–05 के बाद ग्रामीण रोजगार में कमी आई है। इस गिरावट ने पुरूषों की तुलना में महिलाओं को अधिक हानि पहुंचाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रकों में उत्पादन और रोजगार में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गए हैं और विनिर्माण, सेवा और निर्माण क्षेत्रकों में रोजगारों का सृजन करने की ओर तत्काल ध्यान देना अपेक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों के सृजन के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण पर पूर्णतया पुनर्विचार करना अपेक्षित है।

(ख) भारत में फसल उत्पादन लागत में परिवर्तनः निवेश-सामग्री की कीमतें, प्रतिस्थापन और प्रौद्योगिकीय प्रभावः

इस अध्ययन ने विगत 25 वर्षों के दौरान समेकित स्तर पर फसल कृषि के अर्थशास्त्र की जांच की है, लागत वृद्धि के स्रोतों को चिह्नित किया है और उत्पादन लागत पर कारक कीमतों, प्रतिस्थापन के प्रभावों तथा प्रौद्योगिकीय प्रभावों का मूल्यांकन किया है। परिणाम दर्शाते हैं कि विगत 25 वर्षों के दौरान लागत की तुलना में सकल लाभ में अननुपातिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप फसल उद्यम से परिवर्ती लाभ दरें मिलीं। 2007–08 से 2014–15 के दौरान, औसत लागत मुद्रास्फीति 13 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई जिसमें आधे से अधिक हिस्सा केवल बढ़ती श्रम लागत का था। इसके अतिरिक्त, समेकित स्तर पर, भौतिक निवेश–सामग्री के उपयोग में मामूली वृद्धि हुई और कृषि लागत की वृद्धि में एक बड़ा हिस्सा निवेश–सामग्री की बढ़ती कीमतों का था। निवेश–सामग्री की अनुमानित ऋणात्मक और अप्रत्यास्थ मांग से निवेश–सामग्री की कीमतों विशेषकर श्रमिक मजदूरी पर नियंत्रण रखते हुए लागतों को घटाने की गुंजाइश के बारे में पता चला।

प्रतिस्थापन की अनुमानित प्रत्यास्थता ने श्रम और मशीन के बीच त्रुटिपूर्ण प्रतिस्थापन दर्शाया और कृषि यंत्रीकरण का वर्तमान स्तर भारतीय कृषि में मजदूरी में वृद्धि पर आधारित लागत मुद्रास्फीति को प्रति–संतुलित करने के लिए अपर्याप्त है। अतः छोटे कृषि क्षेत्रों के लिए उपयुक्त और किफायती फार्म मशीनरी के विकास तथा कस्टम हायरिंग के मार्फत इसकी उपलब्धता में सुधार के माध्यम से उचित फार्म यंत्रीकरण में तेजी लाना आवश्यक है। इस अध्ययन से, बढ़ती लागतों को प्रति–संतुलित करने के लिए उपज सुधार की धीमी दर के बारे में भी पता चला।

2. स्वास्थ्य

हाल के दशकों में, भारत ने स्वास्थ्य परिणामों की दृष्टि से तीव्र प्रगति की है किंतु ये परिणाम इसी अवधि के दौरान आर्थिक विकास की गति के अनुरुप नहीं रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में, हमने शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर और प्रजनन दरों में उल्लेखनीय कमी लाने में सफलता प्राप्त की है। किंतु विभिन्न राज्यों में उपलब्धियों में अंतर चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से परिवर्तनकारी बदलाव लाने वाले कार्यों की गति को तेज करने में स्वास्थ्य प्रभाग की भूमिका अहम है। हमारा प्रयास प्राथमिक मुद्दों को मुख्य मुद्दा बनाने और नीति निर्माताओं तथा सभी संबद्ध पक्षों का ध्यान आकर्षित करने का रहा है ताकि उन समस्याओं का समाधान प्राथमिकतापूर्वक किया जा सके जिनके कारण इस क्षेत्र की प्रगति रुकी हुई है।

यह वर्टिकल नीति आयोग का निम्नांकित में प्रतिनिधित्व करता है:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, राष्ट्रीय औषधि निर्माण मूल्यन प्राधिकरण तथा औषधि निर्माण विभाग की विभिन्न समितियां।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान और औषधि निर्माण विभाग से संबंधित ईएफसी/एसएफसी।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, भारतीय लोक स्वास्थ्य फाउंडेशन के वैज्ञानिक सलाहकार समूह।

प्रभाग के मुख्य उत्तरदायित्व

- राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रक में राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रकों और कार्यनीतियों का साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
- मुख्य पक्षों और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय समविचारी थिंक टैंकों और शैक्षिक तथा नीति अनुसंधान संस्थाओं को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र संबंधी सलाह देना और उनके बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रक में अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखना, संधारणीय और समानतापूर्ण विकास में सुशासन और सर्वोत्तम कार्यशैली बनाए रखना तथा सभी पक्षों में उनका प्रसार करने में सहयोग देना।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्रभाग की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार रही:

I. नीति आयोग का 3 वर्षीय कार्य एजेंडा

त्रि–वर्षीय कार्य एजेंडा 15 वर्षीय दृष्टिकोण के पहले हिस्से के तौर पर विकसित किया गया था। शिक्षाविदों, विकास भागीदारों, दाता एजेंसियों, सिविल सोसायटी संगठनों तथा राज्यों से परामर्श के जरिए और लिखित रुप में भी इनपुट प्राप्त किए गए। तदनुसार, अगले तीन वर्षों में निम्नांकित विषयों पर किए जाने वाले प्राथमिक कार्य तय किए गए:

I. सार्वजनिक और निवारक स्वास्थ्य
II. स्वास्थ्य सेवा आश्वासन
III. बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए वित्तीय अंतरण
IV. स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन
V. औषधियों की उपलब्धता
VI. स्वास्थ्य अनुसंधान

II. भारतीय चिकित्सा परिषद में सुधार

मार्च, 2016 में स्वास्थ्य क्षेत्रक की समीक्षा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय चिकित्सा परिषद में सुधार के सभी विकल्पों की पड़ताल करने और भावी राह सुझाने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन

किया जिसमें प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा स्वास्थ्य सचिव शामिल हैं। समिति ने विभिन्न विशेषज्ञों से विचार और सुझाव मांगे जिनमें जाने–माने फिजिशियन और शल्य–चिकित्सक, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा भारतीय चिकित्सा परिषद के अन्य सदस्यगण, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा वकीलगण शामिल हैं। "समिति ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक"[1] का मसौदा चर्चाओं के बाद तैयार किया। व्यापक चर्चा के बाद, समिति ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया ताकि भारतीय चिकित्सा परिषद को प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से प्रतिस्थापित किया जा सके। विधेयक को संघीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है।

III. स्वास्थ्य परिणामों के संबंध में राज्यों के निष्पादन का आकलन- स्वास्थ्य परिणाम सूचकांक पर निष्पादन

सहकारितापूर्ण और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना से जनसंख्या स्वास्थ्य में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक पहल की शुरुआत की है ताकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक निष्पादन को मापा जा सके और परिवर्तन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की जा सके तथा राज्यों के समग्र निष्पादन की स्थिति भी जानी जा सके। इस सूचकांक में तीन पहलुओं–परिणाम, शासन और सूचना तथा मुख्य इनपुटों/प्रक्रियाओं के सीमित सूचक शामिल हैं। इस सूचकांक को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों, देश–विदेश के विशेषज्ञों तथा विकास भागीदारों के साथ परामर्श से विकसित किया गया था। इसके अलावा, डेटा उपलब्धता के लिए दो राज्यों में पूर्व–परीक्षण भी किया गया था। राज्यों को सूचक परिभाषाओं, डेटा स्रोतों और डेटा प्रस्तुति प्रक्रिया के संबंध में कई क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से संजीदा बनाया गया। राज्यों और खासकर ईएजी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और परामर्शदाता उपलब्ध कराए जाने के इच्छुक राज्यों को परामर्शदाता उपलब्ध कराए गए। राज्यों ने नीति आयोग द्वारा तैयार पोर्टल पर ऑनलाइन डेटा उपलब्ध कराए तथा सार्वजनिक डोमेन के स्रोतों वाला डेटा पहले ही भरा हुआ था। तत्पश्चात इस डेटा को एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया और सत्यापित डेटा का पोर्टल पर स्वतः सृजित सूचकांक मूल्यों और रैंकों में एक इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस कार्य से एक व्यवस्थित आउटपुट और आउटपुट आधारित निष्पादन माप की आधारशिला तैयार होती है। अनुमान है कि इस साधन से राज्यों को बहुआयामी अंतःक्षेपों के लिए प्रेरणा मिलेगी जिनसे बहुअपेक्षित जनसंख्या स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। सूचंकाक के परिणाम social.niti.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

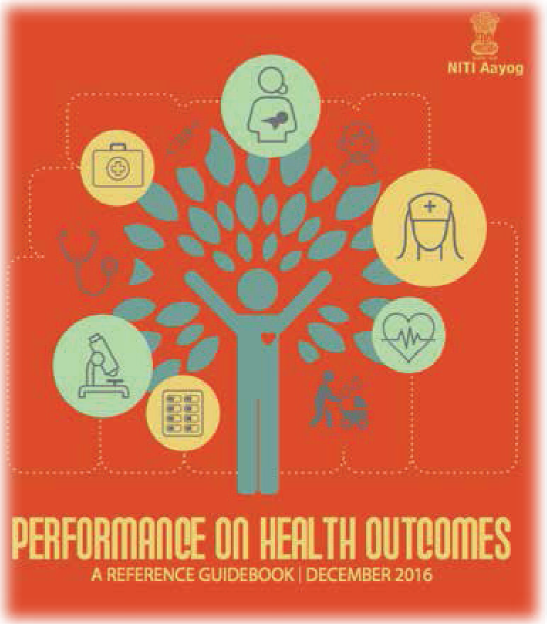

IV. मानव पूंजी परिवर्तन हेतु संधारणीय कार्य (साथ) कार्यक्रम

V. नीति आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्रक में बदलाव लाने, राज्यों के साथ नियमित आधार पर सुव्यवस्थित सहायता पहलों के माध्यम से सहकारितापूर्ण संघवाद सशक्त करने के लिए राज्यों के लिए सहायक सेवाओं का विकास (साथ कार्यक्रम के रूप में पुनर्नामित) कार्यक्रम शुरु किया है। इसका उद्देश्य भावी रोल मॉडल राज्यों की सुव्यवस्थित प्रक्रिया से पहचान करना, चयनित राज्यों में सर्वोत्तम कार्यशैली प्ररुपों का सृजन करना तथा कार्यान्वयन प्ररुपों का प्रसार करना है। यह अपनी तरह

1 http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/MCI%20Report%20.pdf

का एक अनूठा कार्यक्रम है जिसकी रूपरेखा 3 वर्षों की अवधि में तीन राज्यों की स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलाव की शुरुआत करना है।

इस कार्यक्रम के तहत तकनीकी भागीदारों का एक समूह सेवाएं उपलब्ध करा रहा है जिसमें मैकिंजी एंड कम्पनी तथा आईपीई ग्लोबल जैसे तकनीकी भागीदार शामिल हैं जिनका चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत चयनित तीन राज्य हैं– उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और असम।

VI. जिला स्तर पर पीपीपी मोड में असंचारी रोगों के लिए निवारक और उपचारी सेवाओं के प्रावधान के लिए आदर्श रियायती समझौतों का विकास

VII. जिला अस्पतालों के निष्पादन का पता लगाना

मार्च, 2016 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रक की समीक्षा के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि सरकारी अस्पतालों के परिणाम–आधारित निष्पादन का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सृजित किया जाए और नीति आयोग को इसका फ्रेमवर्क तैयार करने का अधिदेश दिया गया। यह महसूस किया गया है कि जिला अस्पतालों के लिए काफी धन आवंटन तथा स्वास्थ्य सेवा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद ऐसी कोई व्यापक प्रणाली नहीं है जिससे परिणामों के आधार पर उनके निष्पादन का आकलन किया जा सके। इस कार्य के लिए संबंधित पक्षों,यथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ परामर्श किए गए। फ्रेमवर्क की रूपरेखा इस प्रकार बनाई गई है जिससे अस्पतालों का समग्र आकलन किया जा सके। इसमें चुनिंदा सूचक शामिल हैं जिनके आधार पर जिला अस्पतालों का निष्पादन मापा जाएगा। पोर्टल विकसित करने और जिला अस्पतालों के निष्पादन के आकलन के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान का चयन किया गया है। इसके साथ–साथ ही फील्ड के डेटा का तृतीय पक्ष सत्यापन एजेंसी से सत्यापन कराया जाएगा।

VIII. औषधि निर्माण क्षेत्र में सुधार

प्रधानमंत्री कार्यालय में मार्च, 2017 में आयोजित औषधि निर्माण मुद्दों की समीक्षा विषयक बैठक में दिए गए अधिदेश के अनुसार, नीति आयोग ने राष्ट्रीय औषधि निर्माण नीति संबंधी प्रस्ताव में बदलावों का सुझाव देने के लिए नीति आयोग ने एक बैठक की अध्यक्षता की थी। नीति आयोग ने मसौदा नीति की समीक्षा की और नीति को अधिक समावेशी बनाने तथा इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति–2017, पूर्ण स्वास्थ्य सेवा, आयुष औषधि, टीकों, औषधियों के सम्यक उपयोग, केंद्रीकृत सरकारी खरीद, उत्कृष्टता केंद्रों के सृजन हेतु दवा निर्माण से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम का सार्वजनिक–निजी भागीदारी के साथ पुनर्प्रयोजन, प्रौद्योगिकी तथा ई–शासन पर बल, अनुसंधान और विकास तथा नवप्रवर्तन से जोड़ने की सिफारिश की। इसने निजी औषधि निर्माण उद्योग के विकास, मेक इन इंडिया के लिए सहूलियतें देने, औषधि निर्माण इन्ग्रेडिएंट (एपीआई), कौशल विकास तथा निर्यात संवर्द्धन के सक्रिय केंद्र के रुप में प्रोत्साहित करने की सिफारिश भी की। इसने सुझाव दिया कि विकास के लिए अवसर सृजित करने की भावी नीति बनाने, सशक्त सार्वजनिक खरीद प्रणाली की स्थापना के लिए

स्पष्ट मार्गनिर्देश तैयार करने तथा गुणवत्ता आश्वासन विनियामक तंत्र के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। नीति आयोग चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक के विकास के लिए भी अवसरों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

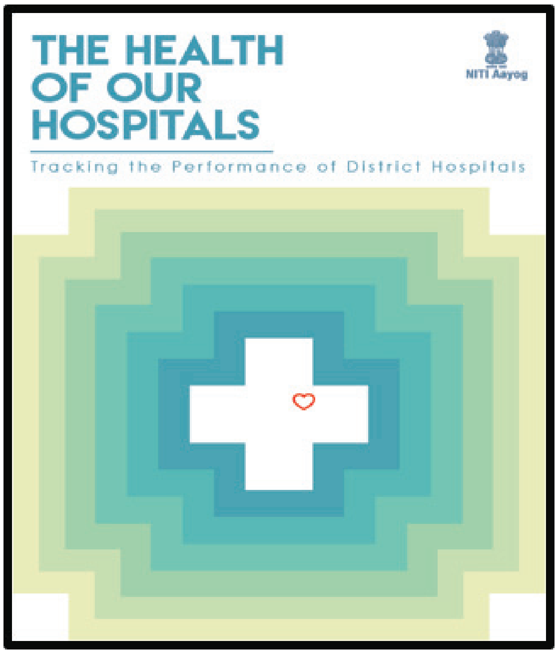

IX. एनआईपीईआर का मूल्यांकनः

वित्त मंत्रालय ने नीति आयोग से मौजूदा एनआईपीईआर का मूल्यांकन करने और निम्नांकित कार्य के उपरान्त एक उपयुक्त मार्गनिर्देश की सिफारिश करने का अनुरोध किया थाः

- मौजूदा एनआईपीईआर के निष्पादन और उपयोगिता का मूल्यांकन
- वित्तीय अपेक्षा का मूल्यांकन करना और उन्हें पूर्ण स्ववित्तपोषित बनाने के तरीकों का सुझाव देना
- इस बात का आकलन करना कि फिलहाल भारत को अधिक एनआईपीईआर की आवश्यकता है अथवा मौजूदा को ही समेकित किया जा सकता है।

एनआईपीईआर भारत सरकार के रसायन और ऊर्वरक मंत्रालय के औषधि निर्माण विभाग के अंतर्गत गठित एक संस्था है। नीति आयोग ने एक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट दी थी और अन्य के साथ–साथ यह सिफारिश की थी कि सभी एनआईपीईआर को अपने कामकाज के तौर–तरीक को नए सिरे से व्यवस्थित करने और परिणामों का गहन आकलन करने की आवश्यकता है ताकि देश में औषधि निर्माण शिक्षा और अनुसंधान में उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

X. इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख

नीति आयोग फिलहाल पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख (ईएचआर) के कार्यान्वयन हेतु एक मार्गनिर्देश तैयार करने पर काम कर रहा है। अभिकल्पित ईएचआर प्रणाली से प्रत्येक व्यक्ति का लम्बवत चिकित्सा अभिलेख सृजित करने और उसे सभी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी। इससे स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता की गुणवत्ता और दक्षता तो बढ़ेगी ही, स्वास्थ्य सूचना विश्लेषण के माध्यम से गहन दृष्टि सार्वजनिक नीति निर्माण और चिकित्सा अनुसंधान में भी मदद मिलेगी। इस परियोजना के अंग के तौर पर, नीति आयोग सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं पर ध्यान रखे हुए है, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा दिशानिर्देशों को परिभाषित कर रहा है, अंतर–प्रचालनीयता को सुनिश्चित कर रहा है, सांस्थानिक फ्रेमवर्क स्थापित कर रहा है और ईएचआर प्रणाली के अंगीकरण को तेज करने के उपाय कर रहा है।

3. महिला और बाल विकास

महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) प्रभाग नीति आयोग में एक नोडल प्रभाग है जो महिलाओं को आत्मविश्वास, गरिमा, आर्थिक और शैक्षिक योग्यता के साथ जीवन बिताने के लिए उनका सशक्तिकरण करने तथा बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और संरक्षात्मक माहौल उपलब्ध करवाकर उनकी पूर्ण क्षमता विकसित करने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने हेतु महिलाओं और बच्चों की समग्र उत्तरजीविता, विकास, संरक्षा और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों का निरीक्षण करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस प्रभाग द्वारा किए गए प्रमुख कार्यकलापों का सारांश निम्नानुसार हैः

1. राष्ट्रीय पोषण कार्यनीति जारी करनाः विकास एजेंडा में पोषण को एक अहम स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से डब्ल्यूसीडी प्रभाग द्वारा पोषण कार्यनीति जारी की गई है।

2. विकास एजेंडा, 2022 के लिए जेंडर और पोषण संबंधी पेपरः प्रभाग ने विकास एजेंडा पेपर, 2022 तैयार करने हेतु सुझाव प्राप्त करने के लिए पोषण और जेंडर संबंधी हितधारकों के साथ बैठकें कीं। तदनुसार, उक्त दोनों मुद्दों पर पेपर तैयार कर लिए गए हैं।

3. एनएनएम के कार्य में सहयोगः डब्ल्यूसीडी प्रभाग नीतिगत निदेश, समीक्षा और मंत्रालयों (जिनका पोषण की चुनौती के संबंध में क्षेत्रकीय दायित्व होगा) के बीच कारगर समन्वय और अभिसरण के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर एक राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत तकनीकी सहायता एकक की स्थापना करने का कार्य कर रहा है।

4. पीएमएमवीवाई का मूल्यांकनः माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार, मातृत्व लाभ कार्यक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जाना है। इसमें मातृत्व लाभ पाने वाली महिलाओं को छोड़कर वे सभी गर्भवती महिलाएं और दुग्धपान करवाने वाली माताएं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) पात्र हैं जो परिवार में पहले बच्चे के लिए 01.01.2017 को अथवा इसके बाद गर्भवती हैं। इसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं: i) मजदूरी की हानि के लिए नकद प्रोत्साहनों के रूप में आंशिक प्रतिपूर्ति करना ताकि महिला पहले जीवित बच्चे के प्रसव से पूर्व और इसके बाद पर्याप्त विश्राम कर सके और ii) दिए गए नकद प्रोत्साहन से पीडब्लयू एंड एलएम में बेहतर स्वास्थ्य के प्रति व्यवहारात्मक परिवर्तन आएगा। प्रधान मंत्री कार्यालय के अधिदेश के अनुसार, नीति आयोग को मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अनुवीक्षण और मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। तदनुसार, एमडब्ल्यूसीडी और राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर पहली तिमाही रिपोर्ट और डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं और उन्हें पीएमओ के साथ साझा किया गया है।

5. फील्ड दौरों का आयोजनः प्राप्त होने वाले राशन (टीएचआर) तथा गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों की देखभाल के संबंध में राज्यों की पहलों का प्रलेखन करने हेतु विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय तथा नीति आयोग के डब्ल्यूसीडी प्रभाग के सदस्यों वाली टीम ने सितम्बर और अक्तूबर 2017 में चार राज्यों नामतः राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात का फील्ड दौरा किया। इस अध्ययन में, एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के तहत नेमी टीएचआर के संघटन, आपूर्ति, उपयोग और उद्ग्रहण संबंधी पहलों का प्रलेखन किया गया और इस प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा पोषण पर अधिक प्रभाव डालने हेतु विकल्पों का सुझाव दिया गया।

6. महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्कीमों का मूल्यांकन और जांचः डब्ल्यूसीडी प्रभाग ने परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग के सहयोग से निम्नलिखित की जांच कीः (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एनएमईडब्ल्यू, स्वाधार गृह, उज्ज्वला, कामकाजी महिला आवास, जैंडर बजटिंग) के संबंध में ''महिला संरक्षा और सशक्तिकरण मिशन संबंधी अम्ब्रैला स्कीम'' को चौदहवें वित्त आयोग की अवधि अर्थात् 2017–18 से 2019–20 के दौरान जारी रखने हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) का ज्ञापन, महिला शक्ति केन्द्र स्कीम के लिए प्रारूप ईएफसी ज्ञापन, 14वें वित्त आयोग की अवधि 2017–18 से 2019–20 के दौरान ''महिला संरक्षा और सशक्तिकरण मिशन'' संबंधी अम्ब्रैला स्कीम के तहत चालू उप–स्कीमों को जारी रखने और

एक नई स्कीम 'महिला शक्ति केन्द्र' को शुरू करने संबंधी प्रारूप ईएफसी ज्ञापन, तथा केन्द्रीय कल्याण बोर्ड का परिवार परामर्श केन्द्र स्कीम संबंधी ईएफसी ज्ञापन।

इसके अतिरिक्त, इस प्रभाग ने राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) की स्थापना करने हेतु प्रारूप मंत्रिमंडल नोट और तस्करी–रोधी प्रारूप विधेयक की भी जांच की।

7. विभिन्न मंचों पर नीति आयोग का प्रतिनिधित्वः प्रभाग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों अर्थात् एसटीईपी, उज्ज्वला, स्वाधार गृह के तहत गठित विभिन्न संस्वीकृतिदाता समितियों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया। प्रभाग ने राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) के शासी बोर्ड के सदस्य, 'राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान' (एनआईपीसीसीडी) तथा 'केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड' (सीएसडब्ल्यूबी) की साधारण सभा और कार्यकारी परिषद् के सदस्य के रूप में भी नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

8. प्रभाग ने पोषण के संबंध में डेटा संग्रहण संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श करने संबंधी समिति का भी गठन किया और इसकी बैठक आयोजित की तथा चर्चाओं के कई दौर के बाद पोषण संबंधी स्थिति की निगरानी हेतु जिला स्तरीय दिशानिदेश भी तैयार किए।

9. प्रधान मंत्री के राज्य दौरों के लिए ब्रीफः प्रभाग ने प्रधान मंत्री के राज्यों के दौरों के लिए पीएमओ के लिए डब्ल्यूसीडी मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों के ब्रीफ भी तैयार किए। फ्लैगशिप स्कीम अर्थात् एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम (आईसीडीएस) के कार्य–निष्पादन के बारे में सूचना प्रदान करने के अतिरिक्त, इसने राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों में इस क्षेत्रक से संबंधित मुद्दों को भी उजागर किया और इस स्कीम के कार्यान्वयन की गहन निगरानी की आवश्यकता को दोहराया।

10. संसद प्रश्न और आरटीआई आवेदनः प्रभाग ने संसद प्रश्नों से संबंधित कार्य किया तथा नीति आयोग के अन्य प्रभागों और अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त संसद प्रश्नों का उत्तर तैयार करने हेतु सूचना भी प्रदान की। प्रभाग में इस क्षेत्रक से संबंधित वीआईपी संदर्भों पर भी कार्रवाई की गई। प्रभाग ने डब्ल्यूसीडी क्षेत्रक से संबंधित आरटीआई मामलों पर कार्रवाई की और आरटीआई आवेदनों का उत्तर तैयार किया।

4. शासन और अनुसंधान

अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान

नीति आयोग के स्वयं को ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्र के रूप में स्थापित करने के अधिदेश के अनुरूप दिसम्बर 2015 में दिशानिर्देशों का एक नया सैट नामत: ''नीति आयोग की अनुसंधान स्कीम 2015 (आरएसएनए–2015)'' तैयार किया गया था जिसमें अनुसंधान अध्ययनों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों/प्रकाशनों/नीति आयोग की अध्येतावृत्तियों के वित्तपोषण तथा विभिन्न आयोजनों के लिए नीति आयोग के प्रतीक–चिन्ह (लोगो) का उपयोग करने संबंधी प्रावधानों की रूपरेखा दी गई है। विगत दो वर्षों में इस स्कीम ने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आम चर्चाओं को समर्थित करने के अतिरिक्त बड़ी संख्या में अनुसंधान अध्ययन करवाने में मदद की है। आरएसएनए–2015 के तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों का पूरा सैट नीति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान, कुल 106.39 लाख रु. की अनुदान राशि जारी की गई थी जिसमें अनुसंधान अध्ययनों के लिए 96.09 लाख रु. और संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों के लिए 10.7 लाख रु. शामिल थे।

वर्ष 2017–18 के दौरान 8 नए अनुसंधान अध्ययनों के वित्तपोषण संबंधी प्रस्ताव (तालिका 1.1) और 6 संगोष्ठियों के लिए वित्तीय सहायता (तालिका 1.2) को अनुमोदित किया गया। वर्ष के दौरान पुराने दिशा–निर्देशों के अनुसार 5 चालू अनुसंधान अध्ययन भी पूरे किए गए हैं जो कि तालिका 1.3 पर सूचीबद्ध हैं। जिन संगठनों को विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए नीति आयोग के लोगो का उपयोग करने को अनुमति प्रदान की गई, उनकी सूची तालिका 1.4 में दी गई है।

अध्ययन रिपोर्टें/संगोष्ठियों की कार्यवाही हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त की जाती है। इन सभी अनुसंधान अध्ययन रिपोर्टों को सुगम उपलब्धता, विचारों के आदान–प्रदान तथा अनुसंधान और विकास में व्यापक उपयोग की दृष्टि से नीति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इन रिपोर्टों तथा संगोष्ठियों की कार्यवाहियों की प्रतियों को नीति आयोग में संबंधित वर्टिकलों/प्रभागों को भी परिचालित किया जाता है। नीति आयोग में संबंधित प्रभाग इन रिपोर्टों की जांच करते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देते हैं।

अन्य थिंक टैंक के साथ नेटवर्किंग

नीति आयोग की 14 चेयर प्रोफेसर यूनिट्स हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में स्थित हैं (तालिका 1.5)। नीति आयोग ने एक प्रमुख पहल 'समावेश' की शुरूआत भी की है जिसका ध्येय हब और स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए ज्ञान और अनुसंधान संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग और भागीदारी करना है। प्रधान सलाहकार (सामाजिक क्षेत्रक) की अध्यक्षता में दिसम्बर, 2016 में समावेश के संबंध में विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किया गया और इसके बाद फरवरी 2017 में आईएमपीआरआईएनटी (अनुसंधान, नवप्रवर्तन और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना) संबंधी विशिष्ट बैठक की गई जिसमें अनुसंधान प्रस्तावों के संबंध में अनेक अंतर–मंत्रालयी मुद्दों का समाधान किया गया। 'समावेश' के लिए कार्य–योजना, नीति विषयक समूहों तथा नीति आयोग और भागीदार संस्था के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता–ज्ञापनों (एमओयू) पर विचार–विमर्श करने के लिए मई, 2017 में नीति आयोग के सीईओ और प्रधान सलाहकार की सह–अध्यक्षता में 'समावेश' संबंधी राष्ट्रीय संचालन दल की पहली बैठक आयोजित की गई। दिसम्बर, 2017 तक 'समावेश' के तहत भागीदारी के लिए विभिन्न क्षेत्रकों में कुल 38 प्रतिष्ठित संस्थाओं/थिंक टैंकों को भागीदारी के लिए चिह्नित किया गया है और उस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भविष्य में, समावेश से अपेक्षा है कि यह नीति आयोग की सरकार के एक शीर्ष थिंक–टैंक के रूप में भूमिका में सहायक होगी जबकि भागीदार संस्थाओं को विशिष्ट विषय संबंधी प्राथमिकताओं के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है और आगे ऐसी ही संस्थाओं, जो आपस में मिलकर देश में ज्ञान पारितंत्र के सृजन में सहायक होंगी, तक पहुंचकर उनका मार्गदर्शन किया जा सकता है।

नीतिगत परिप्रेक्ष्य

शासन और अनुसंधान वर्टिकल भारत सरकार के 7 विभागों नामतः कार्मिक और प्रशिक्षण, लोक–शिकायत, पेंशन, खाद्य और

सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले, उर्वरक और रसायन एवं पैट्रो–रसायन के लिए नोडल प्रभाग भी है। वर्ष 2017–18 के दौरान इस वर्टिकल ने इन विभागों से प्राप्त कई नीतिगत संदर्भों की जांच की। इस वर्टिकल ने इसके द्वारा देखे जा रहे विषयों के संबंध में कई अंतर–मंत्रालयी समितियों में प्रतिनिधित्व भी किया है।

1. उर्वरक में डीबीटी: उर्वरक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के प्रायोगिक कार्यान्वयन की कार्य–नीतियों की सिफारिश करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में मार्च 2016 में एक समिति गठित की गई थी। उर्वरक में डीबीटी के चरण– I में, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण के माध्यम से खुदरा व्यापारी के स्तर पर उर्वरकों की बिक्री पर कंपनियों को उर्वरक सब्सिडी के अंतरण की परिकल्पना की गई है। वर्ष के दौरान इस समिति की अनेक बैठकें की गईं जिनमें 17 जिलों में प्रायोगिक कार्यान्वयन और तत्पश्चात् चरण–वार रूप से पूरे भारत में संभावित कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। नीति आयोग ने मै. माइक्रोसेव के माध्यम से उर्वरक में डीबीटी का मूल्यांकन अध्ययन करवाया जिसने उत्साहजनक परिणाम तथा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय सफलता दर्शायी है।

2. बंद यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धारः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संघ द्वारा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की तीन बंद यूरिया इकाइयों तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की दो बंद यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) इन इकाइयों के पुनरुद्धार के कार्य की सक्रिय निगरानी कर रही है तथा इस प्रक्रिया में आने वाले मुद्दों का समाधान कर रही है। नीति आयोग की अध्यक्षता में एक अन्य समिति कोयला गैसीफिकेशन रूट के माध्यम से स्थापित किए जा रहे एफसीआईएल के तलचेर यूनिट के पुनरुद्धार के लिए प्रौद्योगिकी चयन के मुद्दे की समीक्षा कर रही है। कोयला गैसीफिकेशन रूट के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए सब्सिडी के भुगतान हेतु नीति तैयार करने के मुद्दे की जांच करने के लिए नीति आयोग द्वारा एक समिति गठित की गई है।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बाजरा संबंधी समितिः पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए पीडीएस के तहत बाजरे की शुरुआत करने हेतु प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति की पहली बैठक हो चुकी है जिसमें पीडीएस के तहत बाजरे को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न उपायों की सिफारिश की गई।

4. नए भारत / 75 के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडा से संबंधित मुद्दों पर कार्यदलः नीति आयोग ने नए भारत @75 के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडा के लिए भावी राह तैयार करने हेतु विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श करने का निर्णय लिया। इसे सुसाध्य बनाने के लिए, शासन और अनुसंधान वर्टिकल के तहत, श्री रतन पी. वातल, प्रधान सलाहकार, नीति आयोग की अध्यक्षता में बाह्य विशेषज्ञों की सहभागिता के साथ ''सिविल सेवा सुधार'' तथा ''विधिक, न्यायिक और पुलिस संबंधी सुधार'' के संबंध में कार्यदलों का गठन किया गया। विचारमंथन के सत्रों का आयोजन किया गया और दोनों कार्यदलों द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत की गईं।

5. राष्ट्रीय विधि दिवस सम्मेलनः नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय विधि दिवस 2017 के अवसर पर, भारत विधि आयोग के सहयोग से नवम्बर, 2017 में दो–दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय ''भारत के विकास के लिए राष्ट्र के तीन स्कंधों की भूमिकाओं का संतुलन'' था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने लोक सभा अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की उपस्थिति में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जबकि माननीय प्रधान मंत्री ने समापन भाषण दिया। इस सम्मेलन में वित्त मंत्री और कानून मंत्री सहित केन्द्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों के न्यायमूर्तियों, वकीलों, शिक्षण संस्थाओं के सदस्यों, भारत सरकार के अधिकारियों और विधि छात्रों सहित 1700 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया।

6. पीले मटर पर शुल्क ढांचे की समीक्षाः प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पीले मटर पर आयात शुल्क ढांचे के मामले की जांच की गई। समिति ने मुद्दों की समग्र रूप से जांच की तथा शुल्क ढांचे के

साथ ही एक ट्रिगर मैकेनिज्म के विकास का सुझाव दिया जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए व्यापार नीतियां कीमतों में तीव्र वृद्धि और गिरावट के संबंध में प्रतिक्रिया करती हैं।

स्वायत्त निकायों की समीक्षा

वित्त मंत्रालय ने नीति आयोग से संघ सरकार के स्वायत्त निकायों (एबी) की गहन समीक्षा करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, नीति आयोग ने स्वायत्त निकायों की समीक्षा करने तथा परामर्शदात्री प्रक्रिया के माध्यम से इनके परिण ामों, कारगरता, कुशलता और शासन को सुधारने के लिए सिफारिशें करने हेतु जनवरी 2017 में नीति आयोग के प्रधान सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। वर्ष के दौरान अब तक इस समिति की आठ बैठकें की जा चुकी हैं। चरण–। में समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष, उच्चतर शिक्षा, संस्कृति, खेल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय/विभाग के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित किए गए स्वायत्त निकायों की समीक्षा की है। समीक्षा के चरण–। की रिपोर्ट का मसौदा वर्ष के दौरान प्रस्तुत कर दिया गया है। समीक्षा का चरण–।। शुरू हो चुका है जिसमें एमएसएमई, वस्त्र, पर्यटन, विदेश, महिला और बाल विकास तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के मंत्रालय/विभाग शामिल हैं। वर्ष के दौरान संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ प्रारंभिक चर्चाएं की गईं।

भारत के स्वर्ण बाजार को परिवर्तित करना

भारत का रत्न और आभूषण उद्योग भारत के जीडीपी में लगभग 7% योगदान देता है तथा भारत के वाणिज्य–वस्तु निर्यात में इसका 15% हिस्सा है। इस क्षेत्र की लगभग 90.95% इकाइयां एमएसएमई हैं जो लगभग 61 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। इस क्षेत्रक को समर्थित करने तथा ''मेक इन इंडिया'' की कार्यनीति के तहत विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने भारत के स्वर्ण बाजार को परिवर्तित करने के अर्थोपायों का पता लगाने हेतु श्री रतन पी. वातल, प्रधान सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। वर्ष के दौरान इस समिति की कई बैठकें आयोजित की गईं तथा इसका क्षेत्रक से संबंधित विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने हेतु विभिन्न उप–समूहों का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

तालिका 1: वर्ष 2017-18 (31 दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन		
क्र.सं.	**अध्ययन का शीर्षक**	**संस्था/अनुसंधानकर्ता**
1.	भारत में राज्यों को केन्द्रीय अंतरण, निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए कार्य–निष्पादन को पुरस्कृत करना	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली
2.	न्यायिक सुधार एवं शिक्षा	दक्ष (डीएकेएसएच) सोसाइटी, बंगलोर
3.	भारत में न्यायिक मामलों का अध्ययन	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली
4.	हाइलाइटिंग इम्पैक्ट ऑफ डिसिजन इन हाइवे मैटर इकोनॉमी एंड स्टेकहोल्डर्स	कंज़ूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, जयपुर
5.	प्रचलानात्मक अनुसंधान उपकरणों का उपयोग करते हुए ट्रेनों का युक्तिकरण करने के लिए संकल्पनात्मक कार्य ढांचे का विकास	भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे
6.	भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के वृद्धित परिदृश्य का विकास	प्रयास, बंगलोर
7.	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में अकाल उपशमन कार्यान्वयन के लिए विशेष पैकेज का प्रभाव	ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली
8.	विद्युत वितरण के लिए निदानात्मक अध्ययन	क्रिसिल इन्फ्रास्टक्चर एडवायजरी, गुरूग्राम

तालिका 2: वर्ष 2017-18 (31 दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान अनुमोदित संगोष्ठियां		
क्र.सं.	**संगोष्ठी का शीर्षक**	**संस्था/अनुसंधानकर्ता**
1.	''अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी एससीओएसटीईपी/आईएसडब्ल्यूआई अंतरराष्ट्रीय विद्यालय'' के संबंध अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	श्रीमती कस्तूरबाई वालचंद कॉलेज, सांगली
2.	''संधारणीय विकास और जैव विविधता संरक्षण में जैव विज्ञान की भूमिका'' के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन	आरनी विश्वविद्यालय, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
3.	''भारत परिवर्तन 2030: संधारणीय विकास लक्ष्यों के लिए कार्यनीति'' के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	सिम्बोयसिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुणे
4.	''भारत के व्यापक जैव ऊर्जा संसाधनों का प्रभावी और कुशल उपयोग'' संबंधी कार्यशाला	ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली
5.	''योजना और गैर–योजनागत व्यय का मिश्रण और अनुसूचित जाति उप–क्षेत्र और जनजातीय उपयोजना का भविष्य'' संबंधी कार्यशाला	सीडीएस, तिरूवनंतपुरम, केरल
6.	''खाद्य और पोषण सुरक्षा, संधारणीय आजीविका और जलवायु परिवर्तन संबंधी सहजता के लिए कृषिगत विस्तार कार्यनीतियों का पुनरावलोकन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन	सहभागिता ग्रामीण विकास पहल सोसाइटी (पीआरडीआईएस), हैदराबाद

तालिका 3: वर्ष 2017-18 (31 दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान पूर्ण किए गए अध्ययन		
क्र.सं.	**अध्ययन का शीर्षक**	**संस्था/अनुसंधानकर्ता**
1.	कोयला खनन, विस्थापन और ग्रामीण आजीविका, ओडिशा के महानदी कोयला क्षेत्र में एक अध्ययन	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूरकेला
2.	छरू राज्यों में माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी (सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग)	भारतीय शिक्षा गुणवत्ता फाउन्डेशन, नई दिल्ली
3.	खनन और खनन नीतियों का उत्तर प्रदेश के विन्ध्य प्रदेश में स्थानीय जनता की आजीविका पर सामाजिक–आर्थिक प्रभाव संबंधी अध्ययन	भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून (सामाजिक वानिकी और पारि–पर्यावास केन्द्र)
4.	मध्य प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आरआरआई की प्रभावकारिता	श्री राम औद्योगिक संबंध और मानव संसाधन केन्द्र, नई दिल्ली
5.	बाजार तक पहुंच बढ़ाने के माध्यम से ग्रामीण मछुआरिनों एसएचजी का सामाजिक आर्थिक सुदृढ़ीकरण।	तमिलनाडु मात्सियकी विश्वविद्यालय, नागापट्टीनम

तालिका 4: गैर-वित्तीय आयोजनों के लिए नीति लोगो सहायता (31 दिसम्बर, 2017 तक)		
क्र.सं.	**अध्ययन का शीर्षक**	**संस्था/अनुसंधानकर्ता**
1.	महिला उद्यमिता संबंधी इंटर कॉलेज उद्यमिता प्रतियोगिता सह पुरस्कार समारोह	इंडियन बिजनेस चेम्बर, नई दिल्ली
2.	वायु और जल प्रदूषणः विनियमन, उपशमन और निगरानी में नवोन्मेष	शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान, नई दिल्ली
3.	एलओटी इंडिया कांग्रेस 2017	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान
4.	द बिजनेस अफ गवर्मेंट लर्निंग्स फार्म द इंडिया एंड यूएस एक्सपिरियंस	एफआईसीसीआई, नई दिल्ली
5.	भारत स्वास्थ्य देखभालः रोगी की दृष्टि से	एफआईसीसीआई, नई दिल्ली
6.	कौशल संबंधी संकल्पना 2022: वैश्विक कौशल आर्थिक–प्रणाली के साथ भारत की संलग्नता के लिए अवसरों का पता लगाना	वाईईएस ग्लोबल इंस्टीयूट (वाईजीआई), नई दिल्ली
7.	लिंग, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संबंधी राष्ट्रीय परामर्श	एम.एस स्वामीनाथन अनुसंधान फाऊंडेशन, चेन्नई
8.	द शेयर्ड वैल्यू समिट 2017	प्रतिस्पर्धा संस्थान, गुरुग्राम

तालिका 5: नीति आयोग की चेयर प्रोफेसर इकाईयां	
क्र.सं.	**विश्वविद्यालय/संस्था का नाम**
1.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
3.	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
4.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली
5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
6.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
7.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
8.	गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र अनुसंधान संस्थान, पुणे
9.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
10.	विकास अध्ययन केन्द्र, तिरुवनंतपुरम
11.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
12.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई
13.	बड़ौदा एमएस विश्वविद्यालय, वडोदरा
14.	विश्व–भारती, शांति निकेतन

5. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) प्रभाग, जिसे नीति आयोग के टीम इंडिया हब में एचआरडी वर्टिकल के रूप में पुनर्संरचित किया गया है, विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े मामले देखता है। तथापि, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, लोक स्वास्थ्य, और चिकित्सा से जुड़ी शिक्षा एचआरडी वर्टिकल का विषय–क्षेत्र नहीं है। एचआरडी वर्टिकल में शामिल हैः (क) पूर्व–प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और शिक्षक शिक्षा तथा वयस्क साक्षरता, और (ख) विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र, जैसे–लड़कियों के लिए शिक्षा, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे।

एचआरडी वर्टिकल में जिन मंत्रालयों/विभागों के मामले देखे जाते हैं, वे तालिका-1 में हैं:

तालिका-1

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता	उच्च और तकनीकी शिक्षा
सर्वशिक्षा अभियान	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
विद्यालयों में मध्याह्न भोजन	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन
माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण	छात्रवृत्तियां
शिक्षक शिक्षा	आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन
आईसीटी/ विद्यालय	पुस्तक संवर्धन
साक्षर भारत कार्यक्रम	भाषा विकास
राष्ट्रीय बाल भवन, केंद्रीय विद्यालय,नवोदय विद्यालय,एनआईओ, एनसीईआरटी आदि	आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, एनआईटीटीआर,आईआईएससी आदि सहित तकनीकी शिक्षा

परीक्षित/मूल्यांकित प्रस्ताव

वर्ष 2017–18 के दौरान, एचआरडी वर्टिकल ने शिक्षा क्षेत्रक के बारे में 3 वर्षीय एजेंडा विकसित किया। विद्यालयी शिक्षा तथा साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग (दोनों मानव संसाधन विकास विभाग) की स्कीमों के संबंध में वर्टिकल ने स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति/आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तावों और नोटों की पड़ताल की।

एसएफसी/ईएफसी/मसौदा मंत्रिमंडल नोट/मंत्रिमंडल नोट/मंत्रिमंडल प्रस्तावों के लिए नोटों का मूल्यांकन

I. उच्च शिक्षाः

(i) सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का अनुसरण कर रहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दायरे वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में और केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में शिक्षकों और अन्य समकक्षी शिक्षाकर्मियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण संबंधी मंत्रिमंडल नोट का मसौदा,

(ii) नवस्थापित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्रप्रदेश के लिए 10,000 रूपए के ग्रेड–वेतन वाले निदेशक के एक पद (75,000/– रूपए नियत-5000 रूपए विशेष भत्ते के तौर पर) तथा तीन शिक्षणेतर पदों (पंजीयक, पुस्तकालयाध्यक्ष और मुख्य छात्र क्रियाकलाप एवं खेल अधिकारी) के सृजन हेतु अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल नोट,

(iii) राजीव गांधी प्रबंधन संस्थान, शिलांग की स्थापना और मामूली विस्तार के लिए पुनरीक्षित लागत अनुमान हेतु ईएफसी का मसौदा,

(iv) एनआईटी, आंध्रप्रदेश के लिए स्थायी परिसरों के निर्माण हेतु स्थायी वित्त समिति का मसौदा,

(v) जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति स्कीम– निरन्तरता–टिप्पणियों के लिए ईएफसी का मसौदा,

(vi) पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन संबंधी व्यय वित्त समिति,

(vii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानः व्यय वित्त समिति प्रस्ताव,

(viii) गुणवत्ता डिजाइन नवप्रवर्तन केंद्रों, ओपन डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवप्रवर्तन नेटवर्क की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डिजाइन नवप्रवर्तन पहल संबंधी एसएफसी,

(ix) स्वयम् स्कीम की निरन्तरता के लिए एसएफसीः राष्ट्रीय व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) पोर्टल,

(x) केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम– उच्च शिक्षा सांख्यिकी और लोक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) की निरन्तरता के मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु स्थायी वित्त समिति का मसौदा,

(xi) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, चरणः।। के लिए एसएफसी,

(xii) ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधि के लिए अंशदान हेतु व्यय वित्त समिति,

(xiii) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय क्षेत्रक छात्रवृत्ति स्कीम के मूल्यांकन हेतु व्यय वित्त समिति,

(xiv) "असाक्षरता उन्मूलन हेतु प्रौढ शिक्षा स्कीम" संबंधी व्यय वित्त समिति,

(xv) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय क्षेत्रक छात्रवृत्ति स्कीम के मूल्यांकन हेतु स्थायी वित्त समिति,

(xvi) आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई और आईआईटी मद्रास के एकमुश्त अतिरिक्त वित्तपोषण संबंधी एसएफसी ज्ञापन,

(xvii) अनुसंधान नवप्रवर्तन तथा प्रौद्योगिकी पर प्रभाव (इम्प्रिन्ट)–AA संबंधी ईएफसी,

(xviii) 1776.50 करोड़ रूपए की आईआईटी हैदराबाद–जापान सहयोग परियोजना को जापान सरकार के 1501.50 करोड़ रूपए के ओडीए ऋण से वित्तपोषित करने तथा शेष की पूर्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदान से 10 वर्षों (2013–14 से 2022–23) में करने– समय विस्तार संबंधी ईएफसी का मसौदा,

(xix) आंध्रप्रदेश राज्य में आईआईआईटीडीएम–कुर्नूल की स्थापना तथा स्थायी परिसरों में संस्थान की शुरुआत के लिए लागत आकलन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन,

(xx) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों (फास्ट) में प्रशिक्षण और अनुसंधान स्कीम, तथा

(xxi) बोधगया, नागपुर, सिरमौर, अमृतसर, संबलपुर, विशाखापत्तनम तथा जम्मू में सात नए आईआईएम के स्थायी परिसर की स्थापना और प्रचालन हेतु ईएफसी मसौदा।

II. विद्यालयी शिक्षा

(i) सर्वशिक्षा अभियान का ईएफसी,

(ii) मध्याह्न भोजन स्कीम का ईएफसी,

(iii) शिक्षक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित स्कीम(सीएसएसटीई) का ईएफसी,

(iv) राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा छात्रवृत्ति स्कीम (एनएमएमएस) का ईएफसी,

(v) एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विस्तार हेतु ईएफसी मसौदा,

(vi) उच्च माध्यमिक शिक्षा को कवर करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विस्तार संबंधी ईएफसी,

(vii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बालिका प्रोत्साहन स्कीम के संबंध में ईएफसी,

(viii) माध्यमिक शिक्षा के लिए नवप्रवर्तन के संबंध में एसएफसी,

(ix) मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की स्कीम संबंधी एसएफसी,

(x) 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की केंद्र प्रायोजित स्कीम की निरन्तरता के साथ इस स्कीम में आशोधनों के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति हेतु नोट का मसौदा,

(xi) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद विधेयक, 2017– एनसीईआरटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने संबंधी मंत्रिमंडल नोट का मसौदा,

(xii) बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के नो डिटेंशन प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन के लिए मंत्रिमंडल नोट का मसौदा।

बैठकों में सहभागिता और नीतिगत मुद्दों पर योगदान

वर्ष के दौरान, वर्टिकल के अधिकारियों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन बोर्डों की बैठकों में हिस्सा लिया, जैसे– सर्व शिक्षा अभियान, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन, राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय डिजाइन नवप्रवर्तन पहल, आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संवर्द्धन कार्यक्रम।

वर्टिकल के अधिकारियों ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद आदि जैसे संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

एचआरडी वर्टिकल ने वर्ष के दौरान विभिन्न पहलें कीं जिनमें प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों (जैसे–एसएसए, एमडीएमएस, आरएमएसए, स्वायत्त महाविद्यालयों, यूजीसी और एआईसीटीई सहित उच्च शिक्षा में सुधार) की प्रगति का विश्लेषण करना और प्रधानमंत्री की घरेलू यात्राओं के लिए फोल्डर तैयार करने हेतु विद्यालय और उच्च शिक्षा में बकाया मुद्दों पर चर्चा करना शामिल हैं। नीति आयोग ने कार्यक्रम के बारे में लोगों को संजीदा बनाने और एसईक्यूआई के लिए अपेक्षित डेटा भेजने हेतु बेंगलूरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी और रायपुर में क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

वर्टिकल की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1. विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई): एसईक्यूआई विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के राज्य शिक्षा विभागों तथा शिक्षाविदों सहित विभिन्न पक्षों के सात परामर्श से विकास के अंतिम चरणों में है।

2. शिक्षा परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विकास सहायता (डी3एस) सेवाएं: नीति आयोग ने 3 राज्यों को सांस्थानिक सहायता उपलब्ध कराने की नीति शुरु की है ताकि शिक्षा के लिए राज्यों हेतु विकास सहायता सेवाओं की पहल के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की जा सके। इस योजना को मानव पूंजी परिवर्तन हेतु संधारणीय कार्रवाई (साथ) के रूप में नामित किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणालियों के लिए रोल मॉडल राज्यों की पहचान और निर्माण करना है। इस पहल के तहत पहली कार्यशाला ओडिशा राज्य के लिए भुवनेश्वर में 7 दिसम्बर, 2017 को आयोजित हुई। दो अन्य राज्यों के लिए ऐसी ही कार्यशालाएं शीघ्र ही आयोजित की जाएंगी।

3. उच्च शिक्षा में सुधारः यूजीसी और एआईसीटीई के विनियामक फ्रेमवर्क में प्रस्तावित सुधारों पर नीति आयोग की प्रस्तुति के आधार पर उच्च शिक्षा में सुधार संबंधी एक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। समिति ने उच्च शिक्षा में अल्पकालिक सुधार उपायों की पड़ताल के लिए सिफारिशें कीं। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

4. डेवलपमेंट एजेंडा/75 तैयार करने के काम में शामिल हुआ और विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के लिए देश भर के विशेषज्ञों के साथ कार्यकारी समूह की 4 बैठकें कीं।

5. वर्टिकल ने विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के लिए उत्पादन–परिणाम बजट कार्य का समन्वय किया।

6. 12 योजना मूल्यांकन कार्य में शामिल हुआ।

विविध क्रियाकलाप

वर्टिकल ने (i) अनुसंधान अध्ययनों/मूल्यांकन अध्ययनों के लिए गैर–सरकारी संगठनों तथा न्यासों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों तथा (ii) विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एसईआर प्रभाग को प्रस्तुत शिक्षा संबंधी अनुसंधान रिपोर्टों की भी पड़ताल की। वर्टिकल ने वीआईपी/पीएमओ से प्राप्त पत्रों, लोक शिकायतों, आरटीआई संबंधी मामलों, परिणामी बजट तैयार करने के मामलों को देखा और राष्ट्रपति के बजट भाषण में शामिल करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई। नीति आयोग के प्रशिक्षुता कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के विभिन्न प्रमुख संस्थानों के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण दिया गया है।

III. युवा कार्य और खेल

भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। राष्ट्र–निर्माण में युवाशक्ति का उपयोग करने के लिए युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मंत्रालय किशोरों और युवाओं से जुड़ी समस्याओँ पर जोर दे रहा है और इसके लिए युवा कार्य और खेल मंत्रालय के दोनों विभागों में विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम हैं।

वर्टिकल ने निम्नांकित संबंधी ईएफसी/एसएफसी/डीसीएन की पड़ताल कीः (i) खेलो इंडिया– खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघ सहायता स्कीम, (iii) खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में जीवनभर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार स्कीम, (iv) राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण निधि, (v) खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में असाधारण निष्पादन के लिए अर्जुन पुरस्कार स्कीम, (vi) अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्द्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों के लिए विशेष पुरस्कार स्कीम, राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार स्कीम सहित, (vii) खेलों और प्रतिस्पर्द्धाओं में असाधारण कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार स्कीम, (viii) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि स्कीम, (ix) राष्ट्रीय क्रीड़ा विज्ञान तथा अनुसंधान केंद्र, (x) राष्ट्रीय खेल कोचिंग केंद्र, (xi) मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में नेहरू युवा केंद्र संगठन का राष्ट्रीय युवा केंद्र संगठन के रुप में पुनर्नामन हेतु प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल नोट का मसौदा, (xii) खेल विषय को राज्य सूची से हटाकर भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में अंतरित करने संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल नोट का मसौदा।

2017–18 की अवधि के दौरान इस वर्टिकल के अधिकारियों ने एसएफसी और ईएफसी सहित विभिन्न मुद्दों पर युवा कार्य और खेल मंत्रालय की बैठकों में हिस्सा लिया।

IV. संस्कृति

भारत एक विशाल देश है जिसकी समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक धरोहर में हजारों समुदायों को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति मिली है। सांस्कृतिक परम्परा की अभिव्यक्ति से न केवल सशक्त और गतिशील समाज का सृजन होता है बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका भी मिलती है जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान होता है। कई सांस्कृतिक परम्पराएं और विविध ऐतिहासिक धरोहरों के समेकन के कारण विश्व में हमारे देश की विशिष्ट पहचान है। सरकार अपने संस्थानों के नेटवर्क और अनुदान सहायता स्कीमों के माध्यम से हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, उन्हें लोकप्रिय बनाने और उनके संवर्द्धन को सहायता दे रही है। विभिन्न क्रियाकलापों और अंतःक्षेपों से विगत और वर्तमान के बीच एक संबंध बनता है जिससे देश की मूर्त–अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के भावी विकास की नींव पड़ती है। यह संग्रहालयों, अभिलेखागारों, पुस्तकालयों, निष्पादन कलाओं और देश–विदेश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा उत्सवों के आयोजन के माध्यम से किया जाता है। मानव संसाधन विकास वर्टिकल ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में संस्कृति मंत्रालय के साथ समन्वय करता है।

वर्टिकल ने निम्नांकित संबंधी ईएफसी/एसएफसी के प्रस्तावों की पड़ताल कीः (i) संग्रहालय अनुदान स्कीम, (ii) विज्ञान नगरों/विज्ञान केंद्रों/नवप्रवर्तन हब की स्थापना की स्कीम, (iii) राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की निरन्तरता– जनता की

सेवा के लिए पुस्तकालयों का स्तरोन्नयन, (iv) मौजूदा पाँच स्कीमों को कला और संस्कृति संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता नामक एकल स्कीम में आमेलित करने के बाद मूल्यांकन, (v) दांडी से संबद्ध परियोजनाएं और गांधी धरोहर स्थल मिशन, (vi) अंतरराष्ट्रीय संस्कृति संबंध संवर्द्धन स्कीम, (vii) मौजूदा दो स्कीमों का सांस्कृतिक अवसंरचना सृजन हेतु वित्तीय सहायता स्कीम नामक एकल स्कीम में आमेलित करने के बाद मूल्यांकन।

वर्टिकल के अधिकारीगण विभिन्न प्रस्तावों, विदेशों में भारतीय त्यौहारों के परियोजना मूल्यांकन बोर्ड और राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावस्तु मिशन के लिए एसएफसी/ईएफसी की बैठकों में तथा संस्कृति मंत्रालय की ऐसी अन्य बैठकों में शामिल हुए।

वर्टिकल ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अकादमियों (ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी) तथा सीसीआरटी के साथ समीक्षा बैठकें कीं और उनके कामकाज की बेहतरी के लिए उपयोगी टिप्स दिए ताकि वे भारतीय संस्कृति को उचित तरीके से प्रदर्शित कर सके।

6. कौशल विकास और रोजगार इकाई

I. उत्तरदायित्व

कौशल विकास और रोजगार एकक कौशल विकास, रोजगार सृजन, श्रम सुधार तथा सामाजिक सुरक्षा नेट के मामले देखता है। यह एकक विभिन्न स्कीमों के समन्वयन, निर्माण, प्रसंस्करण, मूल्यांकन, विश्लेषण तथा अनुवीक्षण,भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने पर विशेष बल के साथ कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों– दोनों के लिए श्रम बाजार परिस्थितियों के संवर्द्धन के लिए कौशल विकास मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ तालमेल से काम करता है। यह एकक महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान के लिए अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ तालमेल करता है और पहलों में सुधार तथा आवश्यक मध्यावधिक सुधारों के लिए सुझाव देता है। ये इस प्रभाग के अनुसंधान कार्य में परिलक्षित हैं।

II. पहलें

1. **कौशल विकास संबंधी सर्वोत्तम कार्यशैली:** नीति आयोग को राज्यों में सर्वोत्तम कार्यशैलियों के प्रसार का अधिदेश दिया गया है। इसी के लिए प्रयास की दिशा में, कौशल विकास और रोजगार प्रभाग ने स्किलिंग फॉर एम्प्ल यबिलिटीःबेस्ट प्रैक्टिसेज नामक एक कम्पेंडियम प्रकाशित किया जिसमें उन सर्वोत्तम कार्यशैलियों को उजागर किया गया जिनसे सरकार, सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्रों में इक्विटी, उपलब्धता, गुणवत्ता और प्रासंगिकता जैसी चुनौतियों से निपटा गया।

2. **न्यू इंडिया एजेंडाः** एसडीई एकक ने कार्यदल की बैठकें आयोजित कीं और न्यू इंडिया/75 के विकास एजेंडा के लिए रोजगार, कौशल विकास तथा श्रम विधानों संबंधी अध्यायों का मसौदा तैयार किया।

3. **मंत्रिमंडल नोट, एसएफसी और ईएफसी का मूल्यांकनः** इस एकक को श्रम और रोजगार तथा कौशल विकास मंत्रालयों की ऐसी पहलों के लिए मंत्रिमंडल नोट/ईएफसी/एसएफसी के रुप में प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनका नियोजनीयता, आजीविका अवसरों, श्रम बाजार लचीलेपन, सामाजिक सुरक्षा, कार्य दशाओं आदि पर असर पड़ता है। उनका मूल्यांकन भी किया गया और प्रशासनिक मंत्रालयों को अनुमोदन हेतु टिप्पणियां सक्षम प्राधिकारियों को भेजी गईं।

कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शामिल हैं:

- भारत में प्रशिक्षुता पारितंत्र का सुदृढ़ीकरण
- पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना
- मौजूदा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्तरोन्नयन
- फ्रेमवर्क के शासन के सुदृढ़ीकरण, कार्यान्वयन और अनुवीक्षण हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निधि और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की पुनर्संरचना
- अन्यरूपेण सक्षमों के लिए राष्ट्रीय करिअर सेवा केंद्र का ज्ञापन।
- राष्ट्रीय करिअर सेवा परियोजना/रोजगार कार्यालय मिशन मोड परियोजना

श्रम अधिनियम

- बागान श्रम अधिनियम, 1951 के कतिपय उपबंधों में संशोधन

4. अनुसंधान

कौशल विकास और रोजगार वर्टिकल ने विभिन्न नीति–पत्रों पर कार्य कियाः

- भारत में रोजगार सांख्यिकी संवर्द्धन हेतु रोडमैपः इस पत्र में रोजगार संबंधी आँकड़ों के मौजूदा स्रोतों, उनके लाभों तथा कमियों की पड़ताल करता है और रोजगार प्रवृत्तियों में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए वैकल्पिक डेटा स्रोतों के सुझाव देता है।

- भारत में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का व्यवस्थापनः प्रशिक्षुता पारितंत्र और खासकर राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन स्कीम तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षुत प्रशिक्षता स्कीम के व्यवस्थापन हेतु सिफारिशें की गईं।

- कौशल विकास के लिए फ्लैगशिप स्कीम– प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत संघ राज्यक्षेत्र में प्रगति के अनुवीक्षण हेतु पैरामीटर

- राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोष–विशेष प्रयोजन साधन संबंधी पत्र का मसौदाः पत्र में राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोष की स्थापना की सिफारिश की गई है ताकि कम उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और देश में कौशल विकास के प्रशिक्षण के निष्कर्ष और परिणाम बेहतर हो सकें।

- दुनिया भर में कौशल विकास में पीपीपी मॉडल और भारत में उनकी अनुप्रयोज्यता।

- कौशल विकास सूचकः कौशल उपलब्धता प्रणाली के अनुवीक्षण का दृष्टिकोणः एसडीईई एकक, नीति आयोग द्वारा कौशल विकास सूचकों की अवधारणा तैयार की गई जिसका उद्देश्य राज्यों को कार्यक्रमों के आउटपुट, परिणाम और प्रभाव की मात्रा जानने में मदद करना है। ये सूचक कौशल विकास निष्पादन के प्रभावी अनुवीक्षण तंत्र के रुप में होंगे।

- मुद्रा स्कीम के माध्यम से रोजगार सृजन डेटा का विश्लेषण।

- युवाःबदलाव के वाहकः योजना में प्रकाशित

- ग्रामीण परिवर्तन तथा डिजिटल प्रौद्योगिकीः कुरुक्षेत्र में प्रकाशित

- कार्यबल में भारतीय महिलाएं

- भारत में रोजगार सृजन– चुनौतियां और कार्यनीतियां–सीआईआई प्रकाशन

- कौशल और रोजगार पारितंत्र सशक्तिकरणः बजट 2017–18, नीति आयोग की वेबसाइट के लिए ब्लॉग, http://niti.gov.in/content/revitalising-skill-and-employment-ecosystem-budget-2017-18

5. विविध कार्य

उपर्युक्त क्रियाकलापों के अलावा, भारत सरकार की 50 से अधिक उद्यम स्कीमों के लिए डेटाबेस को संकलित किया गया और एक वेब/मोबाइल एप्लीकेशन के विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। श्रम बाजार सुधारों, कौशल विकास सूचकों, अनौपचारिक क्षेत्र के औपचारीकरण, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण आदि से संबंधित मुद्दों पर आईएलओ विशेषज्ञों के साथ लगातार चर्चाएं हो रही हैं।

7. शहरीकरण प्रबंधन

नीति आयोग का शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल शहरी क्षेत्र के मुद्दों से जुड़ा है और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है। यह वर्टिकल शहरी क्षेत्र की विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की आयोजना, समन्वयन, निर्माण, प्रसंस्करण, मूल्यांकन, विश्लेषण तथा अनुवीक्षण में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, शहरी स्थानीय निकायों, ज्ञान निकायों/संस्थाओं, थिंक टैंकों के विभिन्न विभागों, विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, के साथ तालमेल बनाए रखता है और भारत के शहरी परिवर्तन के सुदृढ़ीकरण हेतु वास्तविक समय के डेटा के आधार पर उपयुक्त नीतिगत तथा अनुकूल अंतःक्षेपक की रुपरेखा तैयार करता है। यह वर्टिकल शहरी नेताओं के क्षमता संवर्द्धन हेतु भी अन्य देशों/विश्वविद्यालयों के साथ समन्वयन करता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान किए गए मुख्य कार्य/क्रियाकलाप नीचे उल्लिखित हैं:

1. स्मार्ट नगरों तथा संसूचित शहरीकरण पर ज्ञान साझेदारी कार्यशाला

नीति आयोग ने स्मार्ट सिटीज रिसर्च क्लस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और आस्ट्रेलिया सरकार के साथ मिलकर शहरी नेताओं के लिए 27 अप्रैल, 2017 को स्मार्ट नगरों पर ज्ञान साझेदारी कार्यशाला और संसूचित शहरीकरण आयोजित किया जो स्मार्ट नगर मिशन को कार्यान्वित कर रहे हैं। इस कार्यशाला से सुविकसित आस्ट्रेलियाई नगरों और उभरते भारतीय नगरों के बीच काफी कुछ सीखने को मिला। कार्यशाला का उद्घाटन शहरी विकास मंत्री ने किया। कार्रवाई योग्य एजेंडे के कार्यान्वयन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता तथा अपर सचिव,नीति आयोग की सह–अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया ताकि स्मार्ट नगरों में अनुसंधान के लिए संभावित क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया जा सके।

2. डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) क्रियाकलाप

भारत सरकार ने सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलाप करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 करोड़ रूपए की स्कीम/प्रस्ताव शुरु की है ताकि दैनिक वित्तीय लेन–देन के लिए डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा दिया जा सके,जैसे– पैसे जमा करना, पैसे निकालना, वस्तुओं/सेवाओं की खरीद–बिक्री, पैसों का अंतरण आदि। प्रोत्साहन निधि सीधे जिलाधिकारियों को दो किस्तों में जारी की गई है ताकि डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए वे आईईसी कार्य कर सकें। अब तक विभिन्न जिलों को 21.33 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं,बशर्ते बैंक के ब्यौरे की सूचना मिल गई हो और पीएफएमएस पर उनका अनुमोदन भी हो गया हो।

3. शहरी शासन तथा स्मार्ट नगरों संबंधी कार्यसमूह का गठन

शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल ने निम्नांकित से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रो. चेतन वैद्य, पूर्व–निदेशक, आयोजना और वास्तुशिल्प विद्यालय,नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक कार्यसमूह का गठन किया हैः i) नगर शासन और ii) न्यू इंडिया@75 के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडे के अंग के तौर पर स्मार्ट नगर। कार्यसमूह की परामर्श बैठक 26-09-2017 को तथा दूसरी बैठक 04-10-2017 को आयोजित की गई। समूह के विशेषज्ञों से प्राप्त इनपुट और चर्चाओं के आधार पर नगर शासन तथा स्मार्ट नगरों संबंधी रिपोर्टो का मसौदा अध्यक्ष और सदस्यों की सहमति से तैयार किया गया और माननीय उपाध्यक्ष, नीति आयोग को प्रस्तुत किया गया।

4. विभिन्न परियोजनाओं/संस्थानों के लिए स्थानों, इलाकों के चयन के लिए दिशानिर्देश

पीएमओ के निर्देश पर शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल, नीति आयोग ने चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से परियोजनाओं/संस्थानों के लिए स्थान/इलाका चयन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के परामर्श से दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों को मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिसूचित कर दिया है।

5. "नगरपालिका वित्त" संबंधी कार्यशाला

नीति आयोग का शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल नगरपालिका वित्त विषयक एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित करने की प्रक्रिया में है। भागीदारों में शहरी प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं से जुड़े अधिकारी और नगरपालिका वित्त विशेषज्ञ शामिल हैं। ज्ञान भागीदारी कार्यशाला में यूएलबी के अपने संसाधनों की संवृद्धि, नगरपालिका बॉण्ड, लेखापरीक्षा तथा लेखा सुधार आदि शामिल हैं।

6. एसएफसी/ईएफसी/ईएपी/मेट्रो रेल तथा अन्य परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन/जांच

- मेट्रो रेल नीति, भारत सरकार मुद्रणालय की पुनर्सरचना और एनआईयूए आदि की पुनर्सरचना संबंधी मंत्रिमंडल नोट की जांच की गई और टिप्पणियां आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजी गईं।

- विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए असम नगरपालिका विकास परियोजना (एएमडीपी) विषयक असम सरकार की ईएपी परियोजना प्रस्ताव पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से राज्य योजना प्रभाग,नीति आयोग के माध्यम से प्राप्त हुआ और टिप्पणियां राज्य योजना प्रभाग, नीति आयोग को भेजी गईं।

- शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल ने एससीई और विदेश मंत्रालय के परामर्श से गुवाहाटी मुक्त स्थान और उद्यान समेकक नेटवर्क (जीओपीटी) के बैनर तले पुरानी जेल भूमि को वानस्पतिक बागान में परिवर्तित करने के असम सरकार के प्रस्ताव पर सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज के साथ समझौता ज्ञापन करने में सहायता दी। अनापत्ति प्रमाणपत्र मुख्य सचिव, असम सरकार को 29-09-2017 को भेजा गया।

- इंदौर मेट्रो रेल के पहले चरण के लिए एशियाई विकास बैंक से बाहरी ऋण लेने संबंधी शहरी विकास मंत्रालय के प्रस्ताव की जांच की गई और टिप्पणियां आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजी गईं।

- वाराणसी मेट्रो रेल पर टिप्पणियां शहरी विकास मंत्रालय को भेजी गईं।

- हिंदुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमि. से ली गई भूमि के लिए दिल्ली रेल निगम को देय प्रतिपूर्ति के संबंध में सचिव समिति के मसौदा नोट पर टिप्पणियां खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजी गईं।

- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का इनिशियल इंगेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल सिटीज विषयक आर्थिक कार्य विभाग के पत्र की जांच की गई और टिप्पणियां आर्थिक कार्य विभाग तथा एआईआईबी को भेजी गईं।

8. ग्रामीण विकास

नीति आयोग का ग्रामीण विकास वर्टिकल ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को उनके द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों और स्कीमों के मामले में समग्र नीतिगत दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह वर्टिकल उक्त मंत्रालयों और विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों की प्रगति का अनुवीक्षण भी करता है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना का मासिक और त्रैमासिक डैशबोर्ड तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का त्रैमासिक डैशबोर्ड

आवासन क्षेत्रक और ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति पर नजर रखने के लिए और उनकी गति तेज करने के लिए नीति आयोग ने प्रधानमंत्री आवास योजना का मासिक और त्रैमासिक डैशबोर्ड तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का त्रैमासिक डैशबोर्ड विकसित किया है। वर्टिकल प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में इनपुट भी उपलब्ध कराता है।

3. देश में आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित इलाकों में जल संसाधनों के विकास हेतु सहायता

नीति आयोग और वित्त मंत्रालय,भारत सरकार की सिफारिशों पर मार्च, 2016 में 1000 करोड़ रूपए की एकमुश्त सहायता राशि आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित 19 राज्यों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना के लिए जारी की गई। राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भू–जल परियोजनाओं के लिए भी सहायता दी गई ताकि आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित गांवों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। इसमें से 2290 आर्सेनिकध्फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों के लिए 475 करोड़ रूपए नवम्बर, 2017 तक इस्तेमाल किये जा चुके हैं। नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं ताकि आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों की प्रगति का अनुवीक्षण किया जा सके।

4. स्वच्छ भारत अभियान

नीति आयोग द्वारा गठित स्वच्छ भारत अभियान संबंधी मुख्यमंत्रियों के उप–समूह की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजनाओं पर चर्चा के लिए समीक्षा बैठक जनवरी, 2017 में नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उप–समूह की प्रधानमंत्री द्वारा यथाअनुमोदित सिफारिशें संबद्ध मंत्रालयों के साथ साझा की गईं ताकि वे उनका कार्यान्वयन कर सकें। (i) स्वच्छ भारत उपकर (ii) निर्माण उद्योग में निर्माण और विध्वंस के पुनर्चक्रित उत्पादों के उपयोग के लिए अनुमति देने वाले कंक्रीट–स्पेसिफिकेशन हेतु आईएस 383:2016 कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स के संशोधित मानदंड (iii) सभी अपशिष्टों से उत्पादित विद्युत की ऊर्जा संयंत्रों द्वारा अनिवार्यतः 100 फीसदी ख रीद (iv) 1500 रूपए प्रति टन सिटी कम्पोस्ट की बाजार विकास सहायता कार्यान्वित की गई है। (v) खुले में शौच से मुक्त(ओडीएफ) इलाके की स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2 अक्तूबर, 2014 से 5.50 करोड़ परिवार शौचालय बनाए जा चुके हैं। 2.81 लाख गांवों, 1.22 लाख ग्राम पंचायतों, 240 जिलों और 6 राज्यों तथा 1 संघ राज्यक्षेत्र को नवम्बर, 2017 तक ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। गंगातट पर बसे 4471 गांवों में से 4464 गांवों को परिवार शौचालय में शामिल किया जा चुका है।

5. ग्रामीण विकास वर्टिकल ने नीति आयोग द्वारा अगस्त, 2017 में जारी त्रिवर्षीय कार्य एजेंडे के लिए ग्रामीण परिवर्तन अध्याय हेतु इनपुट उपलब्ध कराए ताकि त्वरित नीतिगत परिवर्तन और इसका कार्यान्वयन किया जा सके जिनमें अन्य के साथ–साथ स्कीमों के बीच आमेलन, रोजगार सृजन, आवासन, पेयजल और स्वच्छता आदि शामिल हैं।

9. ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

I. विद्युत इकाई

1. नीति आयोग और ऊर्जा अर्थशास्त्र जापान संस्थान (आईईईजे) के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजना संबंधी आशय वक्तव्य पर नीति आयोग तथा आईईईजे के बीच दिसम्बर, 2015 में हस्ताक्षर हुए जिसमें दोनों संस्थानों ने भारत और जापान के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों के विश्लेषण पर सहमति व्यक्त की। 2017–18 के दौरान उपर्युक्त एसओआई के अंतर्गत छह अध्ययन किए गए हैं। इनमें से विद्युत इकाई हाई पेनिट्रेशन ऑफ रीन्यूएबल पावरःकम्पैरेटिव स्टडी ऑफ जापान एंड इंडिया बाई ईयर 2032 नामक परियोजना पर कार्य कर रहा है।

2. आईईए के साथ सहयोगः अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग ने आशय वक्तव्य (एसओआई) पर हस्ताक्षर किया है ताकि ऊर्जा क्षेत्र संबंधी संयुक्त अध्ययन परियोजनाओं पर सहयोग किया जा सके। इस एसओआई के अंतर्गत नीति आयोग ने आईईए के सहयोग से नीति आयोग में 9 मार्च, 2017 को नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण हेतु लचीले उत्पादन और भंडारण समाधानों पर विश्वव्यापी सर्वोत्तम कार्यशैलियों पर एक दिन की कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला 2022 तक 175 गीगावाट आरई के दोहन के भारत के आक्रामक लक्ष्य को देखते हुए आयोजित की गई थी जिससे आरई की अनिश्चित प्रकृति के कारण स्थिरता मुद्दे आएंगे। नीति आयोग और आईईए (एडीबी के सहयोग से) वर्ष के दौरान दो क्षेत्रीय कार्यशालाएं करने की योजना बना रहे हैं।

3. ईपीआईसी इंडिया के साथ सहयोगः नीति आयोग और शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (ईपीआईसी) भारत ने ऊर्जा क्षेत्र संबंधी संयुक्त अध्ययन परियोजाओं में सहयोग के लिए आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया। वितरण सुधारों पर प्रायोगिक परियोजना शुरु करने के लिए इस एसओआई के अंतर्गत भारत ने उत्तरप्रदेश और असम का चयन किया है।

4. जीआईएस आधारित मैप ऑफ इंडिया– नीति आयोग ने जीआईएस एनर्जी मैप ऑफ इंडिया को तैयार करने का काम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सौपा है। समेकित ऊर्जा मैप से सभी पक्षों को ऊर्जा संबंधी अपेक्षित सूचना मिल सकेगी जिससे बेहतर निर्णय लेने में आसानी होगी। इसरो ऊर्जा मैप का प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है।

5. अनुसंधान अध्ययनः नीति आयोग ने डायग्नोस्टिक स्टडी फॉर पावर डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर का काम सीआरआईएसआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी को सौंपा है। इस अध्ययन के अंतर्गत ओडिशा और दिल्ली के निजीकरण मॉडल का अध्ययन किया जाएगा ताकि वितरण कंपनियों के लिए व्यावहारिक वित्तीय मॉडल को समझा और तैयार किया जा सके।

6. उत्पादन–परिणाम बजट 2017–18 अनुवीक्षणः यह एकक विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों/उत्पादन–परिणाम बजट 2017–18 अनुवीक्षण संबंधी कार्य डीएमईओ टीम के सहयोग से देखता है।

7. सबके लिए बिजली हेतु नीति आयोग के डैशबोर्ड का अद्यतनीकरणः यह एकक 'पावर फॉर ऑल' के लिए नीति आयोग के डैशबोर्ड के अद्यतनीकरण विद्युत मंत्रालय के साथ समन्वय करता है ताकि माननीय प्रधानमंत्री को त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुति दी जा सके।

8. परियोजनाः वाराणसी को 2022 तक 100 प्रतिशत अक्षय ऊर्जाचालित बनानाः यह एकक केंद्रीय वाराणसी अनुवीक्षण समिति में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है। समिति के अद्यक्ष, सचिव एमएनआरई हैं।

9. जी20 (ऊर्जा संबंधी मुद्दे): आर्थिक कार्य विभाग ने जी20 में ऊर्जा क्षेत्र संबंधी कार्य ऊर्जा वर्टिकल को सौंप रखा है। जी20 बैठकों में जी20 देशों के संबंध में ऊर्जा उपलब्धता, ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा पहुंच आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं की जाती हैं।

10. इंडिया एनर्जी पोर्टल की शुरुआतः नीति आयोग ने इंडिया एनर्जी पोर्टल (आईईपी) (www.indiaenergy.gov.in) की शुरुआत की है जिसमें फिलहाल इंडिया एनर्जी सिक्यूरिटी सिनैरियो (आईईएसएस), 2047 नामक अग्रणी पहल शामिल है और जिसमें नए फीचर और सामग्री जोड़ी गई है। यह पोर्टल नीति आयोग के ऊर्जा प्रभाग का प्रयास है जिसका उद्देश्य देश भर के विभिन्न स्रोतों से सभी ऊर्जा संबंधी डेटा और अनुसंधान के लिए साझा मंच उपलब्ध कराना है। इस पोर्टल का उद्देश्य न सिर्फ नीति निर्माताओं तक पहुंच बनाना है बल्कि एक व्यापक श्रोता वर्ग तक पहुंचना है जो भारत के ऊर्जा परिदृश्य का सिंहावलोकन करना चाहते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां नौसिखिए भी भारत के ऊर्जा क्षेत्रक की बुनियादी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसा स्रोत बनना है जिसका उपयोग अनुसंधानकर्ता/ऊर्जा एंथूजियास्ट भारतीय ऊर्जा डेटाबेस और रिपोर्टों को हासिल करने के लिए कर सकें।

11. यह एकक सीसीईए/पीआईबी/ईएफसी/एसएफसी के परियोजना प्रस्तावों और विद्युत क्षेत्र तथा आणविक ऊर्जा (विद्युत उत्पादन) संबंधी अन्य नीतिगत मुद्दों की जांच करता है ताकि संबंधित को नीति आयोग के विचारों से अवगत कराया जा सके।

12. यह एकक विद्युत क्षेत्र संबंधी प्रमुख चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करता है और संबंधित मंत्रालयों को नीति आयोग के विचारों से अवगत कराता है।

13. यह एकक विद्युत क्षेत्र के विकास संबंधी वीआईपी पत्रों/संसदीय प्रश्नों/संसदीय आश्वासनों की जांच करता है।

14. इस एकक के अधिकारीगण एकीकृत विद्युत विकास स्कीम, दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना और अन्य विद्युत क्षेत्रक स्कीमों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

15. इस एकक के अधिकारीगण विद्युत मंत्रालय और इसके सीपीएसयू में, सीईए तथा आणविक ऊर्जा विभाग और इसके सीपीएसयू में विद्युत क्षेत्रक संबंधी विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेते हैं।

II. कोयला एकक

1. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समविचारी थिंकटैंक के माध्यम से स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से अथवा कार्यसमूहों, विशेषज्ञ समूहों आदि के गठन के माध्यम से अध्ययन करवाता है। इस प्रक्रिया में कोयला एकक ने नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकनॉमिक्स जापान के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का समन्वयन किया। वर्ष के दौरान, भारत और जापान के बीच साझा हित के मुद्दों पर तीन अनुसंधान किए गए और निष्कर्षों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई। वर्ष 2017–18 के लिए, नीति आयोग ने छह अध्ययन शुरु किए जो चल रहे हैं।

2. कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना 2017–18 के लिए कोयले की क्षेत्रकीय तथा कुल मांग के आकलन के लिए अंतर–मंत्रालय चर्चा की।

3. ऊर्जा दक्षता निर्माण संबंधी क्षेत्रीय कार्यशाला– नीति आयोग ने अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकॉनमी तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भागीदारी से भारत में पाँच क्षेत्रीय कार्यशालाएं कीं ताकि जागरुकता सृजन हो और सरकारी विभागों में नीति निर्माताओं को संजीदा बनाया जा सके कि ऊर्जा दक्षता डिजाइन और निर्माण व्यवहारों को किस प्रकार एकीकृत किया जा सके और उनके राज्यों में ईसीबीसी को किस प्रकार अंगीकृत किया जा सके। निर्णय के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें राज्यों में ईसीबीसी लागू करने की नवीनतम स्थिति, चुनौतियों और इसे कार्यान्वित करने की भावी राह का उल्लेख किया गया था।

4. कोयले और लिग्नाइट सेक्टर विकास के लिए उभरते मुद्दों संबंधी कार्यनीतियों और नीति पर अंतर–मंत्रालय समिति में प्रतिनिधित्व, जैसे– स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी भूतल तथा सरफेस कोयला गैसिफिकेशन आदि। नीति आयोग ने सरफेस कोयला गैसीफिकेशन संबंधी उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सिफारिश के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है जिसे कोयला एकक सेवा दे रहा है।

5. अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक मुद्दों के लिए विभिन्न स्थायी समितियों, कार्य समूहों में अंतर–मंत्रालय स्तरों पर प्रतिनिधित्व, जैसे– कोयला ब्लॉक आवंटन संबंधी अंतर–मंत्रालय समूह, बिजलीघरों को कोयला आपूर्ति के लिए स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घकालिक), सीमेंट संयंत्र आदि। कोयला क्षेत्र से संबंधित समीक्षा और समझौता ज्ञापन बैठकें।

6. पीएमओ/मंत्रिमंडल को अवगत कराने के लिए कोयला क्षेत्र संबंधी कार्यक्रमों/वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि का डीईएमओ एकक के साथ समन्वय से उत्पादन–परिणाम बजट (2017–18) अनुवीक्षण और मूल्यांकन।

7. उच्चतम स्तरों पर निर्णय लेने से संबंधित उच्चस्तरीय समितियों के लिए पत्र/नोट तैयार करने से जुड़े प्रस्तावों/सीसीईए/पीआईबी/एसएफसी/ईएफसी की जांच, तकनीकी नोटों और स्थिति पत्रों आदि की तैयारी।

8. प्रधानमंत्री द्वारा अवसंरचना समीक्षा के लिए कोयला संबंधी लक्ष्य, उपलब्धि, व्यवधान (यदि हो) संबंधी समाग्री तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय और नीति आयोग के डीईएमओ एकक के साथ समन्वय।

9. कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र के लिए संसाधन/डेटाबेस के अनुरक्षण तथा डेटा/सूचना की आपूर्ति/आदान–प्रदान हेतु नीति आयोग के अन्य प्रभागों के साथ समन्वय।

10. कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रक के विकास से संबंधित वीआईपी पत्रों/संसदीय प्रश्नों/संसदीय आश्वासनों तथा अन्य अंतर–क्षेत्रकीय नीतिगत मुद्दों की जांच।

III. नवीकरणीय क्षेत्र

1. सलाहकार समूह–भारत के नवीकरणीय विद्युत रोडमैप 2030 का कार्यान्वयन, बैठक नीति आयोग में 01-08-2017 को हुई। यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा पहल– भारत के नवीकरणीय विद्युत रोडमैप 2030 का कार्यान्वयन का नेतृत्व केवल संचालन समिति द्वारा किया जाएगा और सलाहकार समूह का विघटन कर दिया जाएगा।

2. उक्त कार्य के तहत, आरई रोडमैप संबंधी राज्य कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए दस राज्यों (पंजाब, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना) का चयन किया गया ताकि आरई–एकीकरण संबंधी मुद्दे का ग्रिड में समाधान किया जा सके।

3. स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति/मंत्रिमंडल प्रस्तावों के लिए विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की अनुमोदन और निवेश निर्णय हेतु जांच की। पीआईबी प्रस्ताव की भी जांच की गई।

4. नवीकरणीय क्षेत्रक के लिए नीतिगत पहल हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समन्वय किया।

5. 2018–19 के लिए उत्पादन–परिणाम बजट को अंतिम रूप दिया।

IV. पेट्रोलियम क्षेत्रक

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रकों के विभिन्न सीसीईए/मंत्रिमंडल नोटों की जांच की।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व किया और इन समितियों को मूल्यवान इनपुट दिए।

3. स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति के अनुमोदन और निवेश नीति संबंधी मुद्दों के लिए विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की जांच की। तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए पीआईबी प्रस्ताव की भी जांच की।

4. ऊर्जा वर्टिकल ने प्रधानमंत्री के साथ लगभग 25 वैश्विक तेल तथा गैस विशेषज्ञों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ 9 अक्तूबर, 2017 को बैठक आयोजित की।

5. नीति आयोग के अधिकारी ने स्वच्छ ईंधन, बायोमास प्रबंधन संबंधी कार्यदल समूह में सहभागिता की।

6. उत्पादन–परिणाम बजट 2018–19 को अंतिम रूप दिया।

V. राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और अनुसंधान

1. नीति आयोग को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तैयार करने का काम सौंपा गया है। नीति के मंत्रिमंडल नोट का मसौदा अंतर–मंत्रालय परामर्शों हेतु परिचालित किया गया। इस प्रकार प्राप्त टिप्पणियों को शामिल किया गया है और अंतिम मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रुप दिया जा रहा है।

2. ऊर्जा वर्टिकल आईएएसए (अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयोग प्रणाली विश्लेषण संस्थान), आस्ट्रिया के सहयोग से एकीकृत ऊर्जा मॉडलिंग–मैसेज प्लेटफार्म की स्थापना में तेजी लाने के प्रयास करता रहा है। नीति आयोग ने आईएएसए, आस्ट्रिया में क्षमता निर्माण हेतु एक माह के लिए यंग प्रोफेशनल को प्रतिनियुक्त किया।

3. ऊर्जा वर्टिकल ने भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य–2047 की समृद्धि और अद्यतनीकरण के लिए विश्व बैंक के साथ सहयोग किया।

4. संधारणीय कार्य समूह वृद्धि (एसजीडब्ल्यूजी), जो भारत सरकार और अमरीका सरकार (यूएसजी) की संयुक्त पहल है, के तीन मुख्य क्षेत्रक हैंः ऊर्जा डेटा प्रबंधन, ऊर्जा और पर्यावरणीय मॉडलिंग तथा जियोस्पैटियल विश्लेषण ताकि सौर और पवन ऊर्जा की तैनाती में सहायता दी जा सके। इस संयुक्त प्रयास के तहत थिंक टैंकों को निम्नांकित विषय अनुसंधान अध्ययन के लिए दिए गए हैं। इन एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

- सीईईडब्ल्यू द्वारा एनर्जी–वाटर नेक्सस एंड एफिशिएंट वाटर कूलिंग टेक्नोल जीज फॉर थर्मल पावर
- आईआरएडीई द्वारा एनर्जी, फूड एंड वाटर नेक्सस–एनालिलिस इन अ मैक्रोइकॉनोमिक कन्सिस्टेंसी फ्रेमवर्क
- टेरी द्वारा रिसर्च स्डटी असेसमेंट ऑफ वाटर फुटप्रिंट्स ऑफ इंडियाज लांग टर्म एनर्जी सिनैरियोज
- टेरी द्वारा इंटीग्रेटेड म डलिंग स्टडी ऑफ एनर्जी–वाटर–फूड नेक्सस इन इंडिया
- सी–स्टेप द्वारा इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन पल्यूशन एमिशंस
- सी–स्टेप द्वारा इम्पैक्ट ऑफ पावर सेक्टर ग्रोथ ऑन वाटर रिसोर्सेज
- प्रयास द्वारा डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इन्फ मेशन पोर्टल फॉर इंडिया

5. नीति आयोग ने पहले चरण में एनर्जी डैशबोर्ड स्थापित किया है जो ऊर्जा संबंधी समस्त डेटा को समाविष्ट करते हुए एक ही स्थान पर लाने का प्रयास है। दूसरे चरण में अब डेटा प्रबंधन की ऑनलाइन प्रणाली सृजित करने तथा ऊर्जा डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रयास है जिसमें एमओएसपीआई की सलाह के अनुसार अपेक्षित जनशक्ति हो तथा अर्धवार्षिक/वार्षिक रूप से ऊर्जा सांख्यिकी का आवधिक प्रकाशन हो

VI. समुद्रपारीय व्यस्तताएं

1. जापान के इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी, इकनॉमिक्स के साथ एक आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया गया ताकि विश्वसनीय और सम्मानित ऊर्जा नीति तथा अनुसंधान के लिए आपसी समझदारी और सहकारिता आधार पर ऊर्जा क्षेत्र संबंधी मुद्दों के विश्लेषण के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। "पैन एशिया एलएनजी गैस ट्रेडिंग हब" की स्थापना तथा "पेनिट्रेशन ऑफ वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी इन बोथ जापान एंड इंडिया" संबंधी मुद्दों के लिए नीतिगत पहल की जा रही है।

2. नीति आयोग और ब्रिटेन सरकार के बीच द्विपक्षीय सहयोग के तहत राज्य ऊर्जा गणक विकसित करने की पहल शुरु की गई है। पहले चरण में तीन राज्यों– आंध्रप्रदेश, गुजरात और असम को लिया गया है। राज्य ऊर्जा गणक की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने की। अन्य दो राज्यों के लिए गणक लागू किए जाने हेतु तैयार हैं। इस कार्य के दूसरे चरण में तीन राज्यों– महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को लिया गया है।

10. उद्योग

उद्योग वर्टिकल विनिर्माण क्षेत्रक से संबंधित मुद्दों को देखता है।

चालू वर्ष के दौरान उद्योग वर्टिकल के मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित क्षेत्रों में रहे हैं:

- मेक इन इंडिया
- व्यापार करने में सुगमता
- मुख्य कार्यक्रम
- अन्तरराष्ट्रीय सहयोग
- हितधारकों के साथ विचार–विमर्श
- उच्च स्तरीय/आईएमसी बैठकों की सुविधा के लिए चर्चा/दृष्टिकोण पक्षों को तैयार करना
- नई पहलें
- विभिन्न समितियों और विकास परिषदों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व

1. रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रक में मेक इन इंडिया पहलें

उद्योग वर्टिकल स्थिति पक्ष और निम्नलिखित क्षेत्रों में सिफारिशें तैयार करने के कार्य में शामिल थाः

(i) रक्षा मंत्रालय, पोतपरिवहन मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों और निजी क्षेत्र के शिपयार्डों के साथ विचार–विमर्श के बाद युद्धपोत निर्माण उद्योग का विश्लेषण करने वाला एक व्यापक दस्तावेज तैयार किया गया। प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव को सीईओ, नीति आयोग द्वारा एक प्रस्तुती पेश की गई और इस क्षेत्रक को पुनर्जीवित करने वाली नीति आयोग की सिफारिशों को प्रधान मंत्री कार्यालय ने अनुमोदन किया। इनमें शामिल हैं रक्षा मंत्रालय द्वारा नामांकन की प्रथा को समाप्त करना तथा नेवी द्वारा क्षमता आकलन और पोत परिवहन उद्योग में एसएमई के लिए छोटी परियोजनाओं को खोलना।

(ii) नीति आयोग में मौजूदा अधिग्रहण प्रक्रियाओं पर अध्ययन किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा सचिव, वित्त सचिव, सचिव, औद्योगिक नीति संवर्धन (आईपीपी) और सचिव रक्षा उत्पादन की उपस्थिति में सीईओ, नीति आयोग ने प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य मुद्दा यह था कि मांगों को संकलित किया जाए और थोड़े–थोड़े आर्डर नहीं लिए जाएं ताकि देश में संधारणीय रक्षा औद्योगिक आधार सृजित किया जा सके। अधिग्रहण चरणों की संख्या को कम करने के लिए रक्षा अधिग्रहण के लिए एक निर्णय सहायता प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है।

(iii) एनआईसी कोड, आईटीसी (एचएस) कोड और औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अनुरूप भिन्न–भिन्न किस्म की उप–श्रेणियों पर आधारित एयरोस्पैस और रक्षा क्षेत्रक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने संबंधी एक दस्तावेज तैयार किया गया। दस्तावेज को जांच के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को भेजा गया है।

(iv) छोटे हथियारों के विनिर्माण में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के उपयोग हेतु कार्या योजना तैयार करने वाली टीम रक्षा सचिव सहित सीईओ, नीति आयोग ने अध्यक्षता की। इस मामले पर एक और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को परिचालित किया गया। 'छोटे हथियारों' की नोडल एजेंसी होने के नाते गृह मंत्रालय मामले को देखेगा।

तटीय आर्थिक जोन पर अंतर मंत्रालयी समितिः

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में 25-11-2016 को आयोजित सागरमाला समन्वयन और संचालन समिति की तीसरी बैठक में हुई चर्चा के अनुसरण में तटीय आर्थिक जोन (सीईजेड) के विकास और सीईजेड संबंधी विकास के संचालन हेतु कार्ययोजना तैयार करने के लिए सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया। नीति आयोग समिति के लिए नोडल एजेंसी था।

आईएमसी ने दो उप समूह गठित किए–एक सीईजेड के लिए प्रोत्साहनों के व्यापक पैकेज की सिफारिश करने के लिए और दूसरा सीईजेड के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता और उपयुक्तता पर राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करने के लिए। आईएमसी ने 3 नवम्बर, 2017 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में, संस्थागत व्यवस्था, मसौदा राज्य सहायता करार (एसएसए) और शेयर धारक समझौता तथा प्रोत्साहनों के पैकेज, पहले चरण में सीईजेड के चयन हेतु प्रस्तावित चुनौती पद्धति हेतु मानदण्डों संबंधी व्यापक सिफारिशें की। चूंकि प्रस्तावित सीईजेड का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन है, इसलिए आईएमसी ने प्रस्तावित जोन का नाम बदलकर तटीय रोजगार जोन नाम रखने की सिफारिश की है। पोत परिवहन मंत्रालय आईएमसी की सिफारिश पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

2. व्यापार करने की सुगमता की पहलें:

नीति आयोग ने आईडीएफसी संस्थान के साथ संयुक्त रूप से किए गए एन्टरप्राइज सर्वे के आधार पर व्यापार करने की सुगमता संबंधी रिपोर्ट जारी की। यह सर्वेक्षण अप्रैल 2015 और अप्रैल 2016 के बीच किया गया था। यह सर्वेक्षण इस ओर इशारा करता है कि व्यापार करने के माहौल में सुधार के सरकार के प्रयासों का धरातल पर परिणाम दिखाई दे रहा है। वर्ष 2014 के दौरान या उसके बाद शुरू किए गए स्टार्ट–अप, या एन्टरप्राइजेस का अनुभव बीते समय व्यापार करने में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। समग्र रूप से, नीति आयोग आईडीएफसी संस्थान की व्यापार करने की सुगमता रिपोर्ट यह दर्शाती है कि एन्टरप्राइजेस के वास्तविक अनुभवों के अनेक अनुभव विगत सर्वेक्षणों में रिपोर्ट किए गए विशेषज्ञ अनुभवों से बेहतर हैं।

इसके अतिरिक्त, उद्योग वर्टिकल ने प्रक्रियात्मक सरलीकरण और अनावश्यक नियन्त्रणों को समाप्त करने संबंधी निजी क्षेत्रक से प्राप्त 72 सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 14 मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय किया। 25 सिफारिशों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है जबकि 19 सिफारिशें कार्यानवयन के विभिन्न चरणों में हैं। इस मामले में आवधिक प्रगति प्रधान मंत्री कार्यालय के साथ साझा की गई।

3. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

(i). आस्ट्रेलियाई ट्रेजरी के साथ आशय-पत्र पर हस्ताक्षर:

नीति आयोग और आस्ट्रेलियाई ट्रेजरी, आस्ट्रेलिया सरकार के बीच परस्पर समझ और सहयोग के लिए द्विपक्षी आर्थिक सहयोग संबंधी एक आशय–पत्र पर दिनांक 14 जुलाई, 2017 को भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त और सीईओ, नीति आयोग की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए। एसओआई में व्यावहारिक सहयोग, द्विपक्षीय विचार–विमर्श और विकास संबंधी नीति अनुभवों को साझा करने की भागीदारी परिकल्पित है। एसओआई में संयुक्त कार्य समूह के गठन और उस समय के मैक्रोइकानामिक परिवेश और सहयोग प्राथमिकताओं संबंधी विषयों पर चर्चा के लिए भारत और आस्ट्रेलिया दोनों में बारी–बारी से 'वार्षिक आर्थिक नीति वार्ता' में वार्षिक रूप से बैठक करना भी शामिल है।

(ii). चीन की विकास अनुसंधान परिषद और नीति आयोग के बीच तीसरी वार्ता:

भारत के नीति आयोग और चीन की विकास अनुसंधान परिषद (डीआरसी–नीति आयोग वार्ता) के बीच तीसरी वार्ता 5 दिसम्बर, 2017 को हुई जिसकी सह अध्यक्षता डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष नीति आयोग और श्री ली.वी. प्रेसीडेंट (मंत्री) डीआरसी ने की। चर्चा के क्रम में उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने चीन के वाइस प्रीमियर श्री जैंग गाओली से भेंट की। तीसरी वार्ता से दो शिष्टमंडलों के बीच विश्व के आर्थिक परिप्रेक्ष्य, भारत–चीन आर्थिक सहयोग और संधारणीय विकास की पद्धतियों पर गहन विचार–विमर्श हो पाया। दोनों पक्षों ने संधारणीय विकास प्राप्त करने के लिए चुनौतियों के समाधान के लिए नीतियों और उपायों संबंधी विचारों का आदान–प्रदान किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, उच्च शिक्षा और विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के क्षेत्रों में सर्वोत्तम पद्धतियों और अनुभव साझा करने पर विचार–विमर्श हुए।

चर्चा भारत के माननीय प्रधान मंत्री की मई, 2015 में चीन की यात्रा के दौरान भारत सरकार के नीति आयोग और चीन लोक गणराज्य की राज्य परिषद, विकास अनुसंधान केन्द्र (डीआरसी) की बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत हुई।

(iii). बिरमिंघम, यू.के. में इन्नोवेट 2017 में सहभागिता

सलाहकार (उद्योग) ने यूनाइटेड किंगडम के फ्लैगशिप कार्यक्रम, इननोवेट 2017 और आर्टिफीशियल इन्टेलिजेंस,

बिगडेटा और इन्टरनेट थिंग्रस पर नेक्सट जनरेशन वर्कशाप में भाग लिया। इस कार्यक्रम में इन्वेस्ट इंडिया और नेसकाम (एनएएएससी/ओएम) ने सहभागिता की। इंडिया, यू.के. फ्यूचर मैनयुफैक्चरिंग रिपोर्ट का भी इन्नोवेट 2017 कार्यक्रम के दौरान विमोचन किया गया।

4. हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और बैठकें

नीति आयोग में उद्योग वर्टिकल द्वारा निम्नलिखित बैठकें/चर्चाएं/प्रस्तुतियां आयोजित की गई:

- 4 अगस्त, 2017 को प्रोफेसर भगवान चौधरी, यूसीएलए एंडरसन, लॉस एंजिल्स द्वारा ''ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी और डंपेक्स ऑन गवर्नेंस'' संबंधी चर्चा।
- 16 सितम्बर, 2017 को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा ''परिधान निर्यात का सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन'' संबंधी प्रस्तुतीकरण।
- अपर सचिव (केआईएच), नीति आयोग की अध्यक्षता में 08-09-2017 को ''सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में वित्त पोषण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए भविष्य की राह' संबंधी चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन।
- उपाध्यक्ष नीति आयोग की अध्यक्षता में भारत में एमएसएमई के विकास में रुकावट डालने संबंधी मुद्दों की चर्चा के लिए 04-10-2017 को बैठक का आयोजन
- सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता में 08-05-2017 को भारत में युद्धपोत निर्माण के लिए भविष्य की राह संबंधी चर्चा करने हेतु बैठक का आयोजन।
- सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता में मानव–रहित एरीयल प्रणालियां (यूएवीएस) और बेहतर शासन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कदम, नवोन्मेष वाणिज्यिक अनुप्रयोगों को समर्थ बनाने और विनिर्माण प्रोत्साहन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 25-07-2017 को बैठक का आयोजन। बैठक के उपरांत, गृह मंत्रालय ने ड्राफ्ट ड्रोन विनियमन अधिनियम तैयार किया और डीजीसीए ने यूएबी प्रचालन संबंधी मसौदा परिपत्र जारी किया।
- सलाहकार (उद्योग), नीति आयोग ने साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली में 26-07-2017 को 'रक्षा अधिग्रहण में व्यवसाय प्रक्रिया का पुनर्गठन' संबंधी डीजी (अधिग्रहण) रक्षा मंत्रालय द्वारा ली गई बैठक में 'एमएडीएसएस' संबंधी प्रस्तुतीकरण दिया।
- नीति आयोग में दिनांक 25-7-2017 को इथोपियन सरकार के परिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
- सलाहकार (उद्योग) द्वारा 11 अगस्त 2017 को 'कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) का उदय अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियों पर प्रभाव'' संबंधी एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।
- नीति आयोग में विभिन्न पणधारकों के साथ इंडिया @75 के लिए विकास एजेंडा तैयार करने के एक भाग के रूप में 'व्यवसाय करने की सुगमता' संबंधी सुधार के लिए सामुहिक रूप से विचार मंथन किया गया।
- डॉ. विनोद कुमार पॉल, सदस्य नीति आयोग की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्रक में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) को अपनाने के लिए डेटा की उपलब्धता और संभावित उपयोग संबंधी चर्चा के लिए 17-01-2018 को बैठक आयोजित की गई।
- इथरियम के सह–संस्थापक और गवर्नेंस में ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग संबंधी अनुकूलता के संस्थापक जो–लुबिन्स द्वारा 16-01-2018 को व्याख्यान।

5. नई पहलें:

जीएसटी प्रकोष्ठ और महिला उद्यमिता प्रकोष्ठ का सृजन सुगम कार्यकरण और वस्तु और सेवा कर सुधारों का कार्यानवयन करने के लिए उद्योग वर्टिकल के तहत एक जीएसटी प्रकोष्ठ का सृजन किया गया। प्रकोष्ठ ने विभिन्न औद्योगिक निकायों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की और अन्य संबंधित एजेंसियों के सामने मामलों को उठाया। विशिष्ट क्षेत्रकों नामतः रक्षा उद्योग, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और चमड़ा क्षेत्रकों पर जीएसटी के प्रभावों का पता लगाया गया और राजस्व विभाग से इन्हें साझा किया गया।

देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार (उद्योग और डीएमएंडए) के तहत उद्योग वर्टिकल, नीति आयोग में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। प्रकोष्ठ का तात्कालिक ध्यान सरकार और संस्थाओं की मौजूदा पहलों में इसकी बढ़ोतरी करना होगा।

6. उच्च स्तरीय/आईएमसी बैठकों को सुसाध्य बनाने के लिए चर्चा/दृष्टिकोण पत्रों को तैयार करनाः

उद्योग वर्टिकल निम्नांकित दृष्टिकोण पत्रों को तैयार करने में शामिल थाः

- रक्षा खरीद को सरल और कारगर बनाना–निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित
- रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन छोटे हथियारों के लिए
- एमएसएमई के लिए डेटाबेस का निर्माण
- रक्षा क्षेत्रक में पोत निर्माण
- रक्षा क्षेत्रक में एफडीआई
- विशिष्ट क्षेत्रकों पर जीएसटी का प्रभावों का पता लगाकर राजस्व विभाग से साझा किए गए, विशेष रूप से वायु और रक्षा उद्योग, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़ा, बहुत सी सिफारिशें पहले ही स्वीकार कर ली गईं।
- इंडिया @75 के लिए विकास एजेंडा
- मेक इन इंडिया और व्यवसाय करने की सुगमता
- सेज के लिए प्रोत्साहनों का व्यापक पैकेज संबंधी रिपोर्ट उद्योग वर्टिकल इंडिया @75 के लिए विकास एजेंडा तैयार करने में संलग्न था। इस पहल के एक हिस्से के रूप में एक दृष्टिकोण पत्र नामतः मेक इन इंडिया और व्यवसाय करने की सुगमता तैयार किया गया।

7. विभिन्न समितियों और विकास परिषदों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्वः

नीति आयोग का प्रतिनिधित्वः

उद्योग वर्टिकल निम्नांकित समितियों और विकास परिषदों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता हैः

- एमएसएमई द्वारा गठित सार्वजनिक खरीद नीति संबंधी समीक्षा समिति
- एमएसएमई की संचालन समिति क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी)
- वस्त्र मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) वस्त्र संवर्धन स्कीम की परियोजना मूल्यांकन और निगरानी समिति (पीएएमसी)
- एकीकृत वस्त्र पार्क संबंधी परियोजना जांच समिति (एसआईटीपी)
- एकीकृत वस्त्र प्रसंस्करण विकास स्कीम परियोजना जांच समिति (आईपीडीएस) संबंधी
- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) संबंधी अंतर–मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी)
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत गठित अधिकार प्राप्त समिति
- लोक उद्यम विभाग द्वारा एमओयू संबंधी अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी)
- पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 के तहत पूंजी निवेश संबंधी सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति

- भारी उद्योग विभाग द्वारा 'भारतीय पूंजी माल क्षेत्रक' में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा' देने संबंधी स्कीम के लिए गठित शीर्ष समिति
- सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रक के लिए मेगा कलस्टर संबंधी परियोजना अनुमोदन और निगरानी समिति (पीएएमसी)
- सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में ऑटोमोबाइल्स और संबद्ध उद्योग (डीसीएएआई) संबंधी विकास परिषद
- मशीन टूल उद्योग विकास परिषद
- वस्त्र मशीनरी उद्योग विकास परिषद

निम्नांकित समितियां जिनमें नीति आयोग के सीईओ स्तरीय भागीदारी होती है, संबंधी कार्य उद्योग वर्टिकल देखता है

- सीपीएसई के साथ एमओयू संबंधी उच्चाधिकार समिति
- सीपीएसई को नवरत्न दर्जा प्रदान/वापस लेने संबंधी सिफारिशों के लिए सचिवों की शीर्ष समिति।
- राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास प्राधिकरण (एनआईसीडीए) का न्यासी बोर्ड

11. अवसंरचना

नीति आयोग के अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल के जिम्मे दक्ष, संधारणीय, पर्यावरण–अनुकूल तथा क्षेत्रीय रूप से संतुलित परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देकर परिवहन क्षेत्र के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण बनाए रखने का काम है। वर्ष 2017–18 में इस वर्टिकल द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

1. भारत का विकास एजेंडा @75

अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल भारत का विकास एजेंडा@75 तैयार करने में सक्रिय रूप से संलग्न था। वर्टिकल ने रेल परिवहन, बन्दरगाहों और जहाज, आंतरिक जलमार्गों, नागरिक उड्डयन, सड़क, संभारतंत्र संबंधी रिपोर्टें तैयार करने के लिए उद्योगों और सरकारी विशेषज्ञों के साथ कार्य दल की बैठकें आयोजित की।

2. पोत पारितंत्र कार्यक्षमता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), नीति आयोग ने 28 जून, 2017 को पोत पारितंत्र कार्यक्षता संबंधी बैठक की अध्यक्षता की। पोत परिवहन मंत्रालय, सीमा शुल्क और उत्पाद, वाणिज्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय और उद्योगों से अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। विभिन्न मानदंडों जैसे निर्यात और आयात के लिए लक्षित समय, आयात उत्पाद, रेल और सीआईएसएफ के लिए अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए। समीक्षा के दौरान सीमा शुल्क संबंधी प्रक्रिया, जवाहरलाल रेहरू पोत न्यास में रेलवे रेक्स का भारण, और प्रलेखन में देरी को कम करने संबंधी महत्वपूर्ण उपलब्धियां पाई गईं।

3. निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन

वर्ष के दौरान, रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों से प्राप्त निवेश प्रस्तावों की परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग, नीति आयोग के साथ परामर्श से जांच की गई। ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

क्षेत्रक	एसएफसी	ईएफसी	पीआईबी/ईबीआर
सड़क	62	14	1
रेल	0	0	29
पोत परिवहन	2	2	0
नागरिक उड्डयन	2	0	3

नागरिक उड्डयन के संशोधित निम्नांकित लागत अनुमानों (आरसीई) का भी मूल्यांकन किया गयाः

- अरूणाचल प्रदेश के लोहित जिले में तेजु एयरपोर्ट के विकास के लिए आरसीई
- सिक्किम के पाकयोंग में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए आरसीई

वर्ष 2017–18 के दौरान अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों के लिए जांचे गए ईएफसी, एसएफसी, ईबीआर और पीआईबी नोट्स की संख्या

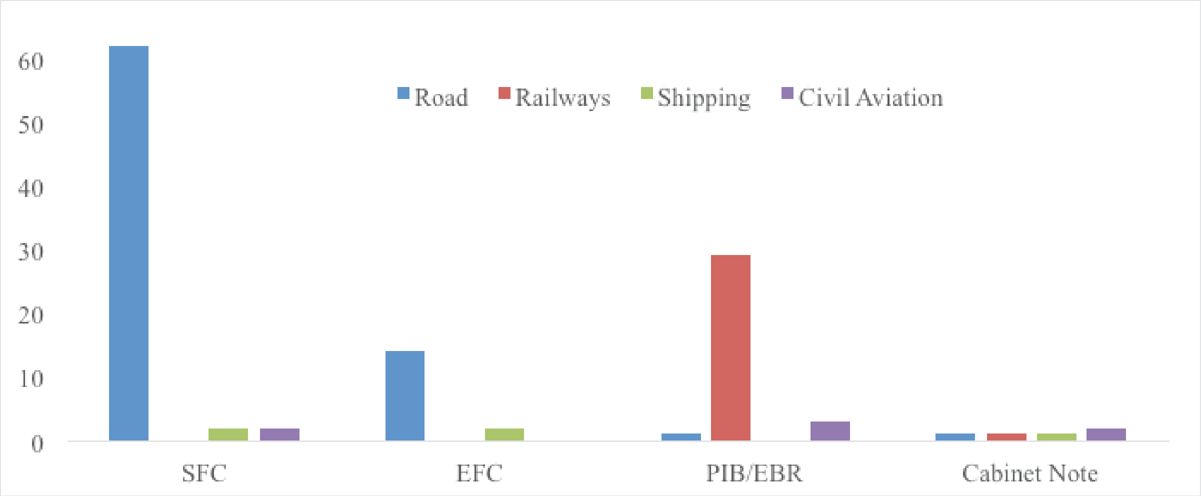

4. मंत्रिमंडल नोट

अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल ने परिवहन क्षेत्रक में नीति निर्माण में मंत्रिमंडल नोटों के माध्यम से अंतर–मंत्रालयी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपने इनपुटों के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष के दौरान ऐसे कुल चार नोटों की जांच की गई जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

मंत्रालय	जांचे गए मंत्रिमंडल नोट
सड़क परिवहन और राजमार्ग	1
रेल	1
पोत परिवहन	1
नागरिक उड्डयन	2

5. ट्रांसफोरमेटिव मोबिलिटी समाधान संबंधी रिपोर्ट

सीईओ, नीति आयोग द्वारा 12 मई, 2017 को विज्ञान भवन में ''इंडिया लीप्स अहेड'' ट्रांसफोरमेटिव मोबिलिटी फॉर ऑल'' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इसे रॉकी माऊंटेन संस्थान (आरएमआई) के सहयोग से तैयार किया गया। रिपोर्ट ऐसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और व्यवसाय प्रतिरूपों की पहचान और उनकी जांच करती है जो भारत को यात्री मोबिलिटी संबंधी पारंपरिक मार्गों से छलांग ('लीप फ्रॉग'') लगाने में समर्थ बनाएगी।

6. नीति सार

सीईओ नीति आयोग द्वारा 22 नवंबर, 2017 को दो नीति सार नामत: भारत का ऊर्जा भंडारण मिशन: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बैटरी विनिर्माण के लिए एक मेक इन इंडिया अवसर, और वैल्यूईंग सोसायटी फर्स्ट: एन असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल फॉर ए फीबेट पॉलिसी इन इंडिया जारी की गई। इन्हें आरएमआई के सहयोग से तैयार किया गया। पहला भारत को बैटरी विनिर्माण के क्षेत्रक में वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जबकि दूसरा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति और मांग को प्रोत्साहित करने के लिए एक ''फीबैट'' नीति का मूल्यांकन करता है।

7. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भारत-फ्रांस कार्यशाला

भारत में फ्रांस के राजदूतावास के सहयोग से, 10 नवम्बर, 2017 को नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में निम्नलिखित विषय शामिल थे: इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति, अवसंरचना, चार्जिंग, स्टोरेज, ग्रिड प्रबंधन, शहरी आयोजना में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा सार्वजनिक परिवहन।

8. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) संबंधी चार्जिंग अवसंरचना पर त्वरित प्रायोगिक

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने 10 नवम्बर, 2017 को दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना का विकास करने से संबंधित प्रस्ताव जारी किया। इसे एसी2एसजी सॉफ्टवेयर के सहयोग से तैयार किया गया था। त्वरित प्रायोगिक के लिए प्रस्ताव का उपयोग गुरुग्राम–इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन–दक्षिण दिल्ली–नोएडा कॉरिडॉर में ईवी अवसंरचना के कार्यान्वयन हेतु संरचना उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है प्रायोगिक तैयार करने संबंधी प्रस्ताव में 135 चार्जिंग स्टेशनों, जिनमें 46 डीसी त्वरित चार्जिंग स्टेशन हैं और 89 अपेक्षाकृत धीमी गति वाले एसी चार्जिंग स्टेशन हैं, के साथ 55 स्थल शामिल हैं।

9. नीति आयोग में प्रायोगिक के रूप में ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना

एबीबी और चार्जप्वाइंट ने प्रदर्शन के उद्देश्य से नीति आयोग में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है जिसका दिसम्बर 2017 में उद्घाटन किया जाएगा।

10. बुद्धिसम्पन्न परिवहन प्रणालियों (आईटीएस) पर अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिसंघ (आईआरएफ) के साथ आशय-विवरण (एसओआई) पर हस्ताक्षर

नीति आयोग और जेनेवा स्थित आईआरएफ ने आईटीएस के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु 21 सितम्बर, 2017 को आशय–विवरण पर हस्ताक्षर किए। इस एसओआई का उद्देश्य यातायात प्रबंधन, पार्किंग प्रबंधन, यातायात नियमों और विनियमनों का इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन, फ्लीट प्रबंधन और अनुवीक्षण, आईटीएस के क्षेत्र में नवप्रवर्तन, आईटीएस के क्षेत्र में शिक्षा को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय आईटीएस नीति तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के सभी संगत हितधारकों, इस क्षेत्र में सक्रिय भारतीय और विदेशी कम्पनियों और संगत तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय मंच का सृजन करना है।

इस राष्ट्रीय आईटीएस नीति के उद्देश्यों में शहरी यातायात भीड़भाड़ को कम करने, शहरों में वाहनों की पार्किंग की स्थिति को सुधारने, सड़क सुरक्षा सुधारने तथा यात्रियों और मालवाहक यातायात की सुरक्षा को सुधारने में योगदान देना शामिल होगा। इस राष्ट्रीय मंच का कार्य यातायात और पार्किंग प्रबंधन, प्रवर्तन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए सुसंगत और समनुरूप राष्ट्रीय आईटीएस नीति उपलब्ध कराएगा।

11. रेल सुरक्षा निधि के लिए अनुवीक्षण समिति

सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र 'राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोश (आरआरएसके) अनुवीक्षण समिति' गठित की गई है। इस समिति के अन्य सदस्य हैं: अपर सदस्य आयोजना, रेलवे बोर्ड, संयुक्त सचिव, पीएफसी–II, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय। सलाहकार (अवसंरचना – कनेक्टिविटी) इस समिति के संयोजक हैं। इस समिति की पहली बैठक 23 नवम्बर, 2017 को हुई थी।

12. प्रस्तावित उच्च गति रेल कॉरिडॉर के मुद्दों का समाधान

तिरुवनंतपुरम और मंगलोर के बीच उच्च–गति रेल कॉरिडॉर के (उडुपी तक) विस्तार संबंधी दक्षिणी आंचलिक परिषद् की 27वीं बैठक में लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में 11 अगस्त, 2017 को सलाहकार (अवसंरचना – कनेक्टिविटी) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक उच्च–गति रेल के प्रस्तावित विस्तार के मुद्दे पर मतैक्य बनाने में केरल और कर्नाटक राज्य सरकारों की मदद करने हेतु आयोजित की गई थी।

13. मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी

प्रधान मंत्री कार्यालय ने नीति आयोग को भारत में मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने का निदेश दिया था। अतः 17 अक्तूबर, 2017 को नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। मेट्रो परियोजनाओं के विकास को बाधित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस बैठक में सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मेट्रो रेल कंपनियों के प्रबंध निदेशकों ने भाग लिया।

14. समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी)

नीति आयोग दो चालू डीएफसी की तिमाही समीक्षा करता है। अब तक 23 अगस्त, 15 नवम्बर और 20 नवम्बर, 2017 को तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

15. विमानपत्तनों में अवसंरचना का विकास

प्रधान मंत्री कार्यालय के 3 फरवरी, 2017 के आरओडी के अनुसरण में अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल, विमानपत्तनों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे अवसंरचना विकास की प्रगति का तिमाही आधार पर अनुवीक्षण करता है। नीति आयोग द्वारा दिनांक 13 जून, 2017 के पत्र के तहत पीएमओ को पहली रिपोर्ट भेजी गई थी।

16. मुद्दों का समाधान

दक्षिण मध्य रेलवे/रेल मंत्रालय द्वारा केआरसीएल को टर्मिनल प्रभारों का भुगतान न किए जाने से संबंधित मुद्दों पर कृष्णापटनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड (केआरसीएल) के सभी हितधारकों और रेल मंत्रालय को शामिल करते हुए 10 अगस्त, 2017 को सलाहकार (अवसंरचना – कनेक्टिविटी) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

17. राज्यों के साथ सहयोग (जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य)

अवसंरचना – कनेक्टिविटी वर्टिकल जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों का कार्य भी देख रहा है। इस अवधि के दौरान किए गए कार्याकलाप निम्नानुसार हैं:

- जम्मू और कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रु. के प्रधान मंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी)–2015 की प्रगति की समीक्षा के लिए 27 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में भारत के माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी।

- प्रो. रमेश चन्द, सदस्य और सलाहकार (एचपी), नीति आयोग ने 23–24 जून, 2017 को हिमाचल प्रदेश की यात्रा की और माननीय मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने सिविल सोसायटी संगठनों और शिक्षाविदों से भी बात की। चर्चा का केन्द्र निम्न रहेः– योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तन, नीति आयोग की नीति निर्माण संबंधी पहलें यथा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यनीति, अटल नवप्रवर्तन मिशन, राष्ट्रीय पोषण नीति, कृषि पुनरुद्धार, डिजिटल अदायगी, मुख्यमंत्री के 3 उप समूह नामतः केन्द्र प्रायोजित स्कीमें, कौशल विकास तथा स्वच्छ भारत, अवसंरचना क्षेत्र में परिणाम, डैशबोर्ड द्वारा मॉनिटरिंग, सस्टेनेबल विकास लक्ष्यों की मॉनीटरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य–योजना और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य, जल, स्कूल शिक्षा गुणता, कृषि मार्केटिंग तथा कृषक अनुकूल सुधार कार्यों पर मुख्य सूचकांक।

- सलाहकार (जेएण्डके), नीति आयोग 31 जुलाई, 2017 को श्रीनगर गए और पीएमडीपी के तहत प्रगति की समीक्षा के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक में भाग लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नीति आयोग क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुर्ननिर्माण की परियोजनाओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करेगा ताकि उनकी वास्तविक प्रगति का आकलन किया जा सके। तदनुसार, नीति आयोग के अधिकारियों की एक टीम ने 5 से 9 सितम्बर, 2017 तक कुछ परियोजना स्थलों का दौरा किया। राज्य सरकार के सहयोग से उन्होंने परियोजनाओं की वित्तीय और वास्तविक प्रगति देखी। प्रेक्षणों के आधार पर, टीम ने अपनी रिपोर्ट 04 अक्तूबर, 2017 को गृह मंत्रालय (पीएमडीपी की प्रगति के मॉनीटरन हेतु नोडल मंत्रालय) को प्रस्तुत की।

- नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जेएण्डके के माननीय मुख्यमंत्री से 28 अक्तूबर, 2017 को श्रीनगर में बैठक की जिसमें राज्य के वित्त मंत्री, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा सलाहकार (जेएण्डके), नीति आयोग शामिल थे। बैठक में जम्मू और कश्मीर के विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

- पीएमडीपी के तहत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 27 नवम्बर, 2017 को एक बैठक हुई, जिसमें सलाहकार (जेएण्डके), नीति आयोग शामिल थे। बैठक में, क्षतिग्रस्त अवसंरचना के स्थायी पुनर्निर्माण के लिए 170 करोड़ रु. (परियोजनाओं की तीसरी खेप के तहत) जारी करने के मुद्दे पर चर्चा हुई।

12. वित्तीय संसाधन

राज्यों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, नीति आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभाग ने उपयुक्त नीति हस्तक्षेप के लिए धन स्थानांतरण प्रक्रिया की समीक्षा, वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों की समीक्षा, राज्यों द्वारा सामाजिक क्षेत्र व्यय, केन्द्र से राज्यों को स्थानांतरण का आकलन सहित राज्यों के वित्तीय स्थिति के आकलन की भूमिका निभाई है। इस भूमिका के साथ, 2017–18 के दौरान प्रभाग द्वारा किए गए अध्ययन और कार्य इस प्रकार हैः–

(i) राज्यों को केन्द्रीय अंतरणों में परिवर्तन का विश्लेषण

राज्य से केन्द्र को संबद्ध और असंबद्ध धन निधियों की मात्रा में परिवर्तन के साथ, और 2016–17 में किए गए इसी प्रकार के विश्लेषण को बढ़ाते हुए, प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय स्थानान्तरण में परिवर्तन का आकलन किया गया। यह पाया गया कि राज्यों को कुल अंतरण 2014–15 से 2015–16 में 21.2% की वृद्धि की तुलना में 2015–16 से 2016–17 में 17% थी। पिछले वर्ष की तुलना में 2016–17 में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन सिक्किम (32%), गुजरात (29%), छत्तीसगढ़ (26%) तथा झारखण्ड (24%) में था। खुले अंतरण (अंतरण़वित्त आयोग अनुदान) का हिस्सा 2014–15 में 61% से 2014–15 में 73% से 2015–16 तक और 2016–17 में 74% तक बढ़ गया है जो राज्यों को स्वायतत्ता बढ़ाने के लिए केन्द्र पर दबाव को दिखाता है। सभी राज्यों को केन्द्रीय अंतरण में परिवर्तन नीचे चार्ट में दर्शाया गया है। यह डाटा प्रधान मंत्री कार्यालय से भी साझा किया गया था और उनके वित्त का राज्य–वार विश्लेषण।

चार्टः पिछले 3 वर्षो के दौरान राज्यों को केन्द्रीय अंतरण तथा इसकी संघटन

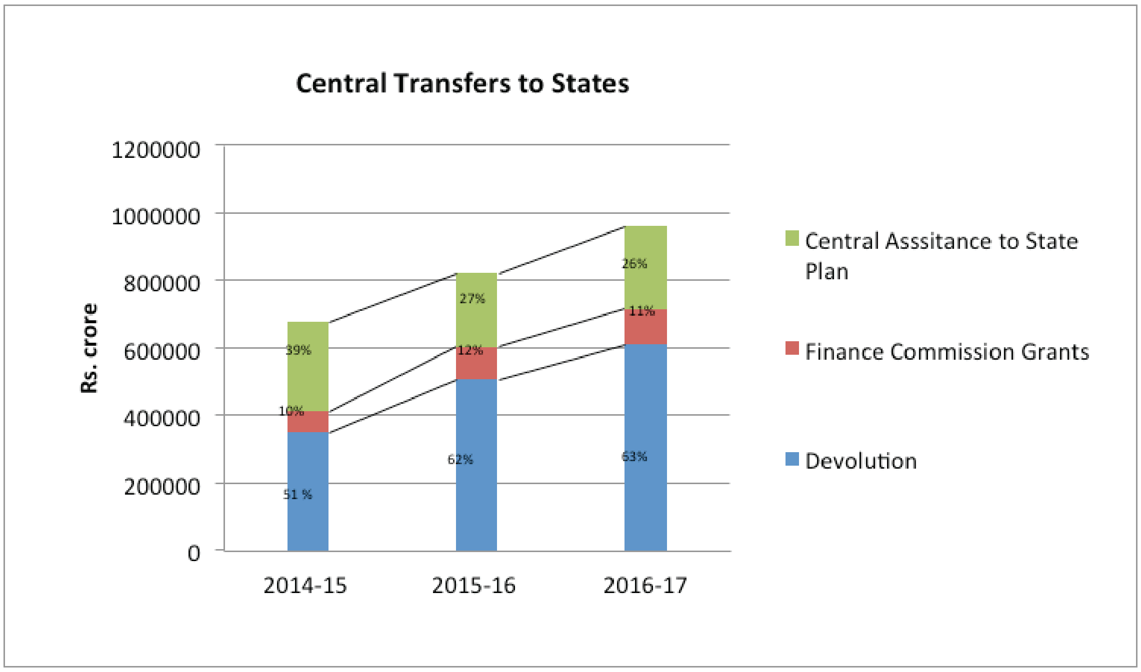

ii. राज्य वित्त की स्थिति-14वें वित्त आयोग के बाद

2012–13 से 2016–17 (आरई) के लिए मौद्रिक घाटा, राजस्व घाटा, बकाया देय सहित विभिन्न मौद्रिक संकेतकों पर डाटा राज्य बजट कागजों से तैयार किया गया और 14वें वित्त आयोग से पहले और बाद के विभिन्न मौद्रिक संकेतकों पर राज्यों की स्थिति का आकलन किया गया। 2016–17 में मौद्रिक घाटा 12.9% दर्ज किया गया जो 3% के विशिष्ट सीमा के भीतर है परन्तु 2015–16 में (2.6%) तथा 2014–15 में (2.6%) मौद्रिक घाटे से अधिक रिकार्ड किया गया। 2015–16 में 19% की तुलना में 2016–17 के उधार–जीएसडीपी अनुपात 23% अधिक था । तुलना की अवधि (2012–15 से 2015–17 तक) में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजी व्यय में 3 प्रतिशत बिन्दु वृद्धि थी। राज्यों को 6 संकेतकों के आधार पर भी रैंक प्रदान किया गया, नामतः, कुल व्यय में सामाजिक क्षेत्र व्यय का हिस्सा, कुल व्यय में पूंजी व्यय का हिस्सा, कुल

राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर राजस्व, जीएसडीपी में मौद्रिक घाटा, कुल राजस्व रसीद में ब्याज भुगतान के जीएसडीपी हिस्सा में बकाया देय। वित्त वर्ष 17 में बड़े राज्यों के बीच छत्तीसगढ़, सबसे ऊपर था और पंजाब सबसे नीचे था। इसे 10 अगस्त, 2017 को आयोजित राष्ट्रीय कान्फ्रैन्स में राज्यों के मुख्य सचिवों के समक्ष रखा गया।

(iii) निष्पादन आधारित धन अंतरण की ओर बढ़ना

राज्य वार आबंटन हेतु प्रत्येक योजना के लिए पारदर्शी 'फार्मूला' तैयार करने की सिफारिश करते हुए सीएसएस (2015) के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप समूह की पृष्ठ–भूमि सहित, अंतराष्ट्रीय अनुभव से सबक लेते हुए और राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन (एनएचएम) के तहत 1500 बजट लाइनों से अधिक माइक्रो प्रबंधित–आबंटनों के मौजूदा व्यवस्था से बाहर जाने की आवश्यकता, निष्पादन से धन आबंटन को जोड़ने की एक प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित तंत्र एनएचएम से राज्यों को धन आबंटन दो विण्डो सिस्टम के तहत होता है–ब्लॉक ग्रान्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुपालित आबंटन की चालू प्रक्रिया, राज्य की क्षेत्र, जनसंख्या तथा सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि पर आधारित तथा निष्पादन आबंटन, ३०ः (परिवर्ती), महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांक का उपयोग करते हुए एक सूचकांक स्कोर पर आधारित तथा राज्यों को स्कोर (स्वास्थ्य सूचकांक में नीति का निष्पादन परिणाम) देने की पद्धति। इस प्रक्रिया से राज्यों के बीच निष्पादन और प्रदायगी के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। यह अध्ययन प्रस्ताव है और समीक्षा और सुझाव के लिए खुला है।

(iv) केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के राज्य वित्त पर नीति द्वारा करवाए गए अध्ययन का आकलन

राज्य को संरचित सहायता देने के लिए तथा उनके वित्त पोषण करने के लिए यह तथ्य को देखते हुए कि मजबूत राज्य मजबूत राष्ट्र के लिए जरूरी है, केरल, पंजाब तथा पंश्चिम बंगाल जिनके वित्तीय संकेतक चिंताजनक थे, उन तीनों के लिए 2016–17 में एक अध्ययन किया जा रहा है। केरल राज्य वित्त पर रिपोर्ट पूरी हो गई है। पंजाब और पंश्चिम बंगाल संबंधी रिपोर्ट अंतिम चरण में है।

रिपोर्ट की सिफारिशें तथा इसके परिणाम नीति आयोग की निम्नलिखित कार्यो में सहायता करेंगे। इन खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के बढ़ते राजस्व और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए नीति सुझाने में तथा अच्छे प्रदर्शन वाले राज्यों की उत्तम पद्धतियों और नीतियों का प्रचार–प्रसार करने के लिए।

(v) राज्यों के सामाजिक क्षेत्र व्यय का विश्लेषण

पिछले 3 वर्षो के दौरान राज्यों के सामाजिक क्षेत्र व्यय का विश्लेषण करने के लिए (14वें वित्त आयोग के बाद) राज्यों को दिए जा रहे असंबद्ध निधियों के लिए एक अध्ययन किया गया है। पिछले साल भी ऐसा अध्ययन किया गया था। यह कार्य राज्यों के सामाजिक क्षेत्र व्यय को कुल व्यय के प्रतिशत तथा अपने स्वयं केजीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में जांच करता है। यह विशेषकर राज्य–वार स्वास्थ्य तथा शैक्षिक व्यय परिदृश्य को भी दर्शाता है।

13. प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण

क. पर्यावरण और वन

प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण (एनआरई) वर्टिकल की पर्यावरण और वन वर्टिकल वनों के संधारणीय प्रबंधन के लिए रणनीति के विकास और नीतियों को तैयार करने और वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा तथा साफ, हरे और स्वस्थ वातावरण के विकास में संलग्न है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) के साथ सहयोग करती है। 2017–18 के दौरान, वर्टिकल द्वारा किए गए प्रमुख कार्य नीचे दिए गए हैः–

1. इमारती काष्ठ में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए उचित कार्यनीतियां बनाना

करोड़ों रुपए के वन उत्पाद हर वर्ष आयात किए जा रहे हैं। यह देश के लिए चिन्ता का विषय है जिसे उपयुक्त हस्तक्षेप की योजना बनाकर दूर किया जा सकता है। वैज्ञानिक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन सहित भारत के वन क्षेत्र आत्म–निर्भर होने के लिए काफी इमारती काष्ठ उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा, वन इतर भूमि से प्राप्त लकड़ी के देशी उत्पादन को बढ़ाकर, विशेषकर, फार्म–वन के अंतर्गत, किसान की आय को दुगुना करने के विचार को पूरा करने में मदद मिलेगी। किसानों को फसल की तरह पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में, इन चुनौतियों से निपटने के लिए मुद्दों और संभव उपायों को उजागर करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य पणधारकों को भी दिखाया गया। इमारती काष्ठ उत्पादन में आत्म–निर्भरता प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य पणधारकों के साथ कई उच्च स्तर की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के बाद, कार्य–बिन्दु तैयार हुए और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को कार्यान्वयन के लिए बताए गए।

काटने और परिवहन अनुमति की आवश्यकता से गैर–वन भूमि पर उगाए गए बांस को छूट देने के उद्देश्य से भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक तैयार करने का नीति आयोग समर्थन करता है। इससे किसान बांस उगाने और अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे।

2. "स्वच्छ हवा बेहतर जीवन" पहलः

स्वच्छ, हरा और स्वस्थ पर्यावरण हेतु उचित कार्यनीतियां बनाना नीति आयोग की प्राथमिकता है। यह विशेषकर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कान्फिडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज (सीआईआई) के साथ काम कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2017 को नीति आयोग और सीआईआई ने सरकारी एजेन्सियों, उद्योगों और अन्य पणधारकों के सहयोग से देश में वायु प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से "स्वच्छ हवा बेहतर जीवन" की संयुक्त पहल की पहली बैठक आयोजित की।

स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ परिवहन, स्वच्छ उद्योगों तथा बायोमास प्रबंधन के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप सुझाने हेतु नीति आयोग में सदस्यों के रूप में विशेषज्ञों सहित चार टास्क फोर्स गठित की गई रिपोर्ट जल्दी तैयार हो जाने की संभावना है।

3. मंत्रिमंडल हेतु नोट का मूल्यांकन

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ तथा सीसी) मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित नोट की जांच की गई और उसे मंत्रालय को भेजा गयाः

क) एन्थ्रोपोजेनिक उत्सर्जन तथा पारे और पारे के भौतिक के उत्सर्जन से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के लिए पारे संबंधी मिनामाटा कन्वेंशन के संशोधन के लिए कैबिनेट का अनुमोदन संबंधी मसौदा मंत्रिमंडल नोट।

ख) मसौदा नोट पर्यावरण सहयोग पर ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हेतु कैबिनेट का अनुमोदन लेने संबंधी मसौदा नोट। प्रस्तावित एमओयू का लक्ष्य वायु गुणता, जल पर्यावरण, बायोडायवर्सिटी तथा संरक्षण, कूड़ा प्रबंधन–था "हरित" अर्थव्यवस्था को प्रोन्नत करने के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है।

ग) भारतीय वन अधिनियम, 1927 के धारा 2(7) के संशोधन हेतु कैबिनेट का अनुमोदन लेने संबंधी मसौदा नोट। प्रस्तावित मसौदा नोट का उद्देश्य काटने और परिवहन अनुमति की आवश्यकता से गैर–वन भूमि में उगाए बांस को छूट दिलाना है।

घ) मसौदा नोट वन्य जीव आवास के एकीकृत विकास के केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु अनुमोदन लेने संबंधी है जिसमें 12वीं योजना से इतर प्रोजेक्ट टाइगर की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) , वन्यजीव आवास की सीएसएस–एकीकृत विकास तथा सीएसएस–प्रोजेक्ट ऐलीफेन्ट शामिल है।

4. व्यय वित्त समिति (ईएफसी)/स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) हेतु ज्ञापनों का मूल्यांकन

(i) 2017–18 से 2019–20 (12वें पंचवर्षीय योजना के इतर) तक योजनाओं को जारी रखने के लिए पर्यावरण, वन तथा मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) हेतु निम्नलिखित मसौदा ज्ञापनों की जांच की गई और परिणाम मंत्रालय को भेजे गएः

(क) अंब्रेला योजना हेतु मसौदा ज्ञापनः प्राकृतिक संसाधन और ईकोसिस्टम (सीएनआरई) का संरक्षण

(ख) अंब्रेला योजना हेतु मसौदा ज्ञापनः हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन

(ग) अंब्रेला योजना हेतु मसौदा ज्ञापनः वन्यजीव आवास का समेकित विकास (आईडीडब्ल्यूएच)

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित "ग्रीन प्लैटफार्म" नामक योजना के लिए स्थायी वित्त समिति (एसएफसीओ) हेतु मसौदा ज्ञापन की जांच की गई और परिणाम मंत्रालय को भेजे गए। मसौदा ज्ञापन में मंत्रालय में "ग्रीन प्लैटफार्म" स्थापित करने का प्रस्ताव था, जो स्थिति और स्त्रोत की उपलब्धता सहित 111 पर्यावरणीय मापदण्डों से अधिक की विशेष डाटाबेस, डायनेमिक आधारित एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआएस) होगी।

(iii) इसके अतिरिक्त, 2017–18 से 2019–20 (12वें वित्त वर्ष से अधिक) तक तीन वर्षों के लिए योजनाओं की निरन्तरता हेतु पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एसएफसी हेतु निम्न मसौदा ज्ञापन की जांच की गई और परिणाम मंत्रालय को भेजा गया।

- "ईको–डेवलेपमेन्ट फोर्स" (ईडीएफ) योजना मसौदा ज्ञापन।
- पर्यावरण शिक्षा के तहत पर्यावरण शिक्षा, जाग्रति तथा प्रशिक्षम (ईईएटी) योजना हेतु मसौदा ज्ञापन के संबंध में
- नैशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज (एनएमएचएस) की योजना हेतु मसौदा ज्ञापन
- जलवायु परिवर्तन कार्य कार्यक्रम की योजना हेतु मसौदा ज्ञापन
- जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अडाप्टेशन निधि योजना हेतु मसौदा ज्ञापन
- खतरनाक पदार्थों के लिए प्रबंधन ढांचा तैयार करने की योजना हेतु मसौदा ज्ञापन

5. परियोजनाएं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की गई और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेन्सियों को टिप्पणी प्रस्तुत की गई। पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ग्रीन ग्रोथ मैनेजमेन्ट इन इनोवेशन (आईजीजीएमए) पर संशोधित परियोजना जिसकी लागत लगभग 1610 करोड़ रु. है विश्व बैंक से वित्तीय सहायता सहित कार्यान्वयन हेतु जांच की गई और मंत्रालय को परिणाम भेजे गए। परियोजना पर्यावरणीय सेवाओं को पुनः शुरू करने और परिदृश्य के भीतर वन, कृषि और अन्य भूमि–उपयोगों के लिए भूमि की उत्पादन क्षमता सुधारने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए खराब भूमि में बहु ईको प्रणाली सेवाएं पुर्नस्थापित करने में सहायता करेगी।

- विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कार्यान्वयन हेतु आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा अग्रेषित लगभग 137.47 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से मणिपुर में जल संसधान संरक्षण हेतु समुदाय आधारित सस्टेनेबल वन प्रबंधन पर परियोजना की जांच की गई और परिणाम डीईए को भेजा गया। परियोजना का लक्ष्य विशेषकर जल बांध क्षेत्रों में वनों के सस्टेनेबल प्रबंधन तथा वन ईको–प्रणाली को पुनः स्थापित करना है।

- जापान इन्टरनैशनल कोऑपरेशन एजेन्सी (जीआईसीए) की वित्तीय सहायता से कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित लगभग 905 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से गुजरात वन विकास–चरण III पर परियोजना की जांच की गई और परिणाम मंत्रालय को भेजे गए। परियोजना का लक्ष्य वन निर्भरों के सामाजिक–आर्थिक विकास और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गहन मृदा और नयी संरक्षम के द्वारा हाइड्रोलोजिकल सेवाओं का सुधारना है।

- जेआईसीए की वित्तीय सहायता से कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अग्रेषित 1632.6 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से "लैण्डस्केप कम्यूनिटी वन और जल प्रबंधन मेघालय" परियोजना की जांच की गई और परिणाम मंत्रालय को भेजे गए।

6. अनुसंधान परियोजनाएं

नीति आयोग के अनुसंधान अध्ययन योजना के तहत ईएण्डएफ क्षेत्र में निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए:–

- कोयला खनन, विस्थापन और ग्रामीण आजीविकाः महानदी कोलफील्ड, उड़ीसा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला द्वारा एक अध्ययन आयोजित किया गया।

- सामाजिक वन और ईको–पुनर्वास, इलाहबाद द्वारा उत्तर–प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या की आजीविका पर खनन और खनन नीतियों का सामाजिक आर्थिक प्रभाव अध्ययन आयोजित किया गया।

14. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्टिकल केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेन्सियों के सहयोग से देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस वर्टिकल की प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

1. **"मेक इन इण्डिया" रक्षा कवच में:** इस क्षेत्र में उद्योगों, अनुसंधान संगठनों और संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों की योग्यताओं और क्षमताओं, सबल और दुर्बल पक्षों के साथ–साथ चिंताओं के मुख्य मुद्दों को चिन्हित करने और उनके द्वारा इस क्षेत्र में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की स्थिति का जायजा लेने के लिए उनके साथ बैठकों के कई दौर आयोजित किए गए। इन चर्चाओं के आधार पर रक्षा कवच के क्षेत्र में "मेक इन इण्डिया के लिए कार्य योजना का मसौदा" तैयार किया गया और अगस्त, 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा गया। रिपोर्ट की सिफारिशों पर एक प्रस्तुति 19 सितम्बर, 2017 को प्रधानमंत्री कार्यालय को की गई। रिपोर्ट में निहित सभी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, पीएमओ ने डॉ. वी.के. सारस्वत, माननीय सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया ताकि रक्षा कवच में मेक इन इण्डिया को बढ़ावा देने की दृष्टि से सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए।

2. **मीथेनॉल अर्थव्यवस्था:** मीथेनॉल और डायमिथाइल ईथर (डीएमई), तेल और प्राकृतिक गैस के संभावित विकल्प के रूप में उभरे हैं क्योंकि अब इनकी प्रौद्योगिकी परिपक्व हो गई है और इनका स्वदेश में ही उत्पादन किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप तेल आयात बिल में कमी आएगी। इस पहल का पालन करते हुए मीथेनॉल अर्थव्यवस्था पर एक शीर्ष समिति और पांच कार्यदल निम्नलिखित पक्षों पर कार्य कर रहे हैं:

क) हाई ऐश कोल का उपयोग करते हुए मीथेनॉल का उत्पादन

ख) बायोमास/नगरीय ठोस अपशिष्ट कोयले के अलावा/स्रोत का उपयोग करके मीथेनॉल का उत्पादन।

ग) मीथेनॉल और डीएमई का उपयोग।

घ) सूचना का प्रसार और मीथेनाल/डीएमई के बारे में जन जागृति तैयार करना।

ङ) मीथेनॉल/डीएमई आधारित इंजनों का परिवर्तन/डिजाइन।

माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री जी ने 31 जुलाई, 2017 को एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें भारत में मीथेनॉल अर्थव्यवस्था को लाने के लिए कई निर्णय लिए गए। पोत परिवहन तथा आंतरिक जल मार्गों के परिवहन में ईंधन के रूप में मीथेनॉल का उपयोग करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया जिसके लिए पोत परिवहन मंत्रालय अनुमोदन हेतु एक कैबिनेट नोट तैयार करेगा। यह निर्णय भी हुआ कि कोयले से मीथेनॉल पायलट प्लान्ट स्थापित किया जाएगा जिसके लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स और कोल इंडिया लि. कुछ विशेष खानें आबंटित करेंगी।

3. **वैज्ञानिक विभागों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक सुधार:** प्रधान मंत्री कार्यालय के निदेशानुसार, नीति आयोग ने वैज्ञानिक विभागों और मंत्रालयों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में और अधिक लचीलापन प्रदान करने हेतु क्रियाविधि तैयार करने की अगुवाई की। इससे विज्ञान प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के अंगीकरण हेतु तथा वर्ष 2030 तक विज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में शामिल होने के भारत के विजन को साकार करने हेतु समर्थकारी माहौल उपलब्ध होगा। तदनुसार सभी वैज्ञानिक विभागों के सचिवों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गईं और डीएसटी को उचित सिफारिशें अग्रेषित की गईं। नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारगर कार्यकरण और प्रसार के लिए वित्तीय और प्रशासनिक सुधारों हेतु एक कैबिनेट नोट तैयार किया है जिस पर अंतर–मंत्रालयी परामर्श किया जा रहा है।

4. इसके अलावा, वर्टिकल एसएण्डटी कार्यों को सुसाध्य बना रहा है जैसे राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटिंग मिशन, भारत में निर्माण तथा देश में उत्पादित माल और सेवाओं की प्राप्ति को बढ़ाने के लिए प्रेफरेंशियल मार्किट एक्सेस (पीएमए), शिक्षाविदों और राष्ट्रीय आरएण्डडी लैब के बीच अंतर को दूर करना, सरकार द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय आरएण्डडी लैब की रैंकिंग तथा रेटिंगय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रभावी व्यवसायीकरण। एसएण्डटी वर्टिकल ने केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों की समितियों जैसे विज्ञान और इन्जीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, गवर्निंग काउन्सिल तथा एसएण्डटी विभागों जैसे डीएसटी, डीबीटी, डीएसआईआर/सीएसआईआर, डीओपी तथा डीओएस की ईएफसी/एसएफसी बैठकों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

15. राज्यों का समन्वय और विकेन्द्रीकृत योजना

1. पंचायती राज मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मामले देखे गए

- पंचायती राज मंत्रालय की विद्यमान योजनाओं तथा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) पर प्रस्ताव की जांच करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट मई, 2017 में पूरी हुई।

- पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय को विश्व बैंक से तकनीकी सहायता ऋण हेतु पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) से मसौदा प्रस्ताव की जांच की गई और टिप्पणियां विदेश मंत्रालय का भेजी गईं।

- 2022 तक पंचायती राज में रोजगार और वृद्धि पैदा करने के उद्देश्य से कार्यनीति पत्र तैयार करने की आवश्यकता को मानते हुए, श्री मीनाक्षीसुंदरम, अध्यक्ष, एमवायआरएडीए की अध्यक्षता में पंचायती राज से संबंधित एक कार्यदल गठित किया गया और कार्यदल में चर्चा के बाद, पंचायती राज के लिए नए भारत@75 हेतु विकास एजेंडा के लिए सिफारिश की गई।

- अधिकरण अपीलीय अधिकरणों तथा अन्य प्राधिकरणों के नियमों को अंतिम रूप देने तथा संस्थानों/प्राधिकरणों को वित्त अधिनियम, 2017 की आठवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 187 के तहत शामिल किए जाने हेतु श्री रतन पी. वातल, प्रधान सलाहकार, नीति आयोग की अध्यक्षता में तथा प्रधानमंत्री के सचिव तथा विधि सचिव की सह–अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी चर्चा हुई।

- न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के संबंध में न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के संशोधित ईएफसी ज्ञापन की जांच की गई और टिप्पणी प्रस्तुत की गईं।

- सिविल अधिकार लागू करने के लिए दी गई कुछ प्रकार की विशिष्ट राहत से संबंधित विशिष्ट नियम अधिनियम, 1963 के तहत कानून में संशोधन के लिए विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्राप्त संशोधित मसौदा कैबिनेट नोट की जांच की गई और टिप्पणियाँ दी गईं।

- नीति आयोग ने चर्चा में सकारात्मक रूप में हिस्सा लिया और मंत्रालयों की महत्वपूर्ण समितियों को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में सहयोग किया जैसे न्याय विभाग में अधिकार प्राप्त समिति, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) पर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (सीईसी) तथा पंचायती राज की मौजूदा योजनाओं और आरजीएसए पर एमओपीआर के प्रस्ताव की जांच करने के लिए उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में गठित समिति।

- विधि एवं न्याय मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के आउटकम बजट को अंतिम रूप दिया।

2. गवर्निंग काउन्सिल की बैठक

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) की गवर्निंग काउन्सिल की तीसरी बैठक माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 23 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में 27 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

3. डिजिटल/कैशलेस समाज को बढ़ावा देना

14 अप्रैल, 2017 को नागपुर, महाराष्ट्र में अम्बेडकर जयन्ती समारोह और डिजी धन मेले के 100वें दिन के पूर्ण होने का समारोह आयोजित किया गया।

4. अनुसंधान अध्ययन

"भारत में राज्यों को केन्द्रीय अंतरण निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए निष्पादन को पुरस्कार" के संबंध में डॉ. एम. गोविन्द राव, सदस्य एफएफसी के द्वारा नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) को एक अध्ययन प्रदान किया गया। डॉ. राव ने अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट अगस्त, 2017 में प्रस्तुत की।

5. विशेष योजनाएं

ओडिशा के केबीके, पं. बंगाल तथा बिहार हेतु विशेष योजनाओं के तहत चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय बजट की मांग संख्या 37, 32 तथा 40 से क्रमशः ओडिशा, प.बंगाल तथा बिहार को 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 में विशेष सहायता प्रदान की गई, जो निम्नानुसार है।

विशेष योजना	वर्ष	दी गई राशि (करोड़ रु.)	केन्द्रीय बजट की मांग संख्या
ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना	2015-16 2016-17	132.07 367.93	मांग सं. 37 मांग सं. 32
प.बंगाल के लिए विशेष योजना	2015-16	836.77	मांग सं. 37
बिहार के लिए विशेष योजना	2015-16 2016-17 2017-18	1887.53 1329.40 2064.00	मांग सं. 37 मांग सं. 32 मांग सं. 40

उड़ीसा के केबीके जिलों, बिहार और प.बंगाल के लिए विशेष योजना 2014–15 तक पिछड़ा क्षेत्र ग्रांट फण्ड (बीआरजीएफ) के राज्य घटक के तहत कार्यान्वित की जा रही थी। जैसे ही बीआरजीएफ डिवोल्यूशन का भाग बनी, 2015–16 से आगे केन्द्रीय बजट से स्कीमों के लिए कोई धन नहीं दिया गया। विशेष योजना के तहत उड़ीसा, प.बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों से समय–समय पर प्राप्त वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोग प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है और चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष सहायता से धन उपलब्ध कराने पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय को नीति आयोग की सिफारिशें भेज दी जाती हैं।

6. जिला नवप्रवर्तन निधि

जिला नवप्रवर्तन निधि के तहत 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धन का उपयोग न होने के कारण, 14वें वित्त आयोग के तहत डीआईएफ को बंद कर दिया गया। सचिवों के दल ने माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष "शासन" संबंधी प्रस्तुति की और सिफारिश की कि शासन में नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए जिला नवप्रवर्तन निधि का सृजन किया जाए और जिला नवप्रवर्तन निधि के अंतर्गत आबंटन को प्रति जिला 1 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 करोड़ रु. कर दिया जाए। बाद की कार्रवाई में, जिलों द्वारा धन के कम उपयोग (डीआईएफ के तहत) के कारणों और उनसे जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए संयुक्त सचिव (राज्य समन्वय) की अध्यक्षता में सभी राज्य वित्त सचिवों और व्यय विभाग की बैठक हुई। चर्चा के बाद, जिला नवप्रवर्तन निधि (डीआईएफ) के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

16. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

नीति आयोग का सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रभाग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, घुमंतू, अर्ध–घुमंतू तथा अनाधिसूचित जनजातियाँ, अल्पसंख्यक तथा अन्य कमजोर समूह जैसे–अशक्त लोग, वरिष्ठ नागरिक, मादक पदार्थो के पीड़ित/नशेड़ी, भिखारी/बेघर और किन्नरों के हितों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने तथा मजबूती प्रदान करने हेतु इनपुट उपलब्ध कराने का काम करता है। यह प्रभाग अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी), जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देता है और अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान तथा एससीएसपी और टीएसपी को विशेष, केंद्रीय सहायता और उप–योजना से जुड़े नीतिगत मुद्दों को देखता है।

सामाजिक न्याय प्रभाग नीति आयोग में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा अशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग), जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण और विकास के लिए काम करने वाले राज्य विभागों के लिए भी एक नोडल डिवीजन है। रिपोटाधीन अवधि के दौरान प्रभाग द्वारा किए गए कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार हैः–

i. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) का नवीनीकरण

सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 20 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति की। एक निर्णय यह था कि अनुसूचित जाति से संबंधित नीति बनाने में टीआरई की बड़ी भूमिका है। टीआरआई से नीति संबंधी सूचना प्राप्त की जाए और टीआरआई को उच्च स्तर के अनुसंधान केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाए। इस पर अनुवर्ती कार्रवाई नीति आयोग को करनी है। डॉ. एस.एम झारवाल, कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक उप–समूह गठित किया गया। वरिष्ठ प्रबंधन समिति (एसएमसी) द्वारा यथा निर्देशित उप–समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को उनके विचारों हेतु परिचालित कर दिया गया है।

(ii) अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के अनुवीक्षण तथा समीक्षा हेतु संस्थागत प्रक्रिया

पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा पूर्व में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा एससीएसपी तथा टीएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे। सचिव, वित्त मंत्रालय तथा आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से प्राप्त पत्र के उत्तर में अप्रैल, 2015 में नीति आयोग द्वारा पुनः दिशानिर्देश जारी किए गए। एससीएसपी और टीएसपी की निगरानी और समीक्षा का काम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 27 जनवरी, 2017 के संशोधित एबीआर के द्वारा सौंपा गया, नीति आयोग ने एक निगरानी फ्रेमवर्क तैयार किया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को क्रमशः एससीएसपी और टीएसपी को परिचालित किया।

(iii) वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों तथा जनजातियों के लिए आजीविका अवसरों पर एक संकल्पना पत्र

अनुसूचित जनजातियों के विकास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 17-09-2015 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति की बैठक हुई। उनमें से एक सिफारिश नीति आयोग से संबंधित थी कि नीति आयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) के साथ मिलकर सुगंध उद्योग, शहद, डेयरी आदि को जनजातीय लोगों के लिए विशेषकर

एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में, आजीविका के संधारणीय साधन के रूप में विकसित करने की संभावना का पता लगाएंगे। इस पर एक संकल्पना पत्र तैयार कर लिया गया है और हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए परिचालित किया गया है।

(iv) नीति समावेश मंच से चर्चा

एसजेई प्रभाग ने अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजातीय उप–योजना पर राज्यों और स्वतंत्र एजेंसियों की सलाह/सुझाव लेने के लिए दो परामर्श बैठकें की तथा अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भोपाल में जनजातीय अनुसंधान संस्थान तथा तिरुवनंतपुरम में विकास अध्ययन केन्द्र के साथ कार्य कर रहा है।

(v) सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रभाग डिवीजन ने भाग लिया

- एमएफपी की कीमत का निर्णय करने के लिए स्टेकहोल्डरों के परामर्श से एमएफपी के लिए एमएसपी पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला/परामर्श बैठक में भाग लिया

- बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीकेवाई) के तहत प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक

- राष्ट्रीय सफाईकर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ प्रधान सलाहकार, नीति आयोग की बैठक

- सामाजिक सुरक्षा मुद्दों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया।

- राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा आयोजित डोनर सिन्ड्रॉम पर राष्ट्रीय कान्फ्रैन्स में भाग लिया।

- पीडब्ल्यूडी हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा आयोजित इन्क्लूसिव इण्डिया कैम्पेन में भाग लिया।

ईएफसी/एसएफसी

- राष्ट्रीय सफाईकर्मचारी वित्त और विकास निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने हेतु ईएफसी प्रस्ताव की जांच की और समर्थन किया।

- एससीएसपी को एससीए हेतु ईएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और एससी को लाभ देने के लिए कुछ सुधार के साथ समर्थन किया।

- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों हेतु ईएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे और वर्ष 2019–20 तक चलाने हेतु योजना का समर्थन किया।

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 (एसआईआरपीडीए) हेतु ईएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और क्षेत्र में पर्याप्त कार्यान्वयन पद्धति तथा जागरुकता तैयार करने के लिए कुछ संशोधन के साथ समर्थन

- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना (मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर, योग्यता सह साधन छात्रवृत्तियाँ) हेतु ईएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और सेवा डिलीवरी को सुधारने तथा डीबीटी प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुझावों सहित समर्थन किया।

- ओबीसी लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल के निर्माण हेतु ईएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और पर्याप्त सुरक्षा प्रावधानों तथा परियोजना को पूरा करने की समयावधि के लिए कुछ संशोधनों सहित समर्थन किया।

- अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए अम्ब्रैला कार्यक्रम हेतु ईएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और सेवा डिलीवरी में सुधार तथा दोहरे लाभों से बचने के लिए सुझावों सहित समर्थन किया।

- ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर स्कॉलरशिप को जारी रखने और संशोधित करने हेतु ईएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और डीबीटी प्रावधानों को कार्यान्वित करने तथा अल्पसंख्यक समुदाय के ओबीसी को दोहरे लाभ से बचने का सुझाव दिया।

- अल्पसंख्यकों के लिए 'सीखो और कमाओ' की योजना हेतु ईएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और सर्विस डिलीवरी तथा डीबीटी प्रावधानों में सुधार करने के कुछ सुझावों के साथ समर्थन किया।

- एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप की योजना में संशोधन तथा जारी रखने हेतु ईएफसी प्रस्ताव की जांच तथा सर्विस डिलीवरी में तथा डीबीटी प्रावधानों में सुधार के सुझावों सहित समर्थन किया।

- टीआरआई हेतु एसएफसी की जांच की गई तथा उन्हें शीर्ष स्तर के अनुसंधान संस्थानों की तरह बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया।

- एमएफपी हेतु एमएसपी को जारी रखने और संशोधन करने हेतु ईएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और समर्थन किया गया।

- 12वीं पंचवर्षीय योजना के आगे 2019–20 तक जनजातीय उत्पादों के विकास और मार्केटिंग और विकास हेतु संस्थात्मक सहायता को जारी रखने और संशोधन के लिए एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और जनजातियों को लाभ दिलाने के लिए कुछ संशोधनों के साथ समर्थन किया।

- राष्ट्रीय फैलोशिप की योजना तथा उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप को जारी रखने हेतु एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और स्लॉट्स की संख्या, डीबीटी प्रावधान, लाभार्थियों को आधार से जोड़ना आदि को जारी रखने के सुझावों सहित समर्थन किया।

- राष्ट्रीय व्योश्रेष्ठ योजन हेतु एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और योजना को 2019–20 तक चलाए रखने का समर्थ किया।

- दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना को जारी रखने तथा संशोधित करने के एसएफसी प्रस्ताव और पीडब्ल्यूडी को सेवा डिलीवरी को सुधारने के कुछ उपाय सुझाए

- सहायक उपकरणों की खरीद और फिटिंग्स के लिए दिव्यांगों को सहायता की योजना के एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और सर्विस डिलीवरी व्यवस्था को सुधारने तथा ग्रामीण और दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों में कैम्प लगाने और जागरुकता फैलाने के लिए समर्थन किया

- ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना को संशोधित करने तथा जारी रखने हेतु प्रस्ताव की जांच की गई और स्लॉट की संख्या बढ़ाने तथा डीबीटी प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव सहित समर्थन किया।

- जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरएस) की स्थापना हेतु एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और ओवरलैपिंग कार्यों को रोकने और डीबीटी प्रावधानों को सुनिश्चित करने के सुझाव सहित समर्थन किया।

- अनुसूचित जाति छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में संशोधन और जारी रखने के एसएफसी प्रस्ताव की जांच और डीबीटी प्रावधानों को सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा कार्यान्वित करने के कुछ सुझाव दिए।
- ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना को जारी रखने के प्रस्ताव की जांच की गई और अल्पसंख्यकों के ओबीसी द्वारा दोहरे लाभ से बचने के लिए डीबीटी प्रावधानों के कार्यान्वयन का सुझाव दिया।
- अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को इक्विटी सपोर्ट को जारी रखने और संशोधित करने के एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और डीबीटी प्रावधानों के साथ सर्विस डिलीवरी देने और आरआरबी और माइक्रो वित्त संस्थानों तक अपना बेस बढ़ाने के सुझाव के साथ समर्थन किया।
- अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और सहायक योजनाओं को संशोधित करने और जारी रखने के लिए एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और सर्विस डिलीवरी तथा डीबीटी प्रावधानों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव के साथ समर्थन किया।
- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप को संशोधित करने और जारी रखने के एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और सेवा डिलीवरी और डीबीटी प्रावधानों में सुधार करने के लिए कुछ सुझावों के साथ समर्थन किया।
- मद्यपान और ड्रग्स निवारण तथा सामाजिक सुरक्षा सेवाओं हेतु एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और सेवा डिलीवरी तथा डीबीटी प्रावधानों को सुधारने के लिए कुछ सुझावों सहित समर्थन किया।
- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता राशि देने के एसएफसी प्रस्ताव की जांच की तथा पुराने एनजीओ को सर्वोत्त्म पद्धतियां अपनाने और सेवा डिलीवरी करने के लिए सबसे पिछड़े और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के सुझाव सहित समर्थन।
- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को जारी रखने और संशोधित रखने हेतु एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और सेवा डिलिवरी सुधारने तथा परियोजनाओं को पूरा करने की समय–सीमा तय करने के सुझावों सहित समर्थन किया।
- बूढ़े व्यक्तियों हेतु एकीकृत कार्यक्रम की योजना जारी रखने और संशोधित करने हेतु एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और राज्य एजेंसियों को मदद करने तथा पुराने एनजीओ को खत्म करने तथा सर्वोत्त्म पद्धतियों वाले उन नए एनजीओ को मदद करने जो जरूरतमंदों की मदद करने के सुझाव के साथ समर्थन किया।
- एससी के लिए शीर्ष स्तर की शिक्षा योजना को जारी रखने और संशोधित करने के एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई, डीबीटी प्रावधानों को सुनिश्चित करने एसटी, अल्पसंख्यकों आदि की ऐसी स्कीमों के अनुरूप दरों और अन्य सहायता करने हेतु कुछ घटकों में संशोधन करने के लिए टिप्पणियां भेजी गई।

कैबिनेट नोट

- एससी छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना को जारी रखने और संशोधित करने हेतु कैबिनेट नोट की जांच तथा समर्थन किया गया।
- भोपाल में मानसिक रूप से विकलांग लोगों हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए कैबिनेट नोट की जांच की गई और निमहान्स जैसे अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय करने के सुझाव सहित समर्थन किया गया।
- एमएसडीपी (पीएमजेवीकेवाई) योजना को जारी रखने हेतु कैबिनेट नोट की जांच की गई और सेवा डिलीवरी और संयोजन को सुधारने के लिए कुछ सुझावों सहित समर्थन किया।

राज्य मुद्दे

- उड़ीसा राज्य के लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए, उड़ीसा सरकार के अधिकारियों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और आपरेशनल कठिनाइयों के कारण फंसे बकाया मुद्दों में से कुछ मुद्दे सुलझाए गए।
- जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान और मोटा की अन्य स्कीमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए मोटा की पीएसी बैठकों में भाग लिया।

संसद मुद्दे

- एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन पर वित्त स्थायी समिति के लिए सूचना उपलब्ध कराई गई।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को कमजोर वर्गों के कल्याण के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में सूचना दी गई
- श्री पी. एल पूनिया द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु मानव विकास सूचकांक पर 06-02-2017 को पूछा गया राज्य सभा तारांकित प्र.सं. 34 का जवाब दिया गया।

वीआईपी और पीएमओ हवाले

वीआईपी, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति से प्राप्त विभिन्न पत्रों को उपयुक्त अधिकारियों के साथ उठाया गया और उत्तर/कार्रवाई से आवेदकों को सूचित किया गया।

आरटीआई मामले

आरटीआई अधिनियम–2005 के तहत प्रभाग में प्राप्त लगभग 90 आरटीआई आवेदन और दो आरटीआई अपीलें निपटाईं गई।

की गई अन्य कार्रवाइयाँ

वर्ष के दौरान, प्रभाग ने लघु वन उत्पादों (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में संशोधन हेतु ट्राइफेड की मूल्य निर्धारण समिति में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया। अन्य समितियाँ जिनमें वर्ष के दौरान प्रभाग ने नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया, इस प्रकार हैं:– (i) जनजातीय कल्याण की स्थायी समिति और जनजातीय कल्याण हेतु राष्ट्रीय परिषद (ii) सिर पर मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध तथा अन्य पुनर्वास अधिनियम–2013 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केन्द्रीय निगरानी समिति (iii) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नई मंजिल योजना हेतु तकनीकी सलाहकार समिति (iv) एससी और ओबीसी छात्रों के लिए प्री–कोचिंग की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु कोचिंग संस्थानों के चयन हेतु चयन समिति तथा (v) जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत तथा धारा 275(1) के तहत सहायता अनुदान के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु परियोजना अनुमोदन समिति। प्रभाग ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) के अलावा बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम/अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पीएम के 15 सूत्री कार्यक्रम की परियोजना अनुमोदन समिति में भी नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

17. स्वैच्छिक कार्य सैल

1. सरकार और एनजीओ/वीओ के बीच एक अच्छी भागीदारी सरकार को कई समस्याओं के हल निकालने और गरीबी, अभाव, अपवर्जन आदि के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र पहलें करने में मदद करती है। भारत सरकार देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र की सहयोगी भूमिका को मान्यता देती है। स्वैच्छिक कार्य सैल का कार्य देश में स्वैच्छिकता को बढ़ाना है। सैल के कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं:– स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए नीति–निर्देश तैयार करना, स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति, 2007 का प्रचालन, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्देश, एनजीओ/वीओ के डेटा बेस का रख–रखाव आदि।

2. वीएसी की महत्वपूर्ण पहल वीओ/एनजीओ का इलैक्ट्रानिक डाटा–बेस तैयार करना है जो एनजीओ दर्पण पोर्टल के द्वारा किया गया है। एनजीओ–दर्पण (एनजीओ–पीएस) पोर्टल एक ई–गवर्नेंस एप्लीकेशन है जो देश में एनजीओ/वीओ के संबंध में इलैक्ट्रौनिक डाटा मेनटेन करता है। पोर्टल देश में एनजीओ/वीओ के लिए पारदर्शिता से काम करने का स्कोप तैयार करता है।

3. संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ कार्य करने के लिए, एक एनजीओ को पहले अपेक्षित ब्यौरे जैसे संगठन की पंजीकरण संख्या, संगठन का पैन, पदाधिकारियों/ट्रस्टियों का पैन और आधार ब्यौरा आदि देकर एक यूनिक पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के पोर्टल एनजीओ–दर्पण पर साइन–अप करना होता है। पोर्टल जिसे पहले एनजीओ–पीएस (एनजीओ–पार्टनरशिप सिस्टम) कहा जाता था, का नवीनीकरण कर दिया गया है और यह यूनीक आईडी के लिए साइन–अप करने में एनजीओ/वीओऔ को मदद कर रहा है। यह एक गतिशील पोर्टल है जो एनजीओ के साइन–अप करने पर अद्यतन होता रहता है। एनजीओ के द्वारा योजनाएं चलाने वाले मंत्रालय/विभाग को अपना पोर्टल विकसित करना और उसे एनजीओ दर्पण के साथ मिलाना जरूरी है ताकि धन प्रवाह, कार्यान्वित परियोजनाओं आदि के बारे में सूचना मिलती रहे। मंत्रालय/विभाग अनुदान हेतु एनजीओ से आवेदन प्राप्त होने पर उस पर विचार करने से पूर्व इस एकीकृत व्यवस्था से एनजीओ के बारे में पता लगा सकते हैं।

4. रिपोर्ट की अवधि के दौरान पोर्टल के संबंध में निम्न कार्य किए गए।

- दिसम्बर, 2016 से पहले, पोर्टल के डेटाबेस में लगभग 85000 एनजीओ थे। हालांकि पैन और आधार ब्यौरे को अनिवार्य करने के बाद पोर्टल में एनजीओ की संख्या में कमी आई है। 7 दिसम्बर, 2017 तक कुल 24035 एनजीओ ने एनजीओ दर्पण पोर्टल पर साइन–अप किया।

- 18 मंत्रालयों/विभागों ने अपने पोर्टल विकसित करके एनजीओ–दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत किए हैं। 5 मंत्रालय अपने पोर्टल विकसित कर रहे हैं। एनजीओ दर्पण पोर्टल से बनी एमआईएस रिपोर्ट बताती है कि 07-12-2017 तक 10 मंत्रालय/विभागों ने 2017-18 के दौरान अपनी योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 356 एनजीओ को 267 करोड़ रु. की राशि दी है।

- तथापि, एनजीओ दर्पण को पीएफएमएस के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया गया है। पीएफएमएस विण्डो के अनुसार, 2017-18 के दौरान 07-12-2017 तक 34 मंत्रालयों/विभागों की 221 परियोजनाओं के तहत 1029 एनजीओ को 1895 करोड़ रु. की कुल राशि दी गई है।

5. सर्विस डिलीवरी में सरकार और सिविल सोसाइटी संगठनों के बीच भागीदारी बढ़ाना 2017-18 के दौरान, वीएसी की एक महत्वपूर्ण पहल रही है। इस संबंध में, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त सेवा डिलीवरी संगठनों तथा महत्वपूर्ण केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में 01 मार्च, 2017 तथा 23 जून, 2017 को एनजीओ

की बैठक आयोजित की गई। बैठक ने एनजीओ को नीति आयोग तथा उपस्थित मंत्रालयों/विभागों के साथ अपने मूलभूत अनुभव साझा करने का मंच दिया। एनजीओ को सरकार के अनेक सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों पर अपना मत रखने की सलाह दी गई। इससे स्वैच्छिक संगठनों के मुद्दों को सेवा डिलीवरी संगठनों और संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों के बड़े मंच पर उठाने की मदद मिलेगी। यह सरकारी नीति को आगे बढ़ाने का और कमजोर लोगों के कल्याण के लिए कार्यान्वयन पहल करने का एक अच्छा माध्यम है।

18. विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)

I. परिचय

भारत में एक कुशल और स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र की जरूरत देश में योजना प्रक्रिया की शुरुआत से ही योजनाकारों और नीतिकारों द्वारा महसूस की गई थी और परिणामतः केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों के स्वतंत्र और आब्जेक्टिव प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए 1952 में सरकार द्वारा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन स्थापित किया गया।

II. विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय

सरकार द्वारा विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) की स्थापना पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय को मिलाकर नीति आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में 18 सितम्बर, 2015 को की गई थी। डीएमईओ के प्रमुख महानिदेशक हैं जो भारत सरकार के अपर सचिव के बराबर हैं। डीएमईओ को स्वतंत्र तथा प्रभावी ढंग से काम करने में समर्थ बनाने के लिए, इसे कार्यात्मक स्वतंत्रता देने के साथ अलग बजटीय आबंटन तथा श्रमशक्ति प्रदान की गई है। इसमें 157 पद हैं जिनमें से 102 प्रोफेशनल स्टाफ और बाकी सहायता स्टाफ है।

III. डीएमईओ के कार्य

डीएमईओ को "सफलता की सम्भावना और डिलीवरी के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए आवश्यक स्रोतों की पहचान सहित भारत सरकार के कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन तथा सक्रिय निगरानी करने" का अधिदेश दिया गया है।

डीएमईओ के कार्य नीचे दिए गए चित्र के द्वारा बताए गए हैं:

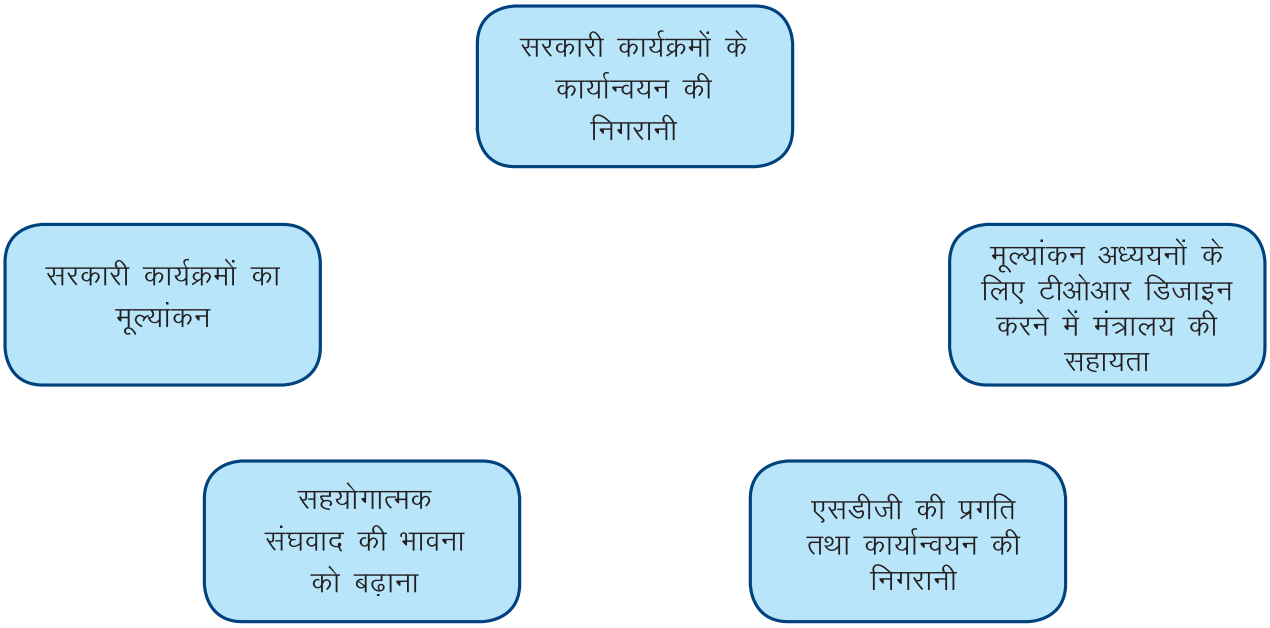

IV. डीएमईओ का संगठनात्मक ढांचा

नीति आयोग के स्तर पर कार्यक्रम मूल्यांकन का कार्य उपाध्यक्ष, नीति आयोग के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत देखा जा रहा है। महानिदेशक के अतिरिक्त, डीएमईओ में कार्यात्मक अधिदेश को देखने के लिए 4 उप महानिदेशक (एसएजी स्तर) तथा एक संयुक्त सचिव (प्रशा तथा वित्त) के पद की व्यवस्था की गई है जो प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराता है। डीएमईओ का मुख्यालय नीति आयोग, नई दिल्ली में है।

डीएमईओ के 15 क्षेत्रीय कार्यालय थे जो क्षेत्रीय विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (आरडीएमईओ) कहलाते थे। प्रत्येक आरडीएमईओ का प्रमुख एक निदेशक स्तर का अधिकारी था। आरडीएमईओ क्षेत्रीय सर्वेक्षण करते थे तथा मूल्यांकन अध्ययनों के लिए डेटा/सूचना एकत्र किया करते थे और राज्यों और यूटी प्रशासनों से साथ चर्चा करके सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते थे। तथापि, बदली हुई कार्य आवश्यकताओं को देखते हुए इन्हें 30-09-2017 से बंद कर दिया गया और स्टाफ को डीएमईओ मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया।

V. कार्यक्रम अनुवीक्षण

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी भारत सरकार के कार्यान्वयन–कर्ता मंत्रालयों की है। डीएमईओ को केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी का दायित्व भी सौंपा गया है। वर्ष 2017 के दौरान, डीएमईओ द्वारा निम्नलिखित निगरानी संबंधी क्रिया–कलाप किए गएः

(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना

- प्रधानमंत्री कार्यालय ने डीएमईओ को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के तहत स्वीकृत और निर्मित आवासों की प्रगति की निगरानी करने को कहा है। इस प्रयोजन के लिए, डीएमईओ ने एक वेब–आधारित परामर्शी डैशबोर्ड विकसित किया है जिसे पीएमएवाई के कार्यान्वयन में उनके द्वारा की गई प्रगति पर डाटा अपलोड करने के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा उपयोग किया जाता है।

- डैशबोर्ड का स्तरोन्नयन करने का कार्य प्रगति पर है ताकि मंत्रालयों के एमआईएस से पीएमएवाई डाटा स्वतः प्राप्त किया जा सके और ग्रैनुलर सूचना जैसे राज्य तथा जिला स्तर का पीएमएवाई डाटा भी प्राप्त किया जा सके।

- पीएमएवाई डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए हैंः

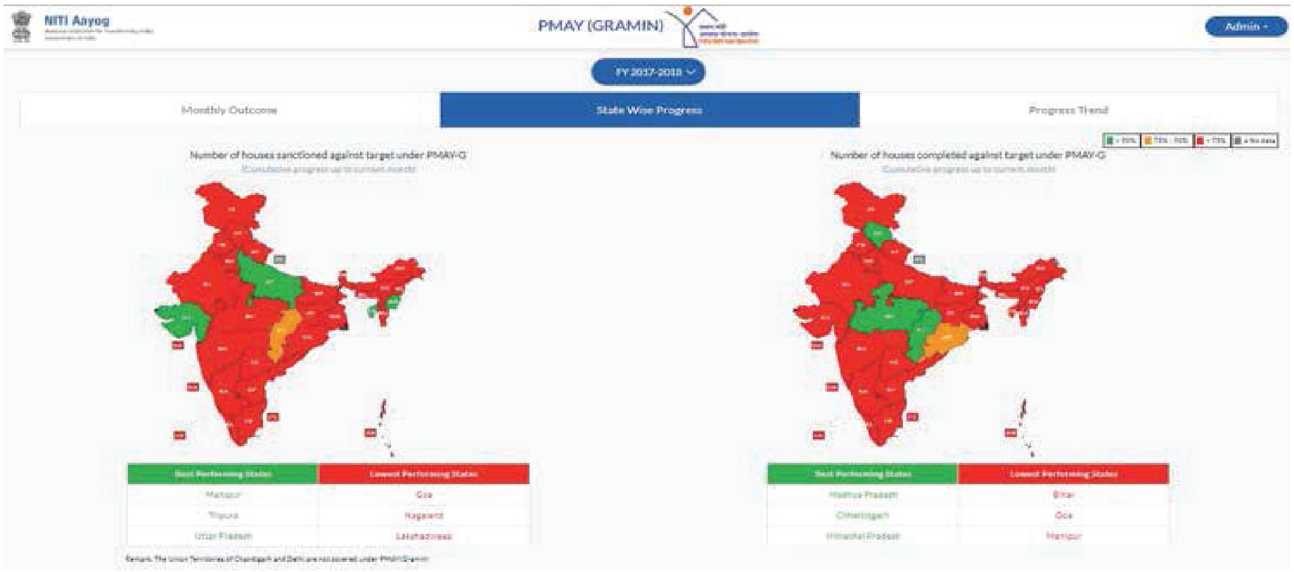

(ग) प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा क्षेत्रकीय समीक्षा

- प्रधानमंत्री कार्यालय उनके कार्यो का आकलन करने के लिए क्षेत्रीकीय समीक्षा कर रहा है और डीएमईओ को अप्रैल, 2016 से समीक्षा बैठकों में लिए गए मुख्य निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी का दायित्व दिया गया है। डीएमईओ ने इस उद्देश्य से एक परामर्शी डैशबोर्ड विकसित किया है और सभी मुख्य कार्य बिन्दु इस डैशबोर्ड पर अपलोड कर दिए गए हैं। यह डैशबोर्ड संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की पहुँच में है ताकि वे कार्यक्रम कार्यान्वयन डाटा ऑनलाइन अपलोड कर सकें। वर्तमान में, 15 क्षेत्रा (12 अवसंरचना क्षेत्र तथा 3 सामाजिक क्षेत्र) हैं जिनकी डैशबोर्ड के द्वारा निगरानी की जा रही है।

- डीएमईओ ने मंत्रालयों से 2017 का वार्षिक और तिमाही लक्ष्यों और कार्यान्वयन डाटा एकत्र किया और उसे डैशबोर्ड पर अपलोड कर दिया। एकत्रित सूचना की डीएमईओ ने समीक्षा की और कार्य रिपोर्ट आवधिक रूप से तैयार की गई और पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय तथा उपाध्यक्ष, नीति आयोग को सूचनार्थ भिजवा दी गई।

- 2017 के दौरान, पीएमओ द्वारा समीक्षा किए गए क्षेत्र थेः– सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, पत्तन, डिजिटल इंडिया तथा कोयला 25 अप्रैल, 2017 को; पीएनजी, विद्युत, एनआरईं, शहरी आवास, ग्रामीण आवास और पीएमजीएसवाई 08 मई, 2017 को तथा विद्युत, पीएमजीएसवाई, कोयला, सड़कें तथा शहरी आवास तथा ग्रामीण आवास 16 नवम्बर, 2017 को। इन बैठकों में लिए गए मुख्य निर्णय निगरानी हेतु डैशबोर्ड पर अपलोड कर दिए गए हैं।

- सैक्टोरल समीक्षा डैशबोर्ड के स्क्रीन शॉट नीचे दिए गए हैंः

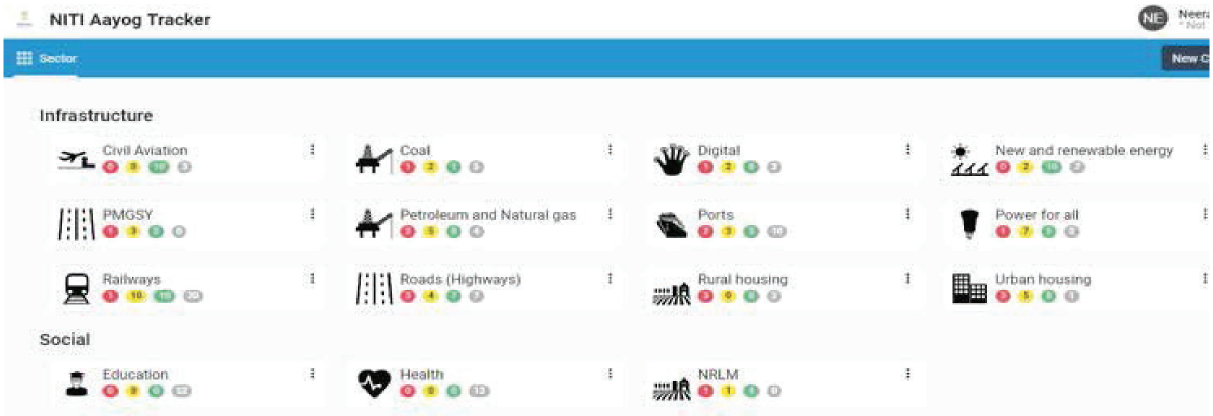

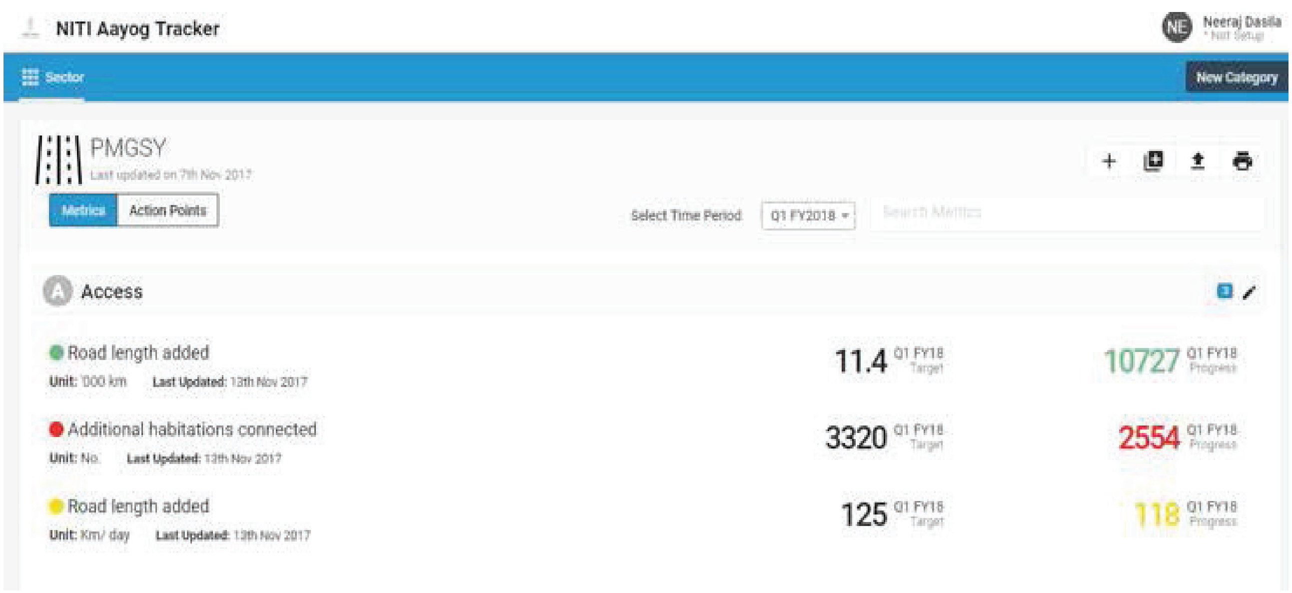

(घ) थीमैटिक विभागीय कार्य योजना

डीएमईओ 8 थीमैटिक क्षेत्रों पर 8 सचिव समूहों से सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार की गई थीमैटिक विभागीय कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी निगरानी कर रहा है। तथापि, कैबिनेट सचिव के निर्देश पर यह कार्य मार्च 2017 में सेक्टोरल सचिव समूह को दे दिया गया।

VI. कार्यक्रम मूल्यांकन

(क) डीएमईओ भारत सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों के अनुरोध पर या स्वयं कार्यान्वयन के तहत चुने कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। कार्यक्रम मूल्यांकन के उद्देश्य में प्रक्रियाओं के आब्जेक्टिव मूल्यांकन तथा विकास कार्यक्रमों के प्रभाव, क्षेत्रों तथा कार्यक्रम के विभिन्न चरणों की सफलता और असफलता के कारणों की पहचान, मध्यावधि सुधार सुझाना तथा भविष्य में सबक का प्रचार–प्रसार करना शामिल है।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीएमईओ द्वारा किया गया कार्य कार्यक्रम कार्यान्वयन संगठन के लिए तार्किक और उपयोगी है, योजनाकारों को शामिल करने, फंडिंग पार्टी तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एजेंसियों को शामिल करने के सभी प्रयास किए गए। जरूरत पड़ने पर बाहर से क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी शर्तों को पूरा करने, जिनमें अध्ययन लक्ष्य, सैम्पलिंग और पद्धति, डिलीवर किए जाने योग्य, समय सीमा आदि के बारे में, परामर्श किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने से पहले मूल्यांकन अध्ययन के परिणामों पर कार्यान्वयन–कर्ता मंत्रालयों/विभागों तथा नीति आयोग में विषय वस्तु प्रभाग (एसएमडी) से टिप्पणियाँ प्राप्त की गईं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन हो जाने पर मूल्यांकन रिपोर्ट, जहां भी आवश्यक हो, निवारक उपाय करने के बाद मंत्रालय/विभाग को कार्यान्वित करने के लिए भेजी जाती है और एक प्रति नीति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) मूल्यांकन अध्ययन पूरे किए गए

(i) भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) का मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन रिपोर्ट अध्ययन परिणामों पर सुधारात्मक उपाय करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की गईः

प्रमुख परिणामों में निम्न शामिल थे:

- सैम्पल्ड लाभकर्ताओं में से 99% को माँ बच्चा सुरक्षा कार्ड प्राप्त थे जिससे वे आईजीएमएसवाई कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त कर सकते थे।
- गर्भवती महिलाओं के कार्य घण्टों में कमी करने के लिए आईजीएमएसवाई के तहत लाभ दिए गए थे। परन्तु यह पाया गया कि 22% लाभार्थियों के मामले में, उनके कार्य–घण्टों में कोई कमी नहीं की गई थी।
- राज्यों के 17% लाभार्थियों की राय थी कि आईजीएमएसवाई के अंतर्गत 6000 रु. की राशि कम है।

(ii) कार्यक्रम लाभ प्रदान करने में पहल के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा डीबीटी के लाभार्थियों के उत्तर को आकलित करने के लिए चंडीगढ़, पुद्दुचेरी और दादरा तथा नगर हवेली के 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में खाद्य संबंधी प्रत्यक्ष अंतरण का मूल्यांकन किया गया। मुख्य अध्ययन परिणामों में शामिल हैः–

- ड्यूटी में 65% सैम्पल्ड लाभार्थियों ने अनाज पर नकद को वरीयता दी। लाभार्थियों की प्राथमिकता विकल्प और लचीलेपन से प्रभावित होती है जो डीबीटी उन्हें देती है और अब वे उच्च गुणता वाला अनाज खरीद सकते हैं।
- डीबीटी संबंधी चुनौती यह थी कि अब लाभार्थी उच्च गुणता का अनाज खरीदते हैं जिससे उन्हें लगता है कि सहायता राशि कम है, जिससे भविष्य में शिकायत का स्रोत बन सकता है।

(घ) पूरा होने के करीब मूल्यांकन अध्ययन

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का मूल्यांकन समाप्त होने वाला है। रिपोर्ट अनुमोदन होने के बाद, इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को अध्ययन परिणामों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफडीसी) पर मूल्यांकन रिपोर्ट अंतिम रूप में है। रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात, इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।

(ङ) मूल्यांकन अध्ययन प्रगति पर

- एमएसपी दरों के तहत धान और गेहूँ की विकेन्द्रीकृत प्राप्ति योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु स्टेकहोल्डर शेड्यूल सहित अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। मूल्यांकन सलाहकार समिति (ईएसी) द्वारा प्रश्नावली

के अनुमोदन के पश्चात, डाटा/सूचना संग्रहण के क्षेत्र में अध्ययन शुरू किया जाएगा।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) के मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन निगरानी समिति गठित की गई है। अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

- डीएमईओ ने तिमाही निगरानी आयोजित करने के पीएमओ द्वारा सौंपे गए कार्य को शुरू किया है और अवरोधों की पहचान करने और योजना के कार्यान्वयन में सुधार सुझाने के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम का प्रक्रिया मूल्यांकन भी किया है। डीएमईओ इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त एमएण्डई रूपरेखा तथा ढांचा विकसित करने के लिए संयुक्त राज्य के शिक्षाविदों के बाह्य समूह के साथ काम कर रहा है।

VII सस्टेनेबल विकास लक्ष्य

(i) 17 सस्टेनेबल विकास लक्ष्य (एसडीजी) तथा 169 संबंधित लक्ष्य भारत सहित 193 देशों द्वारा यूएन जनरल असेम्बली में सितम्बर, 2015 में सुलझाए गए और 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुए। केन्द्रीय सरकार के स्तर पर, डीएमईओ, नीति आयोग को एसडीजीएस के कार्यान्वयन को देखने की भूमिका प्रदान की गई। 2017 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए।

(ii) संवेदनशीलता और जागरुकता विकास

एसडीजी 2 (शून्य भुखमरी), एसडीजी 5 (लैंगिक समानता) तथा एसडीजी 10 (घटी असमानता) पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किए गए। एसडीजी 14 (जल के नीचे जीवन) पर क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किया गया। परामर्श का केन्द्र कार्यान्वयन कार्यनीतियों, सर्वोत्तम चलन और भावी दिशाओं पर चर्चा करना था। संगत केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य, यूटी, सिविल सोसायटी संगठन, शिक्षाविद, यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन परामर्शों में भाग लिया।

(iii) स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर)

एसडीजी के लिए 2030 के एजेन्डा के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत एसडीजी की प्रगति की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा में भाग लेने को प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन तथा 2030 एजेंडे की समीक्षा के लिए केन्द्रीय मंच उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) है, जिसकी यूएन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ईसीओएसओसी) के तहत वार्षिक बैठक होती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एचएलपीएफ में 19 जुलाई, 2017 को अपनी पहली वीएनआर रिपोर्ट प्रस्तुत की। एचएलपीएफ के निर्णय के अनुसार, वीएनआर रिपोर्ट ने 7 एसडीज, एसडीजी 1 (गरीबी का अंत), 2 (शून्य भुखमरी), 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), 5 (लैंगिक समानता), 9 (उद्योग, नवप्रवर्तन और ढांचा), 14 (जल के नीचे जीवन) तथा 17 (लक्ष्यों के लिए भागीदारी) पर ध्यान दिया।

(iv) एसडीजी की प्रगति की निगरानी

यूएन सांख्यिकी आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वैश्विक एसडीजी संकेतकों की रोशनी में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय एसडीजी संकेतकों की एक सूची विकसित की है, जो पूरी होने के अंतिम चरण में है। एसडीजी पर एक कार्यबल भी नीति आयोग द्वारा गठित किया गया है जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विचारकों को समय–समय पर एसडीजी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए शामिल किया गया है।

(viii) टीओआर पुनरीक्षण

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके कार्यक्रमों के लिए तैयार की गई मसौदा टीओआर को नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में सचिवों की समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है। 2017 के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के 13 कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु टीओआर का डीएमईओ द्वारा पुनरीक्षण किया गया।

क) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (1 कार्यक्रम)

ख) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (2 कार्यक्रम)

ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (7 कार्यक्रम)

घ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (3 कार्यक्रम)

VIII अन्य कार्यकलाप

डीएमईओ नीति आयोग को विभिन्न कार्यों में मदद कर रहा है जिनमें सीईओ, नीति आयोग की प्रस्तुतियां, गवर्निंग काउन्सिल बैठकों से लेकर द्वीपों के समूचे विकास, राज्य प्रस्तुतियां तक शामिल हैं। डीएमईओ ने 16–17 तथा 21–22 अगस्त, 2017 को हुई 2 चैम्पियनस ऑफ चेंज गोष्ठियों पर भी काम किया। डीएमईओ ने 100 पिछड़े जिला परियोजनाओं पर नीति आयोग की सहायता की और इन जिलों में अवसंरचना संकेतकों के चयन की निगरानी की सिफारिश की। डीएमईओ संकल्प–से–सिद्धि सहित अन्य पहलों में भी शामिल था।

19. कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन

1. नीति आयोग में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं के मूल्यांकन से संबंधित है। यह मूल्यांकन कार्य दो प्रभागों के माध्यम से किया जाता है, नामतः परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी) तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन एकक (पीपीपीएयू)। पीएएमडी लोक निधिय्रों से वित्तपोषित कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है जबकि पीपीपीएयू, अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए वित्तीय सहायता स्कीम के तहत व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए केन्द्र और राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है।

2017-18 के दौरान किया गया मूल्यांकन कार्य

2. मूल्यांकन फोरम की वर्तमान सीमा के अनुसार पीएएमडी 500 करोड़ रु. से अधिक लागत वाले कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं का व्यापक मूल्यांकन करता है और नीति आयोग के विषय प्रभागों के परामर्श से मूल्यांकन नोट तैयार करता है। पीएएमडी द्वारा किया गया मूल्यांकन, प्रस्तावों के स्वरूप और आकार के आधार पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) तथा व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा विचार किए जाने वाले कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने को सुसाध्य बनाता है। यह प्रभाग रेल मंत्रालय के 500 करोड़ रु. से अधिक लागत वाले प्रस्तावों का भी मूल्यांकन करता है जिन पर रेलवे के विस्तारित मंडल (ईबीआर) द्वारा विचार किया जाता है। पीएएमडी द्वारा मूल्यांकन नोट जारी करने के लिए समय–सीमा, ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह है।

3. 2017-18 के दौरान (11 दिसंबर, 2017 तक) ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर प्रस्ताव पर 209 मूल्यांकन नोट जारी किए गए हैं जिनमें 17.06 लाख करोड़ रु. का परिव्यय शामिल है। 2016-17 और 2017-18 के दौरान (11 दिसंबर, 2017 तक) मूल्यांकित परियोजनाओं का क्षेत्रकीय वितरण अनुलग्नक में दिया गया है। प्रमुख क्षेत्रक समूहों से संबंधित सूचना का सारांश नीचे तालिका–1 में दिया गया हैः

तालिका 1 : 2016-17 और 2017-18 के दौरान (11 दिसंबर, 2017 तक) मूल्यांकित परियोजनाओं का क्षेत्रक समूह-वार विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रक	2016-17			2017-18 (11.12.2017 तक)		
		संख्या	लागत (करोड़ रु.)	%	संख्या	लागत (करोड़ रु.)	%
1	कृषि	5	46886.71	4.32	11	102399.55	6.00
2	ऊर्जा	19	312335.24	28.80	8	53176.06	3.12
3	परिवहन	59	120747.82	11.13	64	262032.65	15.36
4	उद्योग	6	43128.65	3.98	24	408833.60	23.96
5	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1	1500.00	0.14	5	4143.20	0.24
6	सामाजिक सेवाएं	44	504959.67	46.56	55	515997.67	30.24
7	संचार	1	2351.00	0.22	4	20252.22	1.19
8	अन्य	6	52706.05	4.86	38	339268.81	19.89
	कुल	**141**	**1084615.14**	**100.00**	**209**	**1706103.76**	**100.00**

2017-18 के दौरान (11 दिसंबर, 2017 तक) पीपीपीएयू द्वारा 12465.47 करोड़ रु. की कुल लागत वाली 18 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्रक की 16 परियोजनाएं और राज्य क्षेत्रक की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। मूल्यांकन की गई पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रक–वार वितरण तालिका–2 में दिया गया है और राज्य क्षेत्रक परियोजनाओं का राज्य–वार वितरण नीचे तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 2: 2017-18 में (11-12-2017 तक) मूल्यांकित पीपीपी परियोजनाएं

क्रम सं.	मूल्यांकित परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)
क	**केन्द्रीय परियोजनाएं**		
1	सड़क	11	11175.06
2	पत्तन	1	734.58
3	खाद्य भण्डारण	3	82.92
4	विमान पत्तन	1	323.60
	उप जोड़ (क)	**16**	**12316.16**
ख	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र परियोजनाएं**		
1	सड़क	2	149.31
	उप जोड़ (ख)	**2**	**149.31**
	सकल योग (क+ख)	**18**	**12465.47**

तालिका 3: 2017-18 (11-12-2017 तक) में वीजीएफ अनुदान के लिए राज्यवार मूल्यांकित पीपीपी परियोजनाएं

क्रम सं.	मूल्यांकित परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)
1	राजस्थान	2	149.31
	कुल	**2**	**149.31**

अनुलग्नक

2016-17 और 2017-18 के दौरान (11 दिसंबर, 2017 तक) मूल्यांकित ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर प्रस्तावों की क्षेत्रकवार संख्या और लागत

क्रम सं.	क्षेत्रक	2016 - 17		2017-18 (11.12.2017 तक) लागत)	
		सं.	लागत (करोड़ रु.)	सं.	लागत (करोड़ रु.)
	कृषि				
1	कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र	5	46886.71	11	102399.55
	ऊर्जा				
2	विद्युत	5	15272.63	5	42302.06
3	कोयला			2	9074.00
4	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	4	31563.31		
5	नवीन और नवीकरणीय	10	265499.30	1	1800.00
	परिवहन				
6	रेल	25	73052.44	28	58713.12
7	भूतल परिवहन	25	34438.17	28	191551.51
8	नागर विमानन	2	1620.00	4	5635.53
9	पोत परिवहन	7	11637.21	4	6132.49
	उद्योग				
10	उद्योग	3	29614.00	12	76675.40
11	सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम			5	50228.93
12	इस्पात और खान				
13	पेट्रो रसायन एवं उर्वरक	1	9965.00	6	279600.28
14	वस्त्र	2	3549.65	1	2328.99
15	खाद्य प्रसंस्करण				
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
16	जैव प्रौद्योगिकी	1	1500.00	1	990.00
17	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			4	3153.20
18	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान				
19	महासागर विकास				
20	पृथ्वी विज्ञान				
	सामाजिक सेवाएं				
21	मानव संसाधन विकास	13	143193.36	17	253632.24
22	संस्कृति	2	3497.34		
23	युवा एवं खेल मामले			2	6012.00
24	स्वास्थ्य	14	173298.68	17	126930.82
25	महिला एवं बाल विकास	2	110261.00	2	4128.61
26	श्रम	1	7552.07	1	850.00
27	सामाजिक न्याय	2	7219.55	4	6508.58
28	शहरी विकास	7	41010.51	2	2685.00
29	ग्रामीण विकास	1	10483.00	3	56385.45

30	अल्पसंख्यक मामले	1	7745.00	4	9180.00
31	जनजातीय कार्य			2	13109.97
32	पेयजल आपूर्ति	1	699.16	1	36575.00
33	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण				
	संचार				
34	सूचना एवं प्रसारण				
35	डाक			3	6589.00
36	सूचना प्रौद्योगिकी	1	2351.00	1	13663.22
37	संचार				
	अन्य				
38	गृह	2	35577.05	14	145672.79
39	कार्मिक				
40	पर्यटन			4	13741.77
41	वाणिज्य				
42	पर्यावरण एवं वन			4	3880.20
43	विधि एवं न्याय	1	3000.00		
44	जल संसाधन	1	6000.00	9	137420.90
45	पूर्वोत्तर क्षेत्र			3	13685.00
46	उपभोक्ता मामले				
47	वित्त/कारपोरेट मामले	1	839.00		
48	योजना आयोग/नीति आयोग				
49	विदेशी मामले	1	7290.00	1	1286.00
50	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन			2	22882.70
51	संसदीय कार्य			1	699.45
	कुल	**141**	**1084615.14**	**209**	**1706103.76**

20. जल संसाधन

क. जल संसाधन

नीति आयोग का जल संसाधन और भूमि संसाधन वर्टिकल देश में जल संसाधन के संधारणीय प्रबंधन हेतु नीतियों के निर्माण, कार्यनीतियों के विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन संबंधी कार्यों में सम्मिलित है। वर्ष 2017-18 के दौरान इस वर्टिकल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का सार नीचे दिया गया हैः–

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

केन्द्र सरकार द्वारा 'प्रति बूंद अधिक फसल' पैदा करने के लिए देश में सभी कृषि फार्मों (हर खेत को पानी) के लिए संरक्षित सिंचाई का कोई साधन सुलभ कराने की दृष्टि से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की परिकल्पना की गई है ताकि यथा अपेक्षित ग्रामीण समृद्धि लाई जा सके। इसके चार घटक हैं नामतः। (i) राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित प्रमुख और मध्यम सिंचाई के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), (ii) हर खेत को पानी कमान क्षेत्र का विकास और जल–प्रबंधन संबंधी कार्य, सतही लघु सिंचाई, भू–जल के माध्यम से सिंचाई और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरुद्धार शामिल है, (iii) सूक्ष्म सिंचाई और अन्य संबंधित कार्यकलापों के संवर्धन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल, और (iv) वर्षा जल संचय के लिए जल संभर विकास, अपवाह जल का प्रभावी प्रबंधन, मृदा अपरदन का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति का पुनरुत्पादन और भू–जल स्तर की पुनः प्राप्ति हैं।

क. प्रधानमंत्री कृषि संचाई योजना (पीएमकेएसवाई) परिषद् की दूसरी बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 15.05.2017 को हुई। बैठक में पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों की प्रगति की समीक्षा की गई और विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में गति लाने के निर्णय लिए गए ताकि हर खेत को पानी के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

ख. पीएमकेएसवाई–एवाईबीपी स्कीम के तहत 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं के पूरा होने के बारे में जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने सूचित किया है। नीति आयोग द्वारा गठित अंतर–मंत्रालयी दल ने परियोजनाओं का मूल्यांकन किया और रिपोर्टों को प्रधानमंत्री कार्यालय, जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, राज्य सरकारों एवं वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के साथ साझा किया गया है।

ग. हाइब्रिड वार्षिक मोड पीपीपी मॉडल का विकास

देश की सूक्ष्म लघु सिंचाई विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए नीति आयोग के जल संसाधन प्रभाग ने प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक–निजी–भागीदारी (पीपीपी) के साथ हाइब्रिड वार्षिक माडल के विकास में सहयोग किया है। इस अवधारणा पर आधारित प्रायोगिक परियोजना हरियाणा में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

2. बिहार और झारखंड को लाभान्वित करने वाली अंतर-राज्यीय नार्थ कोइल सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन

नार्थ कोइल सिंचाई परियोजना के तहत शेष कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने और बिहार तथा झारखण्ड राज्यों में कमान क्षेत्रों को सिंचाई मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग की अध्यक्षता में परियोजना की निगरानी करने के लिए एक अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान विभिन्न हितधारकों (जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य

सरकारें) के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में परियोजना के कार्यान्वयन, पुनर्स्थापना और पुनर्वास स्थिति, भूमि अधिग्रहण और राज्यों द्वारा साझा की जाने वाली इंगित लागत संबंधी मुद्दों का समाधान करने वाले निर्णय लिए गए।

3. राज्यों के साथ परामर्श के बाद जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा **मॉडल केन्द्रीय भू जल विधेयक** का प्रस्ताव किया गया है। नीति आयोग में एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें नीति आयोग द्वारा मंत्रालय को विचार हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं।

4. सिआंग बहु-प्रयोजन नदी घाटी परियोजना

भारत के पूर्वोत्तर भाग में जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा अरूणाचल प्रदेश में सिआंग नदी पर बहु–प्रयोजन नदी घाटी परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। यह आशंका है कि यदि अप्रत्याशित कारणों के कारण गैर मानसून जल प्रवाह घट जाता है तो सिआंग नदी पर परिकल्पित की जा रही नदी किस्म की जल विद्युत परियोजनाओं का चलना अव्यवहार्य हो जाएगा और इसलिए 9.2 बीसीएम की एकल भण्डारण परियोजना विकसित की जाए। बाद में उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालयों सहित अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमण्डल सहयोगियों के साथ एक बैठक की।

5. जल प्रबंधन सूचकांक

जल क्षेत्रक में मौजूदा स्थिति के साथ–साथ हाल के समय में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उत्तरोत्तर प्रयासों को जानने के लिए नीति आयोग में स्रोत प्रबंधन, आपूर्ति और मांग प्रबंधन–अन्य बातों के साथ–साथ सिंचाई, पेयजल (ग्रामीण और शहरी), जल संभर विकास और नीति एवं शासन को शामिल करते हुए 28 मुख्य कार्य निष्पादन संकेतकों वाला क संयोजित जल प्रबंधन सूचकांक विकसित किया गया है। यह सूचकांक राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सत्यापन योग्य डेटा के आधार पर उन्हें रैंक देगा।

इस संबंध में 24 राज्यों ने वेब पोर्टल पर पहले ही सूचना प्रस्तुत कर दी है। डेटा प्रमाणीकरण भाग पर विशेषज्ञ एजेन्सी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

6. 15 वर्षीय विजन दस्तावेज–जल संसाधन

15 वर्षीय विजन दस्तावेज के जल संसाधन हिस्से को संबंधित मंत्रालयों/विभाग के परामर्श से तैयार किया गया है।

7. न्यू इंडिया/75 के लिए विकास एजेंडा "नये भारत के लिए विकास एजेंडा" का जल संसाधन भाग संबंधित मंत्रालय/विभागों के परामर्श से तैयार किया गया है।

8. उत्पादन-परिणाम बजट

जल संसाधन वर्टिकल ने उत्पादन–परिणाम बजट के जल संसाधन भाग को तैयार करने में डीएमईओ, नीति आयोग की सहायता की। जिसे जल संसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को सौंपा गया।

9. जल क्षेत्रक में उत्तम पद्धतियां

टीईआरआई, विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के परामर्श से "जल क्षेत्र में उत्तम पद्धतियां" दस्तावेज तैयार किया गया है। "जल

क्षेत्र में उत्तम पद्धत्तियों" को वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

10. जल क्षेत्रक से संबंधित मंत्रिमंडल नोट और प्रारूप विधायी विधेयकों की जांच, ईएफसी प्रस्तावों का मूल्यांकन आदि।

- 257.78 करोड़ रु. की अनुमानित लागत केन्द्र प्रायोजित स्कीम "सिंचाई गणना" को जारी रखने के लिए एक ड्राफ्ट एसएफसी ज्ञापन की जांच की गई और जल संसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को टिप्पणियों से अवगत करवाया गया।
- 61,237 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से "असमानता को कम करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम (सीएडीडब्ल्यूएम)" संबंधी एक ड्राफ्ट ईएफसी ज्ञापन की जाँच की गई और जल संसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को टिप्पणियों से अवगत करवाया गया।
- 454 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से "जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और जल क्षेत्र मिशन स्कीम का कार्यान्वयन" संबंधी एक ड्राफ्ट एसएफसी ज्ञापन की जांच की गई और जल संसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को टिप्पणियों से अवगत करवाया गया।
- 8215 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" संबंधी एक ड्राफ्ट ईएफसी ज्ञापन को जांच की गई और जल संसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को टिप्पणियों से अवगत करवाया गया।
- 1118 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से "नदी बेसिन प्रबंधन स्कीम" को 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने के लिए एक ड्राफ्ट ईएफसी ज्ञापन की जांच की गई और जल संसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को टिप्पणियों से अवगत करवाया गया।
- 454.68 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से "अवसंरचना विकास स्कीम" संबंधी एक ड्राफ्ट ईएफसी ज्ञापन की जांच की गई और जल संसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को टिप्पणियों से अवगत करवाया गया।
- 214.65 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से "मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माम स्कीम" संबंधी एक ड्राफ्ट एसएफसी ज्ञापन की जांच की गई और जल संसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को टिप्पणियों से अवगत करवाया गया।
- 1093.12 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से "वित्त आयोग के लिए जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" संबंधी एक ड्राफ्ट ईएफसी ज्ञापन की जांच की गई और जल संसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को टिप्पणियों से अवगत करवाया गया।
- "पुनरुत्थानशील राजस्थान 2025 की ओर" के लिए एक ड्राफ्ट उपागम पेपर और विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान में संधारणीय और समावेशी विकास संबंधी रिपोर्ट की जांच की गई और राजस्थान सरकार को इससे अवगत करवाया गया।
- 441-36 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से अवधि (2017-2020) के लिए परिवहन क्षेत्र के तहत 'फरक्का बैराज' स्कीम संबंधी एक एसएफसी ज्ञापन की जांच की गई और जल संसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को टिप्पणियों से अवगत करवाया गया।

ख. भू-संसाधन

नीति आयोग के जल संसाधन और भू संसाधन वर्टिकल देश में भू संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन के लिए नीति निर्माण, कार्य नीतियों के विकास एवं कार्यक्रमों के मूल्यांकन कार्य में शामिल हैं। भू–संसाधन वर्टिकल में वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का सार नीचे प्रस्तुत हैः–

1. 15 वर्षीय विजन दस्तावेज-भू संसाधन

15 वर्षीय विजन दस्तावेज के भू संसाधन भाग को संबोधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

2. न्यू इंडिया/75 के लिए विकास एजेंडा

"नये भारत के लिए विकास एजेंडे" के भू संसाधन भाग को संबंधित मंत्रालयों/विभागों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों और संबंधित विशेषज्ञ समूहों के परामर्श से तौयार किया गया है।

3. वर्टिकल ने डीएमईओ, नीति आयोग को उत्पादन–परिणाम बजट (2018-19) के भू संसाधन को तैयार करने में सहायता की है।

4. "भू स्वामित्व-भावी राह" संबंधी समिति की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट संबंधित मंत्रालयों और विभागों और राज्यों के परामर्श से तैयार की गई। अंतिम मसौदा आगे के विचार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है।

21. डेटा प्रबंधन और विश्लेषण

डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में प्रमुख कार्यकलाप

1. वर्टिकल ने विभिन्न सामाजिक–आर्थिक संकेतकों को मिलाने और समर्थ बनाने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से सुसज्जित करने के लिए, डेटा विश्लेषण को सुसाध्य और प्रोत्साहन देने के लिए एक डेटा पोर्टल विकसित करने का कार्य आरंभ किया है। अवधारणा साक्ष्य 2017 में जारी किया गया और वर्टिकल अब "राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण मंच" नामक पोर्टल को विकसित करने संबंधी कार्य के लिए निजी पक्ष के चयन पर कार्य कर रहा है।

2. डिजिटल अर्थव्यवस्था और उत्तम पद्धत्तियों को साझा करने के संबंध में राज्यों की तैयारी का जायजा लेन के लिए डिजिटल परिवर्तन सूचकांक भी शुरू किया गया।

3. वर्टिकल निम्नांकित में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता हैः

i. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद

ii. भारतीय सांख्यिकी संस्थान की शासी परिषद

iii. केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के राष्ट्रीय खातों संबंधी सलाहकारी समिति

iv. आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी), नई दिल्ली का शासी मंडल

v. भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली केन्द्र की योजना और नीति अनुसंधान इकाई (पीपीआरयू) की सलाहकारी समिति।

4. वर्टिकल के अधिकारीगण निम्नलिखित कार्यकलापों से भी जुड़े हुए हैंः-

i. डिजिटल परिवर्तन सूचकांक

नीति आयोग ने राज्यों के लिए एक डिजीटल परिवर्तन सूचकांक स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। सूचकांक में ऐसे मानदंड शामिल है जिस से राज्य डिजिटल परिवर्तन की ओर अपनी प्रगति की जांच कर सकेंगे और अन्य राज्यों से इसकी तुलना कर सकेंगे, अतः सुधार की दिशा में यह एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। राज्यों के लिए डिजिटल परिवर्तन सूचकांक में निम्न तीन क्षेत्र शामिल हैं–डिजिटल तैयारी और अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल शासन। इस संबंध में, समस्त राज्यों के सचिव (आईटी), इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ 11.07.2017 को यू शिकागो केन्द्र नई दिल्ली में डिजिटल परिवर्तन सूचकांक (डीटीआई) संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के विचार–विमर्शों के आधार पर, संकेतकों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है और डेटा उपलब्ध करवाने के लिए राज्यों को भेज दी गई है।

ii. राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण मंच

डेटा प्रबंधन और विश्लेषण वर्टिकल देश के सामाजिक–आर्थिक संकेतकों के संबंध में प्रामाणिक, विस्तृत और नवीनतम डेटा के लिए प्रयोक्ताओं के एक बड़े हिस्से के लिए एक ही स्थान पर समस्त संदर्भ केन्द्र के रूप में राष्ट्र स्तर पर डेटा और विश्लेषण मंच विकसित करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। यह पोर्टल दृश्यात्मक और विश्लेषणात्मक होगा जहां सरकार से लेकर अनुसंधानकर्त्ता, व्यक्ति, पत्रकार और अन्य पणधारकों सहित प्रयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियां डेटा को देख सकेंगी।

iii. डिजिटल भुगतानों के संबंध में मुख्यमंत्रियों की समिति

देशभर में पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और स्वस्थ वित्तीय पारितंत्र को बढ़ावा देने और जनसंख्या के सभी हिस्सों को डिजिटल भुगतान की ओर स्थानांतरित करने के उपाय सुझाने के लिए नीति आयोग ने 30 नवंबर, 2016 को मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किया जिसके संयोजक श्री चंद्र बाबू नायडु, माननीय मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश को बनाया गया। समिति का उद्देश्य ऐसे उपायों की सिफारिश करना है जो भारत को उत्तम वैश्विक मानकों के अनुसार उन्नत डिजिटल भुगतान प्रणालियों में छलांग लगाने में समर्थ बनाए।

समिति ने 24 जनवरी, 2017 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्री को सौंपी। डिजिटल भुगतानों संबंधी मुख्यमंत्रियों की समिति की अंतरिम रिपोर्ट को http://niti-gov-in/writeraddata/files/new_initiatives/book-pdf. पर देखा जा सकता है।

डिजिटल भुगतान संबंधी मुख्यमंत्रियों की समिति की अंतरिम रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

समिति ने निम्न के संबंध में सिफारिशें की (i) लक्ष्य और निगरानी तंत्र की स्थापना, (ii) डिजिटल भुगतानों के लिए तकनीकी अवसंरचना का विस्तार, (iii) स्वीकृत अवसंरचना की आपूर्ति बढ़ाना, (iv) डिजिटल भुगतान अंगिकरण को सुगम बनाने के लिए आवश्यक संस्थागत, नीति, विनियामक परिवर्तन, (vi) डिजिटल अंतरणों को प्रोत्साहन, (vii) डिजिटल भुगतानों में सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण और (viii) शीघ्र परिणामों के लिए विशेष भागों को लक्ष्य बनाना।

डिजिधन मिशन के गठन के उपरांत मामले को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है।

- गरीबी संबंधी मुद्दों की जांच,
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए नॉडल वर्टिकल

iv) आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) और योजना और नीति अनुसंधान इकाई (पीपीआरयू), भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), दिल्ली के विकास योजना केन्द्र (डीपीसी) की सलाहकारी समिति से संबंधित समस्त मामले। वर्ष 2016-17 के लिए आईईजी के डीपीसी की वार्षिक रिपोर्ट को बजट सत्र, 2016 के दौरान संसद में प्रस्तुत किया गया।

5. अन्य समितियों के सदस्य

वर्टिकल निम्न कार्य बलों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता हैः-

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षम संगठन (एनएसएसओ) के 75वें दौर संबंधी कार्य बल
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) संबंधी कार्यबल

22. सूचना और प्रसारण एवं पर्यटन

सूचना और प्रसारण एवं पर्यटन प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमओआईएंडबी) और पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) से संबंधित नीति मुद्दों और अवसंरचनात्मक विकास संबंधी मुद्दों की जांच और समीक्षा करता है। यह प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों मंत्रालयों की योजना स्कीमों/परिणाम और उत्पादन बजट की जांच करता है। यह प्रभाग सूचना, प्रसारण, फिल्म और पर्यटन से संबंधित मुद्दों के समाधान से संबंधित मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और व्यक्तियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है।

2017-18 के दौरान शुरू किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों को नीचे दर्शाया गया है:

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के लिए इन दोनों मंत्रालयों के साथ बातचीत/बैठकों का आयोजन।

- विकास संचार, फिल्म संबंधी सामग्री का प्रचार–प्रसार (डीसीडी), फिल्म क्षेत्र (आईडीपी) संबंधी अवसंरचना विकास कार्यक्रम, पायरेसी–रोधी पहलों के संबंध में एमएफसी नोट का मूल्यांकन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त दूरदर्शन द्वारा शुरू किए गए 24X7 डीडी अरुण प्रभा चैनल की शुरुआत।

- सेवा प्रोन्नति के लिए कार्य क्षमता निर्माण संबंधी स्कीम, होटल प्रबंधन संस्थान/खाद्य कला संस्थान/राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खान–पान प्रौद्योगिकी परिषद्/भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान/भारतीय पाकशाला संस्थान संबंधी एसएफसी नोट का मूल्यांकन, अवसंरचना पर्यटन विकास के लिए केंद्रीय एजेंसी को सहायता और 12वीं योजना के अलावा अवसंरचना स्कीम प्रसाद को जारी रखने संबंधी पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में ईएफसी।

- संधारणीय पर्यटन संबंधी संकल्पना पत्र तैयार करने के लिए भारतीय हिमालयी क्षेत्र विशेषकर विरासत पर्यटन में संधारणीय पर्यटन संबंधी कार्यबल (विषय क्षेत्र संबंधी) की विभिन्न बैठकों का आयोजन।

- जन साधारण में पठन कौशल/साक्षरता का सुधार करने के लिए नीति अंतःक्षेप के रूप में 'सेम लेग्वेंज सबटाईटलिंग' (एसएलएस) आरंभ करने के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय प्रसारम फाउंडेशन और एनसीईआरटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/प्रस्तावों/स्कीमों के संबंध में एमओयू मूल्यांकन बैठकों, एसएफसी बैठकों में भाग लिया।

- एसोसिएशनों/व्यक्तियों से प्राप्त सूचना एवं प्रसारण और पर्यटन क्षेत्र संबंधी शिकायतों की जांच की गई और उनके समाधान के लिए मुद्दों को संबंधित मंत्रालयों तक ले जाया गया।

23 राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी)

क. नियुक्तियां

प्रोफेसर अरूप मित्रा ने दिनांक 30.06.2017 को प्रतिनियुक्ति आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए रु.67000-79000 के एचएजी स्केल में महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

ख. पूर्ण किए गए अनुसंधान अध्ययन

1. प्रशिक्षुता बोर्ड के राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एमएटीएस) की क्षमता और प्रभावकारिता, बीओएटी, पश्चिमी क्षेत्र बोओएटी–पश्चिमी क्षेत्र द्वारा प्रायोजित। (अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई)

2. राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमीटेड (एनएडब्ल्यूएडीसीओ), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कमीशन प्राप्त राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन

3. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कमीशन प्राप्त राज्य वक्फ बोर्डों (सीडब्ल्यूसी) के रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण स्कीम के प्रभाव का मूल्यांकन (मसौदा रिपोर्ट सौंप दी गई है)।

4. "नई और नवीकरणीय ऊर्जा समर्थन परियोजना" संबंधी जापानी ओडीए लोन परियोजना और ओवरसीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट लिमीटेड (ओपीएमएसी), टोक्यो द्वारा कमीशन प्राप्त "सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ऊर्जा बचत परियोजना (लाभार्थी सर्वेक्षण) मसौदा रिपोर्ट सौंप दी गई है।

5. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा कमीशन प्राप्त सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान योजना के तहत डीसी (एमएसएमई) स्कीम प्रौद्योगिकी केंद्रों का मूल्यांकन। (अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।)

6. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा कमीशन प्राप्त क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) का मूल्यांकन अध्ययन। (अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।)

7. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कमीशन प्राप्त शहरी वक्फ परिसंपत्तियों का विकास की स्कीम के प्रभाव का मूल्यांकन।

ग. चल रहे अनुसंधान अध्ययन

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कमीशन प्राप्त शहरी वक्फ परिसंपत्तियों का विकास की स्कीम के प्रभाव का मूल्यांकन।

2. योजना और समन्वय विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा कमीशन प्राप्त ओडिशा में मानव शक्ति संबंधी योजना निर्माण – 18 अक्तूबर, 2017 को भुवनेश्वर में मानव श्रम योजना निर्माण संबंधी प्रथम राज्य संबंधी कार्यशाला के संबंध में मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) का मूल्यांकन और श्रेणीकरण

घ. सौंपे गए अनुसंधान प्रस्ताव

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) की समीक्षा/मूल्यांकन – तकनीकी बोली के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

2. "दीनदयाल उपाध्याय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के प्रभाव का मूल्यांकन" का प्रस्ताव नीति आयोग, भारत सरकार को सौंपा गया।

3. "अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी निधि का मूल्यांकन" सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंपा गया।

4. स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का अनुमान लगाने के लिए परिवारों का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नीति आयोग, भारत सरकार को सौंपा गया।

5. जनजाति कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित आश्रम स्कूलों और जनजातीय छात्रवासों का मूल्यांकन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा गया।

6. राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी) का मूल्यांकन – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया।

7. "सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वित्त और विकास निगमों का कार्यकरण" सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंपा गया।

8. अनुसूचित जातियों (अजा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति स्कीमों का परिणाम आधारित मूल्यांकन – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंपा गया।

9. बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) का मूल्यांकन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया।

ङ. आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. मानव क्षमताओं संबंधी अतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) (27 मार्च–24 अप्रैल, 2017)। 29 प्रतिभागियों द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया गया। 10-13 अप्रैल तक एचसीएम आरआईपीए फील्ड विजिट आयोजित की गई। 24 अप्रैल, 2017 को इसका समापन किया गया, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री संचिता शुक्ला, निदेशक (वित्त), नीति आयोग थीं।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों के लिए अनुवीक्षण और मूल्यांकन एवं परियोजना मूल्यांकन संबंधी प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 मई से 20 मई 2017 तक (6 दिन) का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न विभागों में कार्यरत 22 अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की।

3. भुटान की रायल सिविल सर्विस कमिशन के मानव संसाधन अधिकारियों के लिए (क्षमता विकास) संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 5 से 16 जून 2017 को किया गया। 25 प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम में भाग लिया गया।

4. भुटान की रायल सिविल सर्विस कमिशन के प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए "प्रभावी कार्यालय प्रबंधन" संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 19 से 24 जून 2017 को किया गया। 19 प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम में भाग लिया गया।

5. भुटान की रायल सिविल सर्विस कमिशन के प्रशासनिक कर्मचारियों के बैच II के लिए "प्रभावी कार्यालय प्रबंधन" संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 26 से 30 जून 2017 को किया गया। 9 प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम में भाग लिया गया।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों के लिए अनुवीक्षण और मूल्यांकन एवं परियोजना मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान में 19 जून से 24 जून 2017 तक (6 दिन) का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न विभागों में कार्यरत 10 अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डा० योगेश सूरी, सलाहकार, नीति आयोग और महानिदेशक, एनआईएलईआरडी द्वारा की गई।

7. ओडिशा सरकार के अधिकारियों के लिए अनुवीक्षण और मूल्यांकन संबंधी क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन 3 से 27 जुलाई, 2017 को किया गया। कार्यक्रम में 25 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम का समापन 07 जुलाई, 2017 को हुआ।

8. संस्थान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों के लिए अनुवीक्षण और मूल्यांकन संबंधी छह दिवसीय तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन 10 से 15 जुलाई, 2017, 16 से 21 जुलाई, 2017 के दौरान किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न विभागों में कार्यरत 77 अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की।

9. 14 देशों से 23 प्रतिभागियों द्वारा मानव संसाधन योजना और विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय (आईटीपी) प्रशिक्षण कार्यक्रम (4 जुलाई से 28 अगस्त, 2017) में भाग लिया गया। प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए समापन समारोह का आयोजन 28 अगस्त, 2017 को किया गया। मुख्य अतिथि डा० राजेश चड्डा, वरिष्ठ अध्यता और अनुसंधान परामर्शदाता, एनसीएईआर द्वारा प्रमाण–पत्रों का वितरण किया गया।

10. गुरुगोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्विद्यालय से मान्यता प्राप्त मानव संसाधन योजना और विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (01 अगस्त, 2017 से 31 जुलाई, 2018)। 7 देशों से 11 प्रतिभागियों द्वारा पाठ्यक्रम में भाग लिया जा रहा है। प्रतिभागियों ने 19 सितंबर को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 14वें सीआईआई ग्लोबल एमएसएमई बिजनस समिट में भाग लिया।

11. 14 देशों के 22 प्रतिभागियों ने जन शक्ति अनुसंधान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (26 सितंबर से 20 नवंबर, 2017) में भाग लिया जिसका समापन 20 नवंबर 2017 को हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि श्री दिनकर आस्थान, संयुक्त सचिव डीपीए II, विदेश कार्य मंत्रालय थे।

12. कार्य और मानव अवस्थापन मंत्रालय, भूटान के तहत निर्माण विकास बोर्ड के योजना अधिकारियों और इंजिनियरों के लिए 22 नवंबर से 29 नवंबर तक संविदा प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 5 अधिकारियों ने भाग लिया।

13. अनुवीक्षण और मूल्यांकन में प्रमाणपत्र कार्यक्रम (06 सितंबर से 28 नवंबर, 2017)। 18 देशों से 24 प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम में भाग लिया जा रहा है। प्रतिभागियों ने एनएफएल प्लांट पानीपत में 4 अक्तूबर, 2017 को और एचसीएम, आरआईपीए, राजस्थान में आयोजित 14वें सीआईआई ग्लोबल एमएसएमई बिजनस समिट में भाग लिया। कार्यक्रम के समापन सत्र का आयोजन 28 नवंबर, 2017 को किया गया। सत्र की अध्यक्षता श्री मानक सिंघी, आईईएस (सेवानिवृत्त प्रधान सलाहकार) द्वारा की गई।

च. विदेश कार्य मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण प्रस्तावः-

- मानव संसाधन योजना और विकास में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (5.12.2017 से 21.05.2018)
- वैश्विक मानव संसाधन प्रबंधन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (12.12.2017 से 22.01.2018)
- जन शक्ति सूचना प्रणाली संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (05.02.2018 से 02.04.2018)
- मानव क्षमताओं संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षम कार्यक्रम (27.03.2018 से 23.04.2018)

छ. विदेश कार्य मंत्रालय को 2018-19 के लिए सौंपे गए प्रशिक्षण प्रस्ताव

- मानव संसाधन योजना और विकास संबंधी आईटीपी (27.06.2018 से 21.08.2018)
- प्रबन्धकीय कार्मिकों के लिए साफ्ट स्किल संबंधी आईटीपी (11.07.2018 से 01.08.2018)
- मानव संसाधन योजना और विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (01.08.2018 से 31.07.2019)
- जनशक्ति अनुसंधान संबंधी आईटीपी (29.08.2018 से 23.10.2018)
- अनुवीक्षण और मूल्यांकन में प्रमाण–पत्र कार्यक्रम (05.09.2018 से 27.11.2018)
- मानव संसाधन और विकास में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (29.11.2018 से 15.05.2019)
- वैश्विक मानव संसाधन प्रबंधन संबंधी आईटीपी (05.12.2018 से 15.01.2019)
- जन शक्ति सूचना प्रणाली संबंधी आईटीपी (23.01.2019 से 19.03.2019)
- मानव क्षमताओं संबंधी आईटीपी (27.03.2019 से 24.04.2019)

ज. एनआईएलईआरडी इन-हाउस वर्किंग पेपर्स सीरीज

- विकास, असमानता, गरीबी और शहरीकरण (महानिदेशक, एनआईएलईआरडी द्वारा लिखित)
- ग्रामीण से शहरी प्रवास और शहरी श्रम बाजार (महानिदेशक, एनआईएलईआरडी द्वारा लिखित)
- भारत में शहर और कस्बेः शहरीकरण की गुणवत्ता का आकलन (महानिदेशक, एनआईएलईआरडी द्वारा लिखित और जय प्रकाश नागर सह–लेखक)

झ. हिन्दी प्रकोष्ठ

- तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट (2016-17) तैयार की गई और राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, नगर राजभाषा कार्यान्वयन विभाग गृह मंत्रालय, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति और नीति आयोग को सौंपी गई।
- संस्थान के महानिदेशक और हिंदी प्रकोष्ठ के प्रमुख द्वारा 28 अगस्त, 2017 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लिया।
- संस्थान में 31 अगस्त, 2017 से 14 सितंबर, 2017 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। निबंध लेखन प्रतियोगिता, कविता लेखन, हिंदी वाद–विवाद, कार्यशाला आदि का आयोजन किया गया। हिंदी टंकण और हिंदी कार्य मूल्यांकन भी किया गया।
- 15/07/2017 को हिंदी दिवस मनाया गया। डा. संजय कुमार जैन, एम.एस., सत्यवादी राजा हरीश चन्द्र अस्पताल, नरेला इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।
- सुश्री मालती और श्री मारशल बीरुआ को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, अगस्त क्रांति मार्ग में 20/9/2017 को आयोजित कहानी लेखन प्रतियोगिता के लिए नामित किया गया और सुश्री मालती ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। डा. रूबी धर, उप निदेशक को केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली में 22/9/2017 को आयोजित कविता लेखन प्रतियोगिता के लिए नामित किया गया।
- जुलाई से सितंबर, 2017 की तिमाही रिपोर्ट तैयार की गई।

I- स्वतंत्रता दिवस

15 अगस्त, 2017 को नरेला परिसर में कर्मचारियों, निवासियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ ध्वजारोहण समारोह, चित्रकला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।

ट. प्रकाशन/दिए गए व्याख्यान/महानिदेशक, एनआईएलईआरडी द्वारा अध्यक्षता किए गए सत्र

- 14 सितंबर, 2017 को टीईआरआई विश्वविद्यालय परिसर, वसंत कुंज में भारत में अनौपचारिक क्षेत्रक।
- अनौपचारिक क्षेत्रकः नए परिप्रेक्ष्य, यूजीसी–एचआरडीसी जेएनयू में सितंबर, 18, 2017 को अर्थशास्त्र संबंधी रिफ्रेशर कोर्स (4 सितंबर – 29 सितंबर, 2017)
- भारत में श्रम बाजार भागीदारीः क्षेत्र और लिंग विशेष अध्ययन। स्प्रींगर 2018। (आईएसबीएन 978-981-10-7142-3), अरूप मित्र और अया ओकाडा (2018)
- इंडिया हेबिटेट सेंटर नई दिल्ली में विश्व बैंक समर्थित "दक्षिण एशिया में आय, असमानता और गरीबी के मापन संबंधी अनुभव और चुनौतियां" संबंधी 23-24 नवंबर २०१३ को आयोजित आईएआरआईआईडब्ल्यू–आईसीआर आईईआर सम्मेलन की अध्यक्षता की।
- 3 नवंबर, 2017 को व्यापक विषय 'स्पष्ट के संबंध में पुर्नविचार रू विकास के दावे' के क्रम में अर्थशास्त्र विभाग, मिरांडा हाऊस में "गरीबी उपशमन के दावे" विषय संबंधी व्याख्यान।

ठ. संस्थागत प्रकाशन (इसमें व्यक्तिगत प्रकाशन शामिल नहीं किए गए हैं)

- मानव संसाधन प्रोफाईल : इंडिया ईयर बुक (2016) जारी की गई
- वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) तैयार किया गया और नीति आयोग के संसद अनुभाग को सौंपी गई।

24. शासी परिषद् सचिवालय

नीति आयोग के महत्वपूर्ण प्रभागों में से एक होने के नाते शासी परिषद् सचिवालय अन्य बातों के साथ वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप किए:

शासी परिषद् सचिवालय (जीसीएस) सभी विषय सामग्री वर्टिकलों के कार्यकलापों, अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त पत्रों/कागजातों का परिचालन और नीति आयोग में उच्चाधिकारियों के निदेशों से नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों (एसओएम) की बैठकों के ज्ञापन जारी करना। एजेंडा नोट तैयार करने के साथ बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करना आदि के समन्वय संबंधी कार्य करता है। इसके पास सामग्री संग्रहण और 12वीं योजना के मूल्यांकन दस्तावेज के संकलन, प्रकाशन से संबंधित कार्य में समन्वय और नीति आयोग के तीन वर्षीय कार्य एजेंडा को जारी करने का कार्य है।

सचिवालय ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद् की तीसरी बैठक का आयोजन 23 अप्रैल, 2017 को आरबीसीसी, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली में करवाया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शासी परिषद् ने केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों आदि के साथ विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। सचिवालय ने 25 मई, 2017 को विज्ञान भवन में विख्यात अमेरिकी व्यवसाय कार्यनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और लेखक डा. माईकल ई पोर्टर द्वारा तीसरा नीति व्याख्यान "भारत परिवर्तन संबंधी नीति व्याख्यान" का आयोजन करवाया। शासी परिषद् सचिवालय द्वारा किए जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में संसदीय/आरटीआई/मंत्रिमंडल नोट संबंधी समन्वय कार्य, जीसीएस द्वारा तय स्कीम के दिशा निर्देशों के साथ अपेक्षित सामग्री का परिचालन और नीति आयोग की उपलब्धियों को दर्शाते हुए मंत्रिमंडल सचिव को मासिक अ.शा. पत्र तैयार करना शामिल है। चूँकि, केन्द्रीय योजना स्कीम "योजना निर्माण, मूल्यांकन और समीक्षा" के प्रचालन के लिए शासी परिषद् सचिवालय नॉडल प्रभाग है अतः इसने 2017-18 के दौरान संस्वीकृतियों, भुगतानों, लेखा परीक्षा उत्तरों आदि से संबंधित कार्य किया।

25. राजभाषा प्रभाग (हिंदी अनुभाग)

वर्ष के दौरान हिंदी अनुभाग राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके तहत बनाए गए राजभाषा नियम 1976 के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और संघ की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए लगातार प्रयास करता रहा।

विभिन्न दस्तावेजों/कागजातों का अनुवाद करने के अलावा यह अनुभाग नीति आयोग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी है। टिप्पण और पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गई। सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की गई। हिंदी अनुभाग ने विभिन्न दस्तावेजों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, परिणाम बजट, अनुदान मांगें, संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित सामग्री, संसदीय प्रश्नोत्तर, नीति आयोग की वेबसाइट, अधिसूचनाओं, समझौता ज्ञापन, प्रपत्र/मसौदे और पत्र आदि का अनुवाद किया। नीति आयोग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और अन्य आदेशों/अनुदेशों को आयोग के सभी अनुभागों तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को अनुपालन और सूचनार्थ अग्रेषित किया गया।

2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

नीति आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति सलाहकार (रा.भा.) की अध्यक्षता में कार्य करती है। यह समिति सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करती है और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उठाए जाने वाले उपायों की सिफारिश करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और नीति आयोग के नियंत्रण में आने वाले कार्यालयों को भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए।

3. हिंदी में मूल टिप्पण/आलेखन हेतु प्रोत्साहन योजना

हिंदी में टिप्पण/आलेखन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा शुरू की गई प्रोत्साहन योजना को जारी रखा गया। इस स्कीम के तहत 2000 रुपए के दो प्रथम पुरस्कार, 1200 रुपए के तीन द्वितीय पुरस्कार तथा 600 रुपए के पांच तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

4. हिंदी में डिक्टेशन हेतु नकद पुरस्कार योजना

अधिकारियों के लिए हिंदी में डिक्टेशन देने की एक प्रोत्साहन योजना लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत 2000 रुपए के दो पुरस्कार (एक हिंदीभाषी स्टाफ के लिए और दूसरा हिंदीतरभाषी के लिए) दिए जाने का प्रावधान है।

5. हिंदी पखवाड़ा

नीति आयोग में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए माननीय गृह मंत्री से प्राप्त संदेश तथा माननीय योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अपील नीति आयोग के अनुभागों तथा अधिकारियों और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को परिचालित की गई। 01 सितम्बर, 2017 से 15 सितम्बर, 2017 तक हिंदी पखवाड़े के दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जैसे–हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टंकण, हिंदी अनुवाद, हिंदी टिप्पण/आलेखन, आशुभाषण तथा राजभाषा ज्ञान। आयोग के मल्टीटास्किंग कर्मचारियों के लिए हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

6. हिंदी कार्यशाला

वर्ष के दौरान नीति आयोग में अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 8 और 13 सितम्बर, 2017 को दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं तथा इन कार्यशालाओं में कुल 17 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

7. हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निरीक्षण

वर्ष के दौरान नीति आयोग के राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण की दृष्टि से विभिन्न वर्टिकलों के 4 प्रभागों/अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

26. चार्ट, मैप और उपकरण एकक

चार्ट, मैप और उपकरण एकक नीति आयोग की केंद्रीकृत डिजाइनिंग और तकनीकी सहायता इकाई है। नीति आयोग के सभी वर्टिकलों/प्रभागों के दैनिक कार्यालयी कार्यों में यह एकक तकनीकी और उपकरणीय सहायता प्रदान करता है। डिजाइन करने के अलावा कार्यालय के बैठक संबंधी कार्यों जैसे कि पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन, नेम डिस्प्ले कार्ड, बैठक की समय सारणी का प्रदर्शन करना इत्यादि। अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने वाले अधिकारियों के पहचान पत्र को तैयार करना, कैलिग्राफिक तथा स्कैनिंग इत्यादि कार्यों को भी चार्ट, मैप और उपकरण एकक निष्पादित करता है। समय–समय पर नीति आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाले बैठकों, सम्मेलनों तथा सेमिनारों में यह एकक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2017-18 के दौरान चार्ट, मैप और उपकरण एकक ने निम्नलिखित कार्यों की शुरूआत की हैः

- नीति आयोग के भीतर तथा बाहर नीति आयोग द्वारा आयोजित की गई विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों के लिए तकनीकि तथा उपकरणीय सहयोग प्रदान किया जैसे किः
- "तीसरी नीति लेक्चर सीरीज" ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
- युवा उद्यमियों के साथ चौंपियन ऑफ चेंज पर कार्यशाला
- मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन
- विजन डॉक्यूमेंट
- तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा
- वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन
- नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकलों/प्रभागों द्वारा लाए गए विभिन्न प्रकाशनों के कवर पृष्ठों का डिजाइंनिंग करना।
- डिस्प्ले स्क्रीन पर बैठकों से संबंधित सूचनाओं को डिस्प्ले करना।
- विभिन्न प्रभागों द्वारा प्रदान किए गए सरकारी दस्तावेजों जैसे विभिन्न रिपोर्ट, हैंड आउट के प्रजेंटेशन इत्यादि का प्रिंट आउट (रंगीन तथा काले और सफेद) करना।
- थोक में फोटोकॉपी/डुप्लिकेटिंग का कार्यान्वयन।
- नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकलों/प्रभागों के लिए बाइंडिंग संबंधी कार्य करना।

27. पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र नीति आयोग का ज्ञान और सूचना का केन्द्र होने के नाते, नीति आयोग के सभी स्टाफ के सदस्यों के लिए किताबों, पत्रिकाओं, रिपोर्टों इत्यादि उपलब्ध कराता है। पुस्तकालय के सभी सदस्यों को संदर्भ सेवा तथा लेंडिंग सुविधा प्रदान करता है। नीति आयोग के इंट्रानेट पर विभिन्न डेटाबेस की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के साथ नामांकित अन्य विभागों के अधिकारियों तथा अनुसंधान स्कॉलरों के लिए इन हाउस परामर्श की सुविधा दी गई।

पुस्तकालय संग्रह में 2 लाख से अधिक पुस्तकें, रिपोर्ट, बाउंड वॉल्यूम जर्नल और ऑडियो विसुअल आइटम शामिल है। पुस्तकालय में वर्तमान में अंग्रेजी और हिंदी की 174 पत्रिकाएं रखी गई है। पुस्तकालय वर्तमान में वर्ल्ड बैंक ई–लाइब्रेरी, आईएमएफ ई–लाइब्रेरी, इंडिया स्टेट, इंडिया इंफ्रा मोनिटर, सीएमआईई, मनुपुत्रा, सीईआईसी का डाटाबेस सब्सक्राइब कर रहा है। पुस्तकालय के सदस्यों को पत्रिकाओं के ऑनलाइन उपयोग की सुविधाएं भी दी जाती है। पुस्तकालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एलएस प्रीमिया ऑफ लिबिटसिज लिमिटेड की मदद से पूरी तरह स्वचालित है।

पुस्तकालय निम्नलिखित प्रकाशनों को प्रकाशित करता है:-

- **डेली टाइजेस्टः** पुस्तकालय **डेली डाइजेस्ट (भाग अ और ब)** को प्रकाशित करता है। **भाग अ** में नीति आयोग से संबंधित सूचना शामिल हैं। **भाग ब** में विभिन्न विषयों पर विभिन्न समाचार पत्रों में पूर्ण लेख, संपादकीय, टिप्पणियां और विश्लेषण प्रकाशित किये गए हैं।
- **साप्ताहिक बुलेटिनः** पुस्तकालय निम्नलिखित विभिन्न चार क्षेत्रकों पर साप्ताहिक सूचना संयोजित करता है।
- **क. ऊर्जा, ख. अवसरंचना ग. ग्रामीण विकास घ. स्वास्थ्य**
- **डाकप्लानः** (मासिक)– इसमें लेखों का सार शामिल है जो नीति आयोग द्वारा पेश किए गए कोर क्षेत्र से संबंधित है जिसे पुस्तकालय में प्राप्त आवधिक पत्र से लिया गया है।
- **नव संकलनों की सूचीः** (मासिक) इसमें उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय में (किताबों/दस्तावेजों) की ग्रंथ सूची संबंधी विवरण प्राप्ति के लिए शामिल की गई है।
- **पुस्तक चेतावनीः** (मासिक) इसमें मुख्य पृष्ठ का चित्र तथा पुस्तकालय में खरीदी गई नयी पुस्तकों का संक्षिप्त सार शामिल है।
- **विषय सूचीः** (मासिक) इसमें पुस्तकालय द्वारा पत्रिकाओं में छपी सामग्रियों के शीर्षकों को शामिल किया गया है।

रिपोर्टाधीन इस अवधि (01 अप्रैल, 2017 से आज तक) के दौरान 746 पुस्तकों को संग्रह में जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 174 पत्रिकाओं/मैगजीन तथा समाचार पत्र पुस्तकालय में प्राप्त हुए। पुस्तकालय ने लगभग 3500 संदर्भ प्रश्नों का भी जवाब दिया तथा उपयोगकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी पूरा किया। परामर्श और संदर्भ कार्य के लिए लगभग 8000 पाठक पुस्तकालय में आए।

28. संसद अनुभाग

संसद अनुभाग संसद प्रश्न, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, आधे घंटे की चर्चा, संकल्प, निजी सदस्यों के बिल, अदिनांकित प्रस्ताव, नियम 377 के तहत लोकसभा में उठाए गए मामलों तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख जरिए उठाए गए मामलों, संसदीय आश्वासनों, संसदीय समितियों की बैठकों, वित्त संबंधी स्थायी समिति, संसद के दोनों सदनों में रखी जाने वाली रिपोर्टों तथा दस्तावेजों, नीति आयोग के अधिकारियों के लिए अस्थायी और सत्र–वार सामान्य तथा अधिकारिक गैलरी की व्यवस्था संबंधी कार्य तथा संसद सत्र से संबंधित अन्य कार्य देखता है जिसमें संसद में जाने वाले मुद्दे, सरकारी कार्य और बजट दस्तावेज की, रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण की प्राप्ति तथा संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों के बीच वितरण का कार्य भी देखता है। लोकसभा/राज्यसभा के तारांकित प्रश्नों के बारे में प्रधानमंत्री की ब्रीफिंग के बारे में संसद अनुभाग आवश्यक कार्यवाही करता है।

वर्ष के दौरान, योजना मंत्रालय के लिए 9 तारांकित और 94 अतारांकित प्रश्नों के लिए इस अनुभाग ने राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से अनुमोदन प्राप्त किया तथा लोकसभा और राज्यसभा के लिए समय पर सेट्स तैयार किए तथा लोकसभा और राज्य सभा के वेब पोर्टल पर भी इन प्रश्नों को अपलोड किया। योजना मंत्रालय की 2017-18 की अनुदान मांगों संबंधी स्थायी वित्त समिति के बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था करना। स्थाई समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई तथा अनुदान मांगों (2017-18) पर वित्त पर स्थायी समिति की 48 रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर विवरण संसद को भेजा गया। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 तथा वर्ष 2016-17 के लिए आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) के विकास योजना केंद्र (डीपीसी) की वार्षिक रिपोर्ट/योजना मंत्रालय के 2017-18 अनुदान की मांग को संसद के दोनों सदनों में रखा गया। 2015-16 और 2016-17 वर्ष के लिए नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रकाशन काउंटरों के माध्यम से परिचालित की गई। लोकसभा में गए अठारह आश्वासन और राज्यसभा में पच्चीस आश्वासन इस अवधि के दौरान पूर्ण किए गए। लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए चार मामलों का उत्तर संबंधित सांसदों को भेजने में इस अनुभाग ने सहायता की।

29. आरटीआई प्रकोष्ठ

आरटीआई प्रकोष्ठ (सूचना द्वार) की स्थापना अक्तूबर, 2005 में पूर्ववर्ती योजना आयोग में हुई थी। 01 जनवरी, 2015 से, योजना आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) कर दिया गया था। niti.gov.in के होम पेज पर आरटीआई अधिनियम का एक महत्वपूर्ण लिंक है। आरटीआई प्रश्न http://rtionline.gov.in/RTIMS/log.in से ऑनलाइन प्राप्त किये जाते हैं तथा इसके अलावा यह आरटीआई स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचना द्वार में भौतिक रूप से भी प्राप्त की जाती है। 01.01.2017 से 31.01.2017 बीच की अवधि के दौरान आरटीआई प्रकोष्ठ में 772 प्रश्न प्राप्त हुए हैं तथा 760 का निपटारा अब तक किया गया है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 56 अपील प्राप्त हुए जिसमें से 52 अपील का निपटारा किया गया है। इस अवधि के दौरान तीन सीआईसी सुनवाइयों में भाग लिया गया।

30. कैरियर प्रबंधन गतिविधियां

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल 2017 से दिसंबर 2017) के दौरान 77 अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉपों/सेमिनारों/बैठकों/सम्मेलनों आदि में नीति आयोग/भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए या विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) आदि जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया था तथा इस अवधि के दौरान विभिन्न देशों नें डीएफएफटी स्कीम के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपाध्यक्ष/सदस्यों की विदेश यात्रा को शामिल किया गया था।

2. इस अवधि के दौरान नीति आयोग तथा विकास अनुवीक्षण और मुल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के आईएएस, आईईएस, आईएसएस, जीसीएस, पुस्तकालय कर्मचारी आदि के 23 अधिकारियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इंडियन मैरी–टाईम यूनिवर्सिटी (आईएमयू), एडमिनिस्ट्रटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) आदि तथा भारत के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अन्य सरकारी और स्वायत संस्थानों के संगठनों द्वारा प्रायोजित/आयोजित किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नियुक्त किए गए। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित विभिन्न अनिवार्य तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सीएसएस, सीएससीएस, तथा सीएसएसएस से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को शामिल कर भेजा गया था।

3. नीति आयोग के उपाध्यक्ष सितम्बर, 2015 से भारत के जी–20 शेरपा के रूप में सेवा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने जर्मनी में 18-19 मई, 2017 और 4-8 जुलाई, 2017 के दौरान तीसरी और चौथी जी–20 शेरपा मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

4. जापान के सहयोग से चलाई जा रही मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के एक भाग के रूप में, एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग एवं सलाहकार (परिवहन), नीति आयोग ने मुंबई–अहमदाबाद हाईस्पीड रेल की पांचवी उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए 13-14 जून, 2017 के दौरान टोक्यो, जापान का दौरा किया था। अहमदाबाद से मुंबई तक 508 किलोमीटर लंबी उच्च गति वाली बुलेट ट्रेन परियोजना को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जाएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से अहमदाबाद, गुजरात में आधारसिला रखकर सितम्बर, 2017 में मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का उद्घाटन किया।

5. उपाध्यक्ष, नीति आयोग के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों ने 05-06 दिसम्बर, 2017 के दौरान तीसरी डीआरसी–नीति आयोग वार्ता में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया।

6. अटल नवोन्मेष मिशन के अंतर्गत, भारत के विभिन्न विद्यालयों से 9 बच्चों सहित एक यंग प्रोफेशनल 14-21 मई, 2017 के दौरान लॉस एंजिल्स में इंटेल एण्ड इंटरनेशनल साइंस इंजीनियरिंग केयर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मेकर फेयर में भाग लेने के लिए भेजे गए थे।

7. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अवधि के दौरान नीति आयोग ने 5 चर्चा सत्र आयोजित किएः एक सत्र भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली से अफगानिस्तान के अधिकारियों के शिष्टमंडल के लिए, दो सत्र इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए), देहरादून से भारतीय वन सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षार्थी अधिकारियों के लिए और दो सत्र भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली से भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षार्थी अधिकारियों के लिए।

31. सतर्कता कार्यकलाप

नीति आयोग का सतर्कता अनुभाग नीति आयोग में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के संबंध में सभी सतर्कता अर्थात भ्रष्टाचार, अनाचार और सत्यनिष्ठा की कमी से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह नीति आयोग के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में सतर्कता स्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है।

01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान नीति आयोग के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में लगभग 400 सतर्कता निकासी जारी की गई। नीति आयोग में कार्यरत कुछेक कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का निपटान किया गया।

निवारक सतर्कता

नीति आयोग में 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2016 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इसका विषय था "सत्यनिष्ठा संवर्धन और भ्रष्टाचार उन्मूलन में लोक भागीदारी"। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने एक शपथ दिलवाई। नीति आयोग के मुख्य स्थानों पर समुचित नारों के साथ बैनर लगाए गए। आचरण नियमावली के महत्वपूर्ण प्रावधानों और सतर्कता जागरुकता संबंधी अन्य मुद्दों को भी कर्मचारियों को ई–मेल से परिचालित किया गया ताकि नीति आयोग के कर्मचारियों/अधिकारियों को सीसीएस आचार नियमावली, 1964 और सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 में निर्धारित नियमों और विनयमों संबंधी जानकारी हो सके।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

महिलाओं का कार्यालय पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुरूप एक आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया।

32. संगठन पद्धति एवं समन्वय (ओएमएण्डसी) की क्षेत्रकीय उपलब्धियाँ

संगठन पद्धति एवं समन्वय अनुभाग ने 2017-18 (31 दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान 1700 से अधिक लोक शिकायत याचिकाओं पर कार्य किया, ये याचिकाएं विभिन्न माध्यमों अर्थात डाक द्वारा, डीएआरपीएण्डजी से आनलाइन पोर्टेल के माध्यम से, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमण्डल सचिवालय आदि से प्राप्त हुई। शिकायतों की जाँच की गई, यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें संबंधित प्रभागों को भेजा गया और प्रभागों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर उत्तर दिए जाते हैं। जो शिकायतें नीति आयोग से संबंधित नहीं थी उन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया और ऐसे मामलों को याचिकाकर्ता को सूचित करते हुए बंद कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैः

- संगठन पद्धति एवं समन्वय अनुभाग ने 21 जून, 2017 को तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भी किया था।
- संगठन पद्धति एवं समन्वय अनुभाग प्रधानमंत्री के 'स्वच्छ भारत मिशन' के कार्यान्वयन हेतु नोडल अनुभाग है और इस अनुभाग ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की प्रस्तुती स्वच्छता ही सेवा की तीसरी वर्षगाठ मनाई।
- संगठन पद्धति एवं समन्वय अनुभाग ने नीति आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 16 और 17 अक्तूबर, 2017 को नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में टाउनहाल बैठक भी आयोजित की।
- संगठन पद्धति एवं समन्वय अनुभाग नीति आयोग के पुराने रिकॉर्ड को स्कैन करके नीति आयोग में ई–आफिस के कार्यान्वयन की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- संगठन पद्धति एवं समन्वय अनुभाग वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन, समावेशन सामग्री, प्रस्तुतीकरण का माध्यम आदि से संबंधित कार्य/कार्यकलाप भी देखता है।
- संगठन पद्धति एवं समन्वय अनुभाग नीति आयोग के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए, जिनके निवास क्षेत्र में सीजीएचएस सुविधा नहीं है, पंजीकृत चिकित्सकों को अधिकृत चिकित्सा परिचर के रूप में भी नियुक्त करते हैं। अनुभाग चुनाव की ड्यूटी से संबंधित कार्य का भी समन्वय करता है।

सत्यमेव जयते

नीति आयोग